आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

नवम्बर 2025

क्रान्ति

मासिक

सहयोग राशि
30/- ₹

पड़ोसियों के अधिकार मुहिम

आदर्श पड़ोस • आदर्श समाज

- सामंजस्य
- सद्भाव
- सहयोग



مستشفیٰ الشفاء

alshifa®

MULTI SPECIALITY HOSPITAL

human welfare trust | VISION 2026® Creating Partnership with the needy



SCOPE OF SERVICES

- GENERAL MEDICINE
- CARDIOLOGY
- OBSTETRICS & GYNAECOLOGY
- PAEDIATRICS & NEONATOLOGY
- PULMONOLOGY (CHEST & T.B.)
- NEPHROLOGY & DIALYSIS
- GENERAL & LAPAROSCOPIC SURGERY
- NEUROLOGY & NEUROSURGERY
- GASTROENTEROLOGY
- GASTRO SURGERY
- PLASTIC SURGERY & BURNS
- VASCULAR SURGERY
- ORTHOPEDICS
- DERMATOLOGY (SKIN & VD)
- DIABETIC & THYROID CARE
- ENT (EAR, NOSE & THROAT)
- UROLOGY
- PSYCHIATRY
- CLINICAL PSYCHOLOGY
- OPHTHALMOLOGY (EYE)
- DENTISTRY
- ANESTHESIA & PAIN MANAGEMENT
- ONCOLOGY
- DIETETICS & NUTRITION
- PHYSIOTHERAPY
- RADIOLOGY
- BLOOD STORAGE CENTER

24/7 EMERGENCY SERVICES

ALSHIFA

MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

D-305, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi

011 41513520, 41513530, 42175350, 98188 44498

- EMERGENCY & TRAUMA CARE
- ICU & NICU
- PHARMACY
- DIGITAL X-RAY
- CT SCAN (32 SLICE)
- FULLY AUTOMATED COMPUT. LABORATORY
- ACLS/BLS AMBULANCE

संपादकीय



डॉ. फ़रहत हुसैन

पड़ोस और पड़ोसी

'पड़ोस' और 'पड़ोसी' सामाजिक ताने-बाने के महत्वपूर्ण अंग हैं तथा इनकी सामाजिक जीवन में बहुत बड़ी भूमिका है। पड़ोस में बसे लोग एक दूसरे को शक्ति प्रदान करते हैं। वर्षों का अनुभव उनके व्यवहार और उनकी सत्यनिष्ठा पर भरोसा करने का प्रमाण देता है। पड़ोस हमें मिल-जुलकर रहना सिखाता है और एक सामुदायिक जीवन देता है। इस इकाई को अगर मज़बूत कर लिया जाए और उसमें नैतिक मूल्यों का सृजन हो जाए तो एक अच्छे वातावरण का निर्माण होगा जिसमें परस्पर सम्मान, सहयोग और भाईचारा होगा। प्रत्येक परिवार संतुष्ट होगा और एक आदर्श समाज की स्थापना होगी। परंतु यदि इस महत्वपूर्ण घटक को नज़रअंदाज़ किया जाए जैसा कि महानगरों का कल्चर बन रहा है या पड़ोसियों के बीच नकारात्मकता और कड़वाहट पैदा हो जाए तो फिर पड़ोस बहुत बार परेशानी का कारण बन जाता है।

पड़ोस की इसी अहमियत के कारण इस्लाम ने समाज की इस इकाई के महत्व को स्वीकार किया और बेहतरीन हिदायतें दीं। कुरआन की चौथी सूरा (अन-निसा) की 36वीं आयत में पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। ये पड़ोसी रिश्तेदार भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे रिश्ता-नाता न हो, यहां तक कि धर्म और विचारधाराएं भी अलग-अलग हो सकती हैं, मगर फिर भी पड़ोसी होने के नाते उनसे अच्छे व्यवहार की ताकीद की गई है। इसी तरह साथ में काम करने वाले या सफ़र के साथी, यानी ऐसा साथ जो थोड़े समय का हो सकता है वे भी पड़ोसी के दर्जे में आते हैं, उनके साथ भी अच्छा व्यवहार करने की तालीम दी गई है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने पड़ोसियों के अधिकारों पर बहुत विस्तार से हिदायतें दी हैं जो हदीस की किताबों में मौजूद है। उन्होंने फ़रमाया "वह व्यक्ति ईमान वाला नहीं जो रात में पेट भरकर खाना खाकर सो रहे और उसके क़रीब का पड़ोसी यूं ही भूखा रहे जबकि उसे इसकी जानकारी भी हो"(हदीस—बुख़ारी)। अगर समाज का हर व्यक्ति इस हिदायत पर अमल करे तो कोई भी भूखा न रहे। वास्तविकता यह है कि इस हदीस के द्वारा यह शिक्षा दी जा रही है कि अपने पड़ोसी के हालात से परिचित रहें तथा उनकी परेशानी को दूर करने का प्रयास करते रहें। इस प्रकार की और बहुत-सी हिदायतें हैं जिन पर आगे विस्तार से चर्चा की गई है। ख़ास बात यह है कि अल्लाह के रसूल ने सिर्फ़ नसीहत करके ही नहीं छोड़ा बल्कि पड़ोसियों के प्रति कर्तव्यों को समाज में व्यावहारिक रूप से स्थापित किया। इस प्रकार एक आदर्श समाज की स्थापना करके दिखाया और एक बेहतरीन नमूना पेश किया।

हर्ष का विषय है कि जमाअत-इस्लामी हिंद ने 'पड़ोसियों के अधिकार' शीर्षक से एक दस दिवसीय अभियान चलाने का फ़ैसला किया है। इस मौक़े पर मासिक 'कान्ति' का यह विशेषांक इसी विषय को समर्पित है। इसमें प्रतिष्ठित लेखकों के लेख हैं, प्रोफ़ेसर मुहम्मद सलीम इंजीनियर साहब का इंटरव्यू है, पड़ोसियों से जुड़ी नए दौर की समस्याओं का जायज़ा लिया गया है, पड़ोसियों से संबंधित प्रमुख धर्मों की शिक्षाएं दी गई हैं, कहानी, कविताएं और संस्मरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

हम सभी सम्मानित लेखकों/रचनाकारों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा बहुमूल्य योगदान दिया तथा संपादन प्रभाग के साथियों के भी आभारी हैं जिन्होंने इस अंक की तैयारी में अतिविशिष्ट भूमिका निभाई। ■■

प्रधान संपादक
डॉ. फ़रहत हुसैन
kantieditorial@gmail.com

प्रबंधक
नईम ख़ान
+91 9891160829

सहयोग राशि

एक प्रति 30/- रु॰ एक वर्ष 350/- रु॰
पांच वर्ष 1500/- रु॰ आजीवन रु॰ 5000/
सऊदी अरब और खाड़ी के देशों के लिए 110/- रियाल
यूरोप व अमेरिका के लिए 40/- US डॉलर

ख़रिदार बनने, एजेंसी लेने, प्रचार-प्रसार एवं प्रबंधकीय मामलों के लिए सम्पर्क करें :

कार्यालय :
कान्ति मासिक, डी-314, दावत नगर,
अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव, जामिया नगर,
ओखला, नई दिल्ली-110025

हेल्पलाइन न॰
9818799223

Account Detail
NAME : KANTI
A/C NO : 0990839195
IFS CODE : IDIB000J029
TYPE : CURRENT
BANK : INDIAN BANK
BRANCH : JAMIA MILLIA ISLAMIA
NEW DELHI - 110025

चेक / ड्राफ़्ट 'कान्ति' के नाम से बनवाएं

प्रकाशक मुहम्मद अहमद द्वारा दावत
ट्रस्ट (रजि॰), डी-314 दावत नगर, अबुल फ़ज़्ल इन्कलेव,
जामिया नगर, नई दिल्ली-110025 से प्रकाशित एवं
Printer : Akhilesh Singh
Press : AARYA PRINTERS
201, Ground Floor, DSIDC Complex
Okhla Industrial Area phase-1,
New Delhi-110020
Editor : Shibli Arsalan

संस्था की लिखित अनुमति के बिना सम्पूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित है।

वर्ष 35 अंक 05 नवम्बर 2025



आपकी आशाओं का सुन्दर प्रतिबिम्ब

कान्ति
मासिक

इस अंक में

- पड़ोस और पड़ोसी (संपादकीय) –डॉ. फ़रहत हुसैन 3
- क़ुरआन –डॉ. वक़ार अनवर 5
- हदीस – मुहम्मद शकील शम्सी 7
- पड़ोसियों के अधिकार : इस्लामी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता –सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी 9
- पड़ोसी तो पड़ोसी है, चाहे वह किसी भी मज़हब का हो –डॉ. मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी 12
- सौहार्द और भाईचारे का मूल आधार –वारिस हुसैन 13
- टूटते मुहल्ले, बिखरते रिश्ते : कारण और निवारण –डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी 15
- पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना ज़रूरी (इंटरव्यू) –इंजीनियर मुहम्मद सलीम 19
- पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) और पड़ोसी –डॉ. अब्दुल हमीद जासिम बिलाली 22
- पड़ोस का आर्थिक पहलू –डॉ. फ़रहत हुसैन 23
- सामाजिक सहयोग का पतन –डॉ. ख़ान मुबश्शरा फ़िरदौस 25
- पड़ोसी के अधिकार –नुज़हत यासमीन 31
- जब पड़ोसी बन जाएं पक्षकार –ज़हीर ललितपुरी 33
- ग़ज़ल –ज़हीर ललितपुरी 34
- हिन्दू धर्म ग्रन्थों में पड़ोसी के अधिकार –प्रो. (श्रीमती) बी. नाज़ 35
- पड़ोसी के अधिकार : बाइबिल की शिक्षाओं से –अज़का हयात 36
- तथागत बुद्ध का पड़ोस धर्म –प्रो. धन सिंह रवि 37
- पड़ोस की अवधारणा : वास्तविकता से डिजिटल तक –मुहम्मद सिकन्दर 38
- पड़ोसियों से रिश्ते : ईमान की पहचान –गुलज़ार सहराई 40
- अन्दुलुस का पड़ोसदारी मॉडल –मुशर्रफ़ अली 43
- पड़ोसी का सम्मान : इस्लामी इतिहास के झरोखे से –अब्दुल-अल्लाम नदवी 45
- दया का कम्पास बॉक्स (लघुकथा) –संकलन : मुहम्मद सलमान 46
- संस्मरण –डॉ. वक़ार अनवर, डॉ. गिरीश कुमार वर्मा, –डॉ. फ़रहत हुसैन, नैयर जहां, –अतीक़ अहमद शफ़ीक़ इस्लाही, –हैदर अली 47
- एक दहशत भरी रात (कहानी) –नाओमी बार्टन 51
- झगड़ों से नजात हासिल कीजिए –सय्यदा हुमैरा 52
- पड़ोस, पड़ोसी और हमारी ज़िम्मेदारी –सुफ़ियान अहमद 53

क़ुरआन



–डॉ. वक़ार अनवर

क़ुरआन में पड़ोसियों के साथ सद्व्यवहार का ईश्वरीय निर्देश

अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, और अच्छा व्यवहार करो मां-बाप के साथ, नातेदारों, अनाथों और मुहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ रहनेवाले व्यक्ति के साथ और मुसाफ़िर के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हारे अधीन हों। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो इतराता और डींगे मारता हो। (क़ुरआन, सूरा-4 निसा, आयत–36)

क़ुरआन की उक्त आयत में पड़ोसियों की तीन क़िस्मों के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया गया है। पूरी आयत में अल्लाह के अधिकार अदा करने के अलावा, मां-बाप, रिश्तेदारों, यतीमों (अनाथों), मिस्कीनों (ग़रीबों), पड़ोसियों, मुसाफ़िरों और ग़ुलामों व दासियों से अच्छा सुलूक करने का आदेश दिया गया है। हम यहां पर ख़ासतौर से आयत में बताए गए पड़ोसियों के अधिकार के बारे में बात करेंगे।

यह समझना ज़रूरी है कि "एहसान करने" यानी अच्छा बर्ताव करने के बारे में क़ुरआन की शिक्षा क्या है। यह इसलिए ज़रूरी है कि "एहसान" शब्द जिस मायने में हमारी हिन्दुस्तानी भाषा (उर्दू और हिन्दी) में इस्तेमाल होता है, वह इस आयत के असल मतलब से अलग है। हमारी भाषाओं में "एहसान" का मतलब लिया जाता है — किसी पर मेहरबानी करना, यानी किसी का अधिकार न होने के बावजूद उस पर रहम करना। लेकिन अरबी भाषा में "एहसान" का असल मतलब है — किसी काम को सबसे अच्छे (हसीन) तरीक़े से अंजाम देना।

मिसाल के तौर पर, ऊपर वाली आयत और कई दूसरी आयतों में अल्लाह तआला ने मां-बाप से "एहसान करने" को कहा है। अब यह तो साफ़ है कि मां-बाप पर मेहरबानी करने का ख़याल बेमानी है। औलाद चाहे जितनी कोशिश कर ले, मां-बाप का अधिकार अदा नहीं कर सकती, मेहरबानी करना तो दूर की बात है। बस इनसान अपनी पूरी कोशिश कर सकता है।

क़ुरआन ने जो तालीम दी है उसके मुताबिक़, जिनकी हम सेवा करते हैं, यह उनका अधिकार होता है कि उनकी सेवा की जाए। जैसे कि क़ुरआन की एक आयत का मतलब है — "मालदारों के माल में (मदद) मांगने वालों और महरूम (वंचित) का अधिकार होता है।" (सूरा-51 ज़ारियात, आयत 19)

इस अधिकार को अदा करने का अज्र (इनाम) अल्लाह तआला देगा। इसलिए "एहसान" ऐसा होना चाहिए कि उसमें एहसान जताया न जाए। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: "ऐ ईमान वालो! अपने सदक़े को एहसान जता कर बर्बाद मत करो।"

(सूरा-2 बक़रा, आयत 266)

ऊपर की बातचीत का निचोड़ यह है कि पड़ोसियों के जिन अधिकारों का ज़िक्र इस आयत में है, वह उनका हम पर अधिकार है। इन्हें अच्छे (बेहतरीन) तरीक़े से अदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम यह ज़िम्मेदारी निभाएंगे तो इसका इनाम, अल्लाह तआला के पास मिलेगा। और अगर इसमें कोताही हुई, तो अल्लाह के यहाँ पकड़ (सज़ा) का ख़तरा है।

यह आयत बहुत ही व्यापक है क्योंकि इसमें पड़ोसियों की हर सम्भव सूरत को बेहद आसान तरीक़े से बयान कर दिया गया है। पड़ोसियों की तीन क़िस्में बताई गई हैं :

1. वह पड़ोसी जो पड़ोसी होने के साथ-साथ क़रीबी रिश्तेदार भी हो।

2. वह पड़ोसी जो अजनबी हो लेकिन पड़ोसी हो।

3. वह व्यक्ति जो किसी मौक़े पर साथ रहने की वजह से पड़ोसी बन जाए।

क़ुरआन ने "क़ुर्बत" (नज़दीकी) की कोई एक ही परिभाषा नहीं दी, बल्कि इसका दायरा बहुत बढ़ा दिया है। कोई व्यक्ति रिश्तेदार होने की वजह से क़रीब हो सकता है, तो कोई और धर्म, भाषा, इलाक़ा या किसी और रिश्ते की वजह से प्राथमिक तवज्जो का अधिकारी हो सकता है। इस तरह उसकी सेवा करने में दो अधिकार अदा होंगे — एक पड़ोसी होने का अधिकार और दूसरा क़ुर्बत (नज़दीकी) का अधिकार।

पड़ोसी होना इतना अहम है कि अगर किसी और तरह का रिश्ता न भी हो और वह बिल्कुल अजनबी क्यों न हो, तब भी उसका अधिकार बाक़ी रहता है। उसका धर्म कोई भी हो, वह कोई भी भाषा बोलता हो, वह किसी भी इलाक़े का रहने वाला हो, हर हाल में सिर्फ़ उसका पड़ोसी होना यह मांग करता है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए।

ऊपर जिन दो तरह के पड़ोसियों का ज़िक्र हुआ, यानी क़रीबी पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी, वे स्थायी पड़ोसी (permanent neighbours) की श्रेणी में आते हैं, जब तक कि वे अपनी रहने की जगह न बदल लें। लेकिन क़ुरआन ने इस आयत में एक तीसरी क़िस्म को भी शामिल किया है, जो अस्थायी (temporary) तौर पर पड़ोसी बन जाए, फिर भी पड़ोसी होने की हैसियत से अच्छे बर्ताव का अधिकारी है।

पड़ोसियों की इस तीसरी ख़ास क़िस्म की व्याख्या में क़ुरआन की तफ़्सीर करने वाले तीन उलमा ने जो बातें लिखी हैं, उन्हें यहां बयान किया जा रहा है।

एक तफ़्सीर लिखने वाले विद्वान ने लिखा है :

"यह वह व्यक्ति है जो अस्थायी तौर पर किसी सफ़र या किसी मौक़े पर साथी और पास बैठने वाला बन गया हो।"

दूसरे विद्वान के शब्दों में :

"वह जो थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से साथी बन गया हो। जैसे सफ़र के दौरान साथ बैठा या खड़ा हो, या किसी महफ़िल (बैठक) या किसी लाइन में आपके पास खड़ा हो।"

तीसरे विद्वान ने इसकी व्याख्या इस तरह की है :

"इससे मतलब पास बैठने वाला दोस्त भी है और वह शख़्स भी, जिससे किसी वक़्त किसी जगह आपका साथ हो जाए। जैसे आप बाज़ार जा रहे हों और कोई व्यक्ति आपके साथ चल रहा हो, या किसी दुकान पर आप सामान ख़रीद रहे हों और कोई दूसरा ख़रीदार आपके पास बैठा हो, या सफ़र के दौरान कोई व्यक्ति आपका हम-सफ़र बन गया हो।"

क़ुरआन में बताई गई यह तीसरी क़िस्म पड़ोसी के दायरे को बहुत व्यापक कर देती है, और इस तरह ज़्यादातर लोग एक-दूसरे के सद् व्यवहार के हक़दार ठहरते हैं।

यह सवाल भी बहुत अहम है कि पड़ोसियों के साथ अच्छे सुलूक में कौन-कौन सी बातें शामिल हैं।

इसका जवाब अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने अपनी हदीसों में विस्तार से दिया है। इनमें ये बातें आती हैं :

- उनकी ज़रूरतें पूरी करना,
- उनके साथ अच्छा बर्ताव करना,
- उनके दुख-दर्द में शामिल होना और जहाँ तक हो सके उनकी सहूलत का इंतिज़ाम करना,
- उनकी इज़्ज़त करना।

और आख़िरी बात यह कि अगर हम उनकी मदद नहीं कर सकते, तो कम से कम उन्हें कोई तकलीफ़ न पहुंचाएं।

एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) से पूछा कि उसे कैसे मालूम हो कि वह नेक इनसान है?

अल्लाह के रसूल (सल्ल०)ने जवाब दिया :

"अगर तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें अच्छा कहे तो तुम अच्छे हो, और अगर वह तुम्हें बुरा कहे तो तुम बुरे हो।"

एक दूसरी हदीस का मतलब यह है :

"जो व्यक्ति अपने पड़ोसी के साथ अच्छा नहीं है, वह ईमान वाला नहीं है।"

इस तरह पड़ोसी इंसान के ईमान और अमल का असली इम्तिहान (Litmus Test) है। ■■

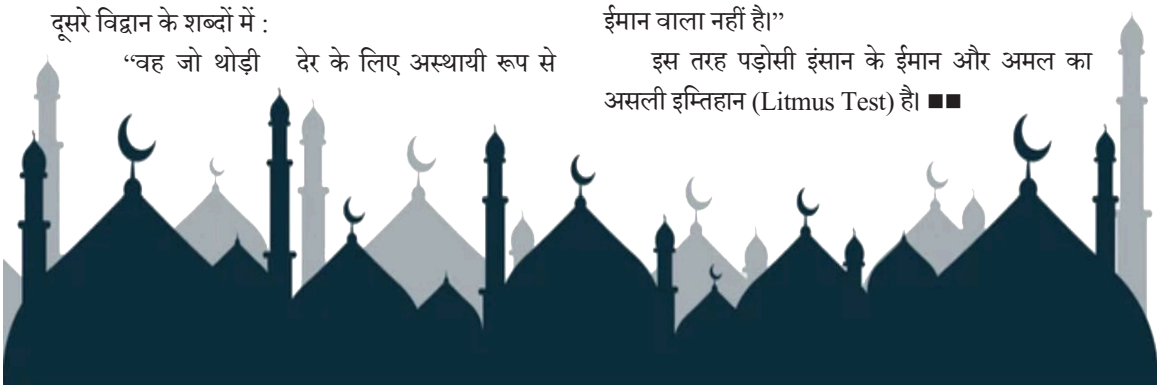

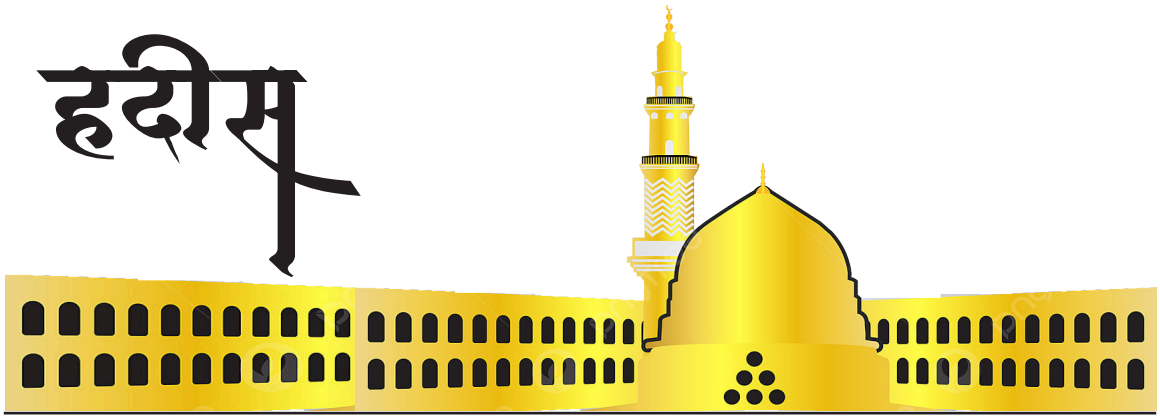

हदीस में पड़ोसियों के अधिकार की ताकीद

मुहम्मद शकील शम्सी

वैसे तो सभी धर्मों में इन्सान को इन्सान के साथ अच्छा व्यवहार करने की किसी न किसी रूप में शिक्षा दी गई है, लेकिन इस विषय पर इस्लाम की हिदायतें बिल्कुल अलग और अद्वितीय हैं। इस्लाम इसे केवल उपदेश या हिदायत तक सीमित नहीं करता बल्कि इनसान पर इनसान की नज़दीकी के आधार पर उसके अधिकार क़ायम करता है, जैसे—मां-बाप के अधिकार, रिश्तेदारों के अधिकार, अनाथ बच्चों के अधिकार इत्यादि। इन्हीं अधिकारों में एक बड़ा और अहम अधिकार पड़ोसी का है।

अधिकार का क़ायम होना अपने आप में यह स्पष्ट करता है कि यह फ़र्ज़, अर्थात अनिवार्य कर्म है, केवल एक पसंदीदा काम नहीं। अगर इसकी अदायगी न की जाए तो यह सख़्त गुनाह है। यानी कोई मुसलमान अगर अपने पड़ोसी के साथ अच्छा सुलूक करता है, तो वह उसपर कोई एहसान नहीं करता बल्कि यह उसका फ़र्ज़ है जिसे अदा करना ही है।

पड़ोसी के बारे में सब से अहम हिदायत यह है कि धर्म, जाति, रंग, नस्ल, भाषा, ऊंच-नीच, अमीरी-ग़रीबी की बुनियाद पर किसी भी तरह का फ़र्क़ या भेदभाव नहीं करना चाहिए। पड़ोसी के अधिकार क़ायम होने के लिए केवल इनसान होना ही काफ़ी है। अब देखना यह है कि वे कौन से अधिकार हैं जो एक पड़ोसी के दूसरे पड़ोसी पर क़ायम होते हैं। इस सिलसिले में बहुत सी हदीसें मौजूद हैं, उनमें से कुछ का यहां ज़िक्र किया जाता है।

कुछ बातें आम अहमियत रखती हैं और कुछ खास अहमियत की होती हैं। किसी हुक्म या क़ानून की ख़ास अहमियत दिखाने के लिए बार-बार उसकी ताकीद की जाती है, ताकि लोग उसे बुनियादी हुक्म समझें और उस पर अमल करें, और किसी भी हालत में उसे नज़रअंदाज़ न करें। पड़ोसी के अधिकार की अदायगी भी उन्हीं अहम हुक्मों में से एक है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "जिब्रील पड़ोसी के अधिकार के बारे में मुझे इतनी बार ताकीद करते रहे कि मुझे गुमान होने लगा कि शायद पड़ोसी को भी विरासत (मीरास) में हिस्सा दिला देंगे।" (बुख़ारी : 6015)

यह ग़ौर करने का विषय है कि विरासत में तो असल में केवल मां-बाप और औलाद ही हिस्सेदार होते हैं। यानी पड़ोसी का रिश्ता इतना क़रीबी बताया गया है जैसे सगे रिश्ते का हो। इस हदीस से पड़ोसी के साथ ताल्लुक की अहमियत साफ़ होती है। इसलिए पड़ोसी के साथ वैसा ही सुलूक करने का हुक्म है जैसा अपने क़रीबी रिश्तेदार से।

पड़ोसी का दूसरा बड़ा और बुनियादी अधिकार यह है कि उसका एहतिराम (सम्मान) किया जाए। आज के इस भौतिकवाद के युग में, जहां इनसान का एहतिराम नाममात्र रह गया है, यहाँ तक कि मां-बाप का भी एहतिराम कम हो गया है, और हालत यह है कि बहुत से लोग अपने बुढ़ापे के दिन वृद्धाश्रम (Old Age Home) में गुज़ारने पर मजबूर हैं—वहां यह आदेश कि पड़ोसी का न केवल ख़याल रखो बल्कि उसका एहतिराम करो, बहुत अहमियत रखता है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "जो शख़्स अल्लाह पर और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता हो, उसे चाहिए कि अपने पड़ोसी की इज़्ज़त करे।" (बुख़ारी : 6018)

धर्म, जाति, रंग, नस्ल और अमीरी-ग़रीबी से ऊपर उठकर हर इनसान का यह बुनियादी अधिकार है कि उसका एहतिराम किया जाए। ख़ुद क़ुरआन में अल्लाह तआला फ़रमाता है: "हमने आदम की औलाद को इज़्ज़त और बड़ाई वाला बनाया।" (बनी इस्राईल : 70) अगर एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की और उसके परिवार की इज़्ज़त करे तो उनके बीच भरोसे का रिश्ता क़ायम होता है। यही रिश्ता पड़ोस में इज़्ज़त,

वक़ार और सुरक्षा की भावना के साथ रहने की बुनियाद बनाता है।

पड़ोसी का तीसरा बुनियादी अधिकार यह है कि इनसान अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुंचाए और पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित रहे। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया: "अल्लाह की क़सम! वह शख़्स मोमिन नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित न हो।" (बुख़ारी : 6016)

एक दूसरी हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया: "वह शख़्स जन्नत में दाख़िल नहीं होगा जिसका पड़ोसी उसकी शरारतों से सुरक्षित न हो।" (मुस्लिम : 172)

आज के इस फ़ितनों वाले दौर में, हम पड़ोसी की परेशानियों का ख़याल रखना तो भूल ही चुके हैं, बल्कि जान-बूझकर उन्हें तकलीफ़ पहुंचाने से भी नहीं चूकते। आज ख़ुदग़र्ज़ी और स्वार्थ का आलम यह है कि हमें केवल अपने काम से मतलब है, चाहे हमारे काम से पड़ोसी या किसी और को कितनी भी परेशानी हो। जैसे—घर का गंदा पानी सड़कों पर बहाना, कूड़ा सड़क पर या किसी के दरवाज़े पर डाल देना, किसी के घर के सामने गाड़ी खड़ी कर देना, पड़ोस की औरतों पर बुरी नज़र डालना, दुकान को अपनी हद से आगे सड़क पर निकालना या ठेला बीच सड़क पर लगाना, जिससे राहगीरों को तकलीफ़ और ट्रैफ़िक जाम हो जाए, घर में बहुत ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक बजाना, देर रात सड़कों पर शोर मचाना, जिससे दूसरों को परेशानी हो।

ये सब आज इतना आम हो चुका है कि लोगों के दिलों से इनकी बुराई का एहसास तक ख़त्म हो गया है, जबकि इस्लाम ने इन सबसे सख़्ती से रोका है। आजकल फ़्लैटों में रहन-सहन आम है जहां दीवार और छतें साझा होती हैं। अक्सर देखा जाता है कि दीवार में कील ठोकने की "टक-टक" आवाज़ से पड़ोसी परेशान होने लगते हैं, जो कि सही रवैया नहीं है। इस बारे में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) की ख़ास हदीस है : "कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी की साझा दीवार में लकड़ी (या कील वग़ैरह) ठोकने से न रोके।"

(मुस्लिम : 4130)

ये सब ऐसे गुनाह हैं कि इनसे जन्नत से महरूमी लाज़िम आती है, जैसा कि ऊपर की हदीस में आया। क्योंकि यह पड़ोसी के अधिकार का हनन है और किसी का अधिकार दबाना बड़ा गुनाह है।

पड़ोसी का चौथा अधिकार है कि उसकी देखभाल करना और हाल-चाल लेना। यानी यह देखा जाए कि कहीं उसके बच्चे भूखे तो नहीं सो रहे हैं, या वह ख़ुद किसी आर्थिक मुश्किल में तो नहीं है, या उस पर कोई मुसीबत तो नहीं आई है। हदीस में इसकी बड़ी ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "वह शख़्स मोमिन नहीं जो ख़ुद तो पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए।"

(अल-सिलसिलातुस्सहीहा : 387)

आज के इस भौतिकवादी दौर में, जहां हम ज़्यादा से ज़्यादा माल जमा करने के चक्कर में पड़ोसी की ख़बर-गीरी को भूल चुके हैं, यह याद रखना चाहिए कि पड़ोसी की देखभाल करना भी हमारे फ़र्ज़ में से है। और इसमें कोताही पर हम अल्लाह के यहां जवाबदेह होंगे। आज तो हालत यह है कि बहुत से लोगों को यह तक नहीं मालूम होता कि उनके पड़ोस में कौन रहता है और उनके घर का क्या हाल है। अल्लाह तआला ने हर मुसलमान पर यह ज़िम्मेदारी डाली है कि वह अपने पड़ोसियों के हालात से वाक़िफ़ रहे और अगर उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हों तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मदद करे।

मुहब्बत बढ़ाने के लिए उपहार देना बहुत प्रभावशाली तरीक़ा है। ज़रूरी नहीं कि उपहार महँगा हो। उपहार तो इस बात की निशानी है कि सामने वाले के दिल में भी हमारे लिए जगह है। यही एहसास रिश्तों को मज़बूत करता है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया : "कोई पड़ोसन अपनी पड़ोसन को मामूली चीज़ भी उपहार में दे तो वह उसे कमतर न समझे।" (बुख़ारी : 2566, 6017) एक दूसरी हदीस में है: "जब तुम गोश्त (या कोई भी ख़ास चीज़) पकाओ तो उसमें पानी डालकर (या किसी और तरह) थोड़ा बढ़ा लिया करो और अपने पड़ोसियों का ख़याल रखो।"

(तिर्मिज़ी : 1833)

इस तरह की छोटी-छोटी बातें रिश्तों को मज़बूत बनाने में बहुत कारगर साबित होती हैं। इस तरह की और भी बहुत-सी हदीसें हैं जिनमें पड़ोसियों के अधिकार अदा करने और उनके साथ अच्छे ताल्लुक़ात बनाए रखने की सख़्त ताकीद की गई है। इन सारी हिदायतों का असल मक़सद यह है कि समाज में—जहां हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं—सुख, शांति, सहानुभूति, प्यार, मुहब्बत, सुरक्षा के एहसास और आपसी भरोसे का माहौल बना रहे। ■■



पड़ोसियों के अधिकार : इस्लामी सभ्यता की एक अनूठी विशेषता

सय्यद सआदतुल्लाह हुसैनी, अध्यक्ष जमाअत इस्लामी हिन्द

पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करना, इस्लाम के उन बुनियादी अहकाम में शामिल है जिनका ज़िक्र क़ुरआन मजीद में अल्लाह ने ख़ास तौर पर किया है :

"और तुम सब अल्लाह की बन्दगी करो, उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो। रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ सद्व्यवहार करो और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी पड़ोसी से, पहलू के साथी और मुसाफ़िर से और उन ग़ुलामों से जो तुम्हारे अधीन हों, अच्छे व्यवहार का मामला रखो, विश्वास करो कि अल्लाह किसी ऐसे आदमी को पसन्द नहीं करता जो अपने अहंकार में चूर हो और अपनी बड़ाई पर घमंड करे।"

(क़ुरआन, सूरा-4 अन-निसा, आयत—36)

इस आयत में तीन तरह के पड़ोसियों का ज़िक्र है:

1. रिश्तेदार पड़ोसी,
2. अजनबी पड़ोसी,
3. अस्थायी पड़ोसी (transient neighbour) – जैसे सफ़र में, काम की जगह पर, सड़क पर साथ चलने वाला या साथ काम करने वाला।

इन सबके बारे में अच्छे बर्ताव का हुक्म दिया गया है।

आधुनिक पश्चिमी दर्शन का केन्द्र बिन्दु "व्यक्ति" और उसके अधिकार हैं। इन दर्शनों की मुख्य विशेषता एक व्यापक प्रकार की व्यक्तिवादिता (individualism) है। इस सोच के परिणामस्वरूप जो स्वाभाविक रवैये पैदा हुए, उनमें व्यक्ति की असीम स्वतंत्रता और उसके अधिकारों पर अत्यधिक ज़ोर दिया जाने लगा। अब लोगों के बीच रिश्तों को केवल निजी लाभ, और उसे नियंत्रित करने वाले क़ानूनों और समझौतों के नज़रिए से देखा जाने लगा। क़ानून हों या नैतिक विचार—दोनों में पूरा ज़ोर इस बात पर है कि व्यक्ति को किसी भी तरह की दख़लअंदाज़ी (intrusion) या परेशानी से बचाया जाए।

पड़ोसी के संबंध में जो नैतिक अवधारणाएं बची हैं, उनका सार बस इतना रह गया है कि हर व्यक्ति की अपनी निजी जगह (space) और अपनी संपत्ति (property) है, जिसमें किसी और को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, और न ही किसी के व्यवहार से दूसरे को कोई तकलीफ़ पहुंचनी चाहिए। अर्थात, दूसरों के साथ संबंध सिर्फ़ इस नैतिक सिद्धांत तक सीमित हो गया है कि—"आपके किसी काम से किसी को नुक़सान न पहुंचे।" अगर आप किसी को नुक़सान पहुंचाए बिना अपनी दुनिया में मस्त रहें, तो उसे नैतिक या क़ानूनी दृष्टि से ग़लत नहीं माना जाता।

इस पृष्ठभूमि में, पड़ोसी से संबंधित इस्लाम की शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। इस्लाम ने जिस तरह परिवार के सदस्यों को एक निश्चित क़ानूनी और नैतिक अधिकार दिया है, उसी तरह पड़ोसी को भी एक तरह की क़ानूनी और धार्मिक हैसियत दी है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया : "क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने जो पहला मुक़दमा पेश होगा, वह पड़ोसियों के बीच का होगा।"

इस सदी की तकनीकी क्रांति ने इस स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है। हर तकनीक अपनी सांस्कृतिक और सभ्यतागत ज़मीन की उपज होती है। हमारे दौर की तकनीक पर भी पश्चिमी विचारधारा और सभ्यता की गहरी छाप है। इसलिए, इस तकनीक ने व्यक्तिवाद, दूसरों से बे-रुख़ी, उदासीनता और सर्दमहरी को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। स्क्रीन के ज़रिए पैदा हुई तन्हाई (screen-mediated solitude) ने दुनिया के लगभग सभी शहरी समाजों में यह स्थिति पैदा कर दी है कि लोग सालों तक एक-दूसरे के बिल्कुल पास रहते हैं, लेकिन एक-

दूसरे से पूरी तरह अनजान और बेख़बर रहते हैं।

इस पृष्ठभूमि में, पड़ोसी से संबंधित इस्लाम की शिक्षाओं की आज पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है। इस्लाम ने जिस तरह परिवार के सदस्यों को एक निश्चित क़ानूनी और नैतिक अधिकार दिया है, उसी तरह पड़ोसी को भी एक तरह की क़ानूनी और धार्मिक हैसियत दी है। हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया : "क़ियामत के दिन अल्लाह के सामने जो पहला मुक़दमा पेश होगा, वह पड़ोसियों के बीच का होगा।"[1] (अर्थात—क़ियामत के दिन सबसे पहले पड़ोसियों के झगड़े का फ़ैसला होगा।)

आप (सल्ल.) ने यह भी फ़रमाया: "जिबरील (अलैहिस्सलाम) ने मुझे पड़ोसी के साथ भलाई करने की इतनी बार ताकीद की कि मुझे लगा कहीं उसे विरासत में हिस्सा न दे दिया जाए।"[2]

इसका कारण यह है कि इस्लाम का सामाजिक मॉडल केवल सुरक्षित व्यक्तियों (protected individuals) या सुरक्षित परिवारों (protected households) पर केंद्रित नहीं है। यह तो उसका एक हिस्सा है, लेकिन इस्लामी समाज का असली गुण है—साझी ज़िम्मेदारी, सामूहिक सुरक्षा, परस्पर सहयोग, एक-दूसरे की मदद और भलाई का जज़्बा।

पड़ोसी का हक़ यह है कि उसकी ग़ैर मौजूदगी में उसकी इज़्ज़त की रक्षा करो, और उसकी मौजूदगी में उसका आदर करो – हर हाल में उसकी मदद और सहायता करो।

इस्लामी नैतिकता में यह ज़रूर कहा गया है कि—"अपने पड़ोसी को नुक़सान मत पहुंचाओ।" लेकिन यह सिर्फ़ एक हिदायत नहीं है, बल्कि पहली हिदायत है। इसके साथ-साथ यह भी शामिल है कि—"पड़ोसी को फ़ायदा पहुंचाओ," "उसे आराम दो," "उसकी मुश्किलें दूर करो," और "हर संभव तरीक़े से उसकी भलाई चाहो।"

आज जिन लोगों को सभ्य और सुसंस्कृत माना जाता है, वे पड़ोसियों के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते, लेकिन उनसे पूरी तरह बे-रुख़ी और अनजानापन रखते हैं। ऐसे रवैये को आज के समाज में नैतिक कमी या दोष नहीं माना जाता। लेकिन इस्लामी सभ्यता में इसे एक नैतिक कमी (ethical flaw) समझा गया है कि इंसान अपने पड़ोसी या आस-पास रहने वाले से बिल्कुल बे-ताल्लुक़ (असंबंधित) रहे और उसके हालात और ज़रूरतों से बेख़बर बना रहे। पड़ोसी का पहला हक़ यही है कि उससे पहचान बनाई जाए, उसकी स्थिति और हालात को समझा जाए, और उसकी ख़बरगीरी की जाए। (यानी उसकी भलाई, ज़रूरतों और परेशानियों की जानकारी रखी जाए।) इस पहले क़दम के बिना वह अच्छा बर्ताव (हुस्ने-सुलूक) मुमकिन ही नहीं, जिसकी इस्लाम तालीम देता है।

नबी (सल्ल.) ने फ़रमाया : "क़ियामत के दिन कितने ही पड़ोसी ऐसे होंगे जो अपने पड़ोसी से शिकायत करते हुए कहेंगे, 'ऐ मेरे रब! इसने अपना दरवाज़ा मेरे लिए बंद रखा और मुझे अपनी भलाई और मदद से वंचित रखा।'"[3]

एक दूसरी मशहूर हदीस में आपने बहुत सख़्त अल्फ़ाज़ में फ़रमाया : "वह व्यक्ति मोमिन नहीं, जो ख़ुद पेट भरकर खाए जबकि उसका पड़ोसी उसके पास भूखा हो।"[4] इस हदीस से हमदर्दी (सहानुभूति) के साथ-साथ ख़बरगीरी की अहमियत भी मालूम होती है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बे-ताल्लुक़ रहेगा, तो उसे यह पता ही नहीं चलेगा कि उसका पड़ोसी किस हाल में है। इसी तरह यह हदीस सिर्फ़ भूख के मामले पर ही लागू नहीं होती, बल्कि बीमारी, अकेलापन, बुढ़ापे की परेशानियां, या किसी पर ज़ुल्म होने जैसी स्थितियों में भी पड़ोसी के हालात जानना और ज़रूरत पड़ने पर उसकी मदद के लिए आगे बढ़ना ये सब पड़ोसी के हक़ में शामिल है।

पड़ोसी के हालात से वाक़िफ़ रहने और बे-रुख़ी से बचने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी की निजी ज़िंदगी में दख़ल दिया जाए या अनावश्यक हस्तक्षेप (intrusion) को अपना तरीक़ा बना लिया जाए। कई पूर्वी समाज (Eastern societies) इस दूसरी अति (चरमपंथ) में फंसे रहते हैं, जहां लोग दूसरों के मामलों में हद से ज़्यादा दख़ल देने लगते हैं।

हर मामले की तरह इस मामले में भी इस्लाम संतुलन और एतिदाल (मध्यम मार्ग) की शिक्षा देता है। क़ुरआन मजीद में घरों में प्रवेश के बारे में स्पष्ट हिदायत दी गई है : "ऐ ईमान लाने वालो! अपने घरों के सिवा किसी और के घर में दाख़िल मत हुआ करो, जब तक कि घर वालों से इजाज़त न ले लो और उन पर सलाम न भेज दो।" (क़ुरआन, सूरह-24 अन-नूर, आयत-27)

इस्लाम ने पड़ोसी के अधिकारों का एक विस्तृत चार्टर दिया है। हदीसों में सिर्फ़ पड़ोसी की ख़बरगीरी और उसकी मदद करने पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी ज़ोर दिया गया है कि, उसके राज़ों की हिफ़ाज़त की जाए, उसकी कमज़ोरियों पर पर्दा डाला जाए, उसकी इज़्ज़त और आबरू की रक्षा की जाए, और उसके साथ भलाई और एहसान का बर्ताव किया जाए।

शिया स्रोतों (Shia sources) में इमाम ज़ैनुल आबिदीन (रहमतुल्लाह अलैह) का "रिसालतुल-हुक़ूक़" (अधिकारों की पुस्तिका) बहुत मशहूर है। इस किताब में बहुत ख़ूबसूरत भाषा और असरदार अंदाज़ में पचास अधिकारों की दिलकश व्याख्या की गई है। उसमें पड़ोसी के हक़ से संबंधित हिस्सा, इस्लामी दृष्टिकोण से पड़ोसी के अधिकारों की पूरी अवधारणा का सार (संपूर्ण निचोड़) माना जा सकता है।

पड़ोसी का हक़ यह है कि उसकी ग़ैर-मौजूदगी में उसकी

इज़्ज़त की रक्षा करो, और उसकी मौजूदगी में उसका आदर करो— हर हाल में उसकी मदद और सहायता करो। उसके राज़ के टोह में मत रहो और न उसकी कमज़ोरियां तलाश करो। अगर अनजाने में तुम्हें उसका कोई दोष पता भी चल जाए, तो उसके लिए ऐसा मज़बूत क़िला और मोटी ढाल बन जाओ कि किसी तरह उसका वह राज़ बाहर न जा सके।

उसकी बेख़बरी में उसकी बातों को छिपकर मत सुनो और उसे कठिनाइयों और मुश्किलों में अकेला छोड़कर अलग मत हो जाओ। जब उसके पास कोई नेमत या भलाई दिखे तो उस पर ईर्ष्या मत करो। उसकी ग़लतियों पर पर्दा डालो और उसके गुनाहों से आंखें फेर लो। अगर वह तुम्हारे बारे में कोई नादानी भरी हरकत कर दे तो भी अपनी ओर से उसे वंचित मत करो।

पड़ोसी के लिए अच्छाई और सलामती का सबब बनो। यदि वह किसी की साज़िश का शिकार हो तो आगे बढ़कर उसके ख़िलाफ़ फ़रेब और चालों को नाकाम बनाओ। उसके साथ शरीफ़ाना और करीमाना व्यवहार करो, और यह जान लो कि ताक़त और कामयाबी तो बस अल्लाह ही की तरफ़ से है।

यह ख़ूबसूरत आचारसंहिता उन पड़ोसियों पर भी लागू होती है जो हमारे घरों के नज़दीक रहते हैं और उन "असहाबुल जनब" पर भी, यानी वे लोग जो किसी भी स्तर पर हमारे साथ काम करते हैं या हमारे साथ ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं।

यह बात भी साफ़ समझ लेनी चाहिए कि पड़ोसियों के बीच किसी तरह का भेदभाव या भलाई के व्यवहार में कोई चयन (चयनात्मकता) इस्लाम को पसंद नहीं है। आम तौर पर लोग अपने आस-पास के उन व्यक्तियों से घनिष्ठ संबंध बनाना पसंद करते हैं जो हम-मिज़ाज, हम-ख़याल हों या एक ही पेशे (profession) से जुड़े हों। कई बार लोग नज़दीकी रिश्तों के लिए सामाजिक दर्जे (status) की समानता भी देखते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने साफ़ फ़रमाया कि ये सारे ख़ुद बनाए हुए मापदंड (self-made standards) सही नहीं हैं। इस्लाम के अनुसार तरजीह (preference) का आधार केवल घर के दरवाज़े की निकटता है। आप (सल्ल.) ने फरमाया : "तरजीह उसी को है जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े के ज़्यादा क़रीब हो।"[5]

ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसी से भी अच्छे संबंध रखना इस्लाम की शिक्षा है। यहां बताए गए सभी अधिकार उनके लिए भी समान रूप से लागू होते हैं। इसी तरह ग़रीब पड़ोसी को भी बिल्कुल वही अधिकार हासिल हैं। शानदार इमारतों के पास बनी झुग्गी-झोंपड़ियां, बिल्डिंगों में वॉचमैन के कमरे, या नौकरों के क्वार्टर —इन सबको भी पड़ोसी समझना और बराबरी का व्यवहार करना ज़रूरी है।

आदर्श पड़ोस (Ideal Neighbourhood), आदर्श इस्लामी सभ्यता की पहली सीढ़ी है। अगर पड़ोस आदर्श नहीं होगा तो न आदर्श राज्य (Ideal State) बन सकता है, न आदर्श समाज (Ideal Civilization)। इसलिए ज़रूरी है कि हम हर संभव कोशिश करें कि मुस्लिम समाज "इस्लामी पड़ोस" का सच्चा प्रतिनिधि बने, जो अपने आचरण से इस्लामी संस्कृति के सुंदर रूप को दुनिया के सामने दिखाए, और लोगों को उसकी भलाई और आकर्षण की तरफ़ प्रेरित करे। ■■

संदर्भ सूची (हदीस के स्रोत)

1. मुसनद अहमद (17372) — (सहीह अल-जामे, हदीस : 2563)
2. अबू दाऊद (5152), तिर्मिज़ी (1943), मुसनद अहमद (6496) — (सहीह तिर्मिज़ी, हदीस : 1943)
3. अल-अदब अल-मुफ़रद / किताब अल-जार / हदीस : 111 — (सहीहा, हदीस: 2646)
4. सुनन अल-बैहक़ी (20160) — (सिलसिला अहादीस सहीहा / अल-आदाब वल-इस्तेज़ान, हदीस : 2828)
5. सहीह बुख़ारी / हदीस : 2259

रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदलने का फ़ार्मूला

क़ुरआन में कहा गया–"भलाई और बुराई बराबर नहीं है। तुम बुराई को उस भलाई से दूर करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी दुश्मनी हो गई थी, वह जिगरी दोस्त बन गया है।" (क़ुरआन, 41:34)

रिश्तों की कड़वाहट को मिठास में बदलने के लिए क़ुरआन में यह नुस्ख़ा बताया गया। पहली बात यह कही गई की भलाई और बुराई बराबर नहीं है। अर्थात् तुम्हारे विरोधी बुराई का कैसा ही भयानक तूफ़ान उठा लाए हों, जिसके मुक़ाबले में भलाई बिल्कुल विवश और बेबस महसूस होती हो, लेकिन बुराई अपने आप में अपने अंदर वह कमज़ोरी रखती है जो अंततः उसका भट्टा बिठा देती है। दूसरी बात यह कही गई कि बुराई का मुक़ाबला सिर्फ़ भलाई से नहीं, बल्कि बहुत ऊंचे दर्जे की भलाई से करो। तुम से जो बुरा व्यवहार करे तुम मौक़ा आने पर उसके साथ उपकार करो। इसका नतीजा यह बताया गया है कि सबसे बड़ा दुश्मन भी अंततः जिगरी दोस्त बन जाएगा, इसलिए कि यही इंसानी स्वभाव है। गाली के जवाब में अच्छी दुआ और हानि पहुंचाने के जवाब में लाभ पहुंचाना ऐसी भलाई है जिसके मुक़ाबले में कोई शरारत मुश्किल ही से खड़ी रह सकती है।

एक दूसरे स्थान पर कहा गया–

"ऐ नबी! तुम बुराई को उस भलाई से दूर करो जो उत्तम हो। जो कुछ बातें वे तुम पर बनाते हैं, हमें ख़ूब मालूम हैं। और दुआ करो कि "पालनहार! मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी शरण मांगता हूं, बल्कि ऐ मेरे रब! मैं तो इससे भी तेरी पनाह मांगता हूं कि वे मेरे पास आएं।" (क़ुरआन, 23:96-98)

पड़ोसी तो पड़ोसी है, चाहे वह किसी भी मज़हब का हो

डॉ. मुहम्मद रज़ीउल इस्लाम नदवी

दुनिया परीक्षा भवन है और ज़िंदगी इम्तिहान का परचा। इस इम्तिहान के कई हिस्से हैं; एक हिस्सा अगर हमारे रिश्तेदार हैं, तो दूसरा हिस्सा हमारे पड़ोसी। इस इम्तिहान में कामयाबी के लिए ईमान पहली शर्त है। ईमान की कुछ लाज़िमी तक़ाज़े हैं, जिनमें से अहम तक़ाज़ा पड़ोसी से अच्छा बरताव है। पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखना हमारी सामाजिक ज़रूरत है, लेकिन इससे आगे बढ़कर यह हमारा धार्मिक कर्तव्य भी है।

अच्छे पड़ोस की चाहत रखने का अधिकार उन्हीं को है जो एक अच्छा पड़ोसी बनने का साहस रखते हों। एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए अपने अंदर के इंसान को बेहतर बनाना होता है। हृदय में कटुता के स्थान पर पवित्रता, घृणा के स्थान पर प्रेम, द्वेष के स्थान पर सद्भावना और स्वार्थ के स्थान पर त्याग हो।

जबकि अच्छा पड़ोस बनाने के लिए अपने बाहर के माहौल को बेहतर बनाना होता है। पड़ोस में शोर-गुल की जगह शांति, गंदगी की जगह साफ़-सफ़ाई, अपशब्दों की जगह साफ़-सुथरी भाषा और अव्यवस्था की जगह व्यवस्था हो।

जो लोग मधुर वातावरण में रहना चाहते हैं, वे अच्छे पड़ोसी और अच्छे पड़ोस की तलाश में रहते हैं। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्हें बिना प्रयास किए अच्छा पड़ोस मिल जाए, और वे मानवता के उपकारक हैं जो एक अच्छा पड़ोस बनाने का कार्य अपने ऊपर ले लेते हैं।

अच्छा पड़ोस मिले तो आपको उसकी क़दर करनी चाहिए, और अगर न मिले तो आपको अपने पड़ोस को बेहतर बनाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए।

पड़ोस का रिश्ता एक स्थायी रिश्ता है। अगर आपके पड़ोसी का आपसे कोई और रिश्ता न भी हो, तो भी वह पड़ोसी का रिश्ता रखता है। अगर वह आपके धर्म का नहीं है, तो भी वह पड़ोसी है, और हर पड़ोसी के साथ एक अच्छा पड़ोसी बनना आपकी धार्मिक ज़िम्मेदारी है। धर्म के आधार पर पड़ोसियों के बीच भेदभाव न करना इस्लाम की गौरवशाली परंपरा का हिस्सा है।

इमाम इब्ने हजर (रह.) कहते हैं — "पड़ोसी शब्द में ये सभी शामिल हैं: मुस्लिम और गैर-मुस्लिम, इबादतगुज़ार और नाफ़रमान, दोस्त और दुश्मन, अजनबी और मकामी, लाभकारी और हानिकारक, रिश्तेदार और अजनबी, क़रीबी परिवार का सदस्य और दूर परिवार का सदस्य। उनके स्तर भिन्न हो सकते हैं।"

इमाम हसन बसरी (रह.) का मानना था कि क़ुर्बानी के जानवर के गोश्त में से किसी यहूदी या ईसाई पड़ोसी को खिलाया जा सकता है।

एक बार पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के साथी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ि.) के घर में एक बकरी ज़ब्ह हुई। आपने साथी से पूछा — "क्या तुमने मेरे यहूदी पड़ोसी को इसका हदिया (तोहफ़ा) भेजा है?" मैंने पैग़म्बर (सल्ल.) को यह कहते सुना — "जिब्रील मुझे मेरे पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद से सलाह देते रहे कि मुझे लगा कि वह उसे वारिसों में शामिल कर देंगे।"

इस्लामी परंपरा में गैर-मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान गंभीरता से किया जाता है। इसका एक उदाहरण यह है कि हनफ़ी न्यायशास्त्र के प्रसिद्ध विद्वान अल्लामा इब्न नजीम (रह.) (मृत्यु 970 हिजरी) अपनी प्रसिद्ध पुस्तक अल-बहर अल-राएक में लिखते हैं — "यदि कोई मुसलमान किसी यहूदी या मजूसी को 'ऐ काफ़िर' कह दे और उसे यह बात बुरी लगे, तो वह मुसलमान गुनहगार है और उसे सज़ा दी जाएगी।" ■■

व्यावहारिक निर्देश

- **उपहार भेजने की व्यवस्था करें।**
- **आपसी बातचीत का माहौल बनाएं, ख़ामोशी तोड़ते रहें।**
- **उनके मन में बैठी ग़लतफ़हमियों को दूर करने के लिए समझदारी से काम लें।**
- **अपने अमल से उन्हें यह एहसास दिलाएं कि आप उन्हें अपना पड़ोसी समझते हैं।**
- **ऐसी कोई बात न कहें जिससे उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचे।**
- **अपनी ख़ुशियों में उन्हें शामिल करें और उनके दुःख में शरीक हों।**
- **आस-पड़ोस में जागरूकता फैलाएं कि धर्म के आधार पर पड़ोसियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।**
- **अगर आस-पड़ोस में कोई विवाद हो, तो हमेशा न्याय और निष्पक्षता की बात करें।**

पड़ोसी अधिकारों का सम्मान

सौहार्द और भाईचारे का मूल आधार

वारिस हुसैन

प्रसिद्ध अमेरिकी विद्वान बेंजामिन फ्रेंक्लिन का मशहूर कथन है—"अपनी बुराइयों से हमेशा लड़ते रहो, लेकिन अपने पड़ोसी के साथ शांति बनाए रखो।" इसका मतलब है कि लड़ाई अगर करनी है तो अपनी बुराइयों से करो, न कि पड़ोसी से। अगर पड़ोस में अशांति होगी तो तुम भी चैन से नहीं रह पाओगे।

इस्लाम हमें बुराइयों से लड़ना भी सिखाता है और पड़ोसियों के साथ शांति बनाए रखने की भी शिक्षा देता है। यह केवल शिक्षा ही नहीं देता बल्कि इसके लिए एक पूरी योजना भी प्रस्तुत करता है। पड़ोसियों के बारे में यह कहा गया है कि "तुम्हारा ईमान संदिग्ध है अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे परेशान है।" (हदीस : मुस्लिम) यानी, अगर कोई व्यक्ति पड़ोसियों के हक़ मारता है, उनपर ज़ुल्म करता है और उन्हें डराता है, तो वह अपने ईमान को ख़तरे में डाल रहा होता है।

इस्लाम की नज़र में पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते समाज के स्वस्थ विकास के लिए ज़रूरी हैं। असल में, इसका मक़सद एक ऐसा समाज बनाना है, जिसमें हर कोई एक-दूसरे के हक़ का ध्यान रखे, एक-दूसरे के दुख-दर्द में शरीक हो, त्याग और सहयोग की भावना रखे, रिश्तेदारों के अलावा बाक़ी लोगों के साथ भी अपनेपन का बर्ताव करे और सब मिलकर तरक़्क़ी की कोशिश करें। ऐसा आदर्श समाज पड़ोसियों के अधिकारों का उल्लंघन करके कभी नहीं बन सकता। अगर उनके अधिकार छिने जाएंगे तो वहां भाईचारा और सद्भावना पनप ही नहीं पाएगा। लोग पास-पास रहेंगे, लेकिन दिलों में दूरियां होंगी। दीवारें साथ होंगी, लेकिन दिलों में फ़ासला होगा। समाज तो होगा, मगर सामाजिकता नहीं होगी।

पड़ोसी कौन?

इंसानों के सारे रिश्ते उसी ईश्वर ने बनाए हैं, जिसने इस दुनिया की रचना की। उसी ने इंसानों को पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करने का आदेश दिया है और उनकी अलग-अलग श्रेणियां भी बताई हैं।

इस्लाम की दृष्टि में आस-पास रहने वाले रिश्तेदार तो पड़ोसी हैं ही, अजनबी भी पड़ोसी माने जाते हैं। यहां तक कि वे लोग भी पड़ोसी की श्रेणी में आते हैं जो कुछ समय के लिए हमारे पास रहते हैं—जैसे सफ़र में साथ चलने वाले यात्री, बाज़ार और रास्तों में पास से गुज़रने वाले लोग, दफ़्तर में साथ काम करने वाले या सोशल मीडिया पर जुड़े लोग।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का कथन है—"सारे इंसान अल्लाह का कुनबा हैं।" (हदीस) यह सारी मानवता को एक परिवार में जोड़ देता है। भाषा, रंग, नस्ल और मज़हब के फ़र्क मिटा देता है और हर उस व्यक्ति को पड़ोस की छाया में शामिल करता है जो स्थायी या अस्थायी रूप से हमारे साथ है। कुछ विद्वानों के अनुसार, चारों ओर चालीस घर तक पड़ोस में आते हैं, चाहे उनमें कोई भी रहता हो।

सामाजिक सद्भाव और पड़ोसियों के अधिकार

सामाजिक सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने में पड़ोसियों के अधिकार बेहद महत्वपूर्ण हैं। समाज में शांति और एकता की शुरुआत पड़ोस से ही होती है। पड़ोस ही वह इकाई है जिससे मिलकर शहर और फिर देश बनता है। यही वजह है कि पड़ोसियों के अधिकारों की रक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया कि फ़रिश्ता जिबरील बार-बार पड़ोसियों के अधिकारों की ताकीद करते रहे, यहां तक कि मुझे लगा कि शायद पड़ोसियों को भी विरासत में हिस्सा मिल जाएगा। (हदीस)

आइए इसे कुछ बिंदुओं में समझते हैं :

सामाजिक सुरक्षा का पहला घेरा : परिवार के बाद सबसे पहले पड़ोसी ही संकट में मदद करते हैं। चाहे बीमारी हो, आर्थिक ज़रूरत हो या कोई आपदा। शादी-ब्याह हो या किसी का देहांत, पड़ोसी ही पहले खड़े होते हैं। बड़े शहरों में, जहां रिश्तेदार नहीं होते, वहां अच्छे पड़ोसी सामाजिक सुरक्षा का सहारा बनते हैं। इसीलिए कहा गया है—"अपने पड़ोसी के लिए वही पसंद करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो।" (हदीस : मुस्लिम)

सामुदायिक सहयोग की नींव : पड़ोसियों के हक़ का ध्यान रखने से आपसी विश्वास और सहयोग बढ़ता है। छोटी-छोटी मदद (जैसे ज़रूरी चीज़ों का आदान-प्रदान) बड़े बदलाव की नींव रखती है। अच्छे पड़ोस से भाईचारा मज़बूत होता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया—"जब तुम्हारे पड़ोसी तुम्हें अच्छा कहें, तो जान लो कि तुममें अच्छाई है, और जब वे तुम्हें बुरा कहें, तो समझ लो कि तुममें बुराई है।" (हदीस : निसाई)

संघर्ष समाधान और शांति : छोटी-छोटी बातों (शोर,

पानी का रिसाव, गाड़ी की पार्किंग, कचरा आदि) से अक्सर झगड़े शुरू होते हैं। अगर पड़ोसी एक-दूसरे के अधिकार का ध्यान रखें तो ये झगड़े बढ़ते नहीं। बातचीत का रास्ता खुला रहता है और समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। सामाजिक शांति के लिए ज़रूरी है कि दिल बड़ा रखा जाए, भावनाओं का सम्मान किया जाए और माफ़ करना सीखा जाए।

सामाजिक एकता और भाईचारा : हमारे देश का समाज मिश्रित है, जहां अलग-अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं। पड़ोसियों के अधिकारों का सम्मान भेदभाव मिटाता है और सबको एक परिवार का हिस्सा महसूस कराता है।

नैतिक और धार्मिक शिक्षा की पाठशाला : अच्छा पड़ोस बहुत-सी ग़लतफ़हमियां मिटा देता है। इससे आपसी सम्मान और समझ बढ़ती है। यह एक जीवित पाठशाला की तरह है जो एक-दूसरे की आस्था और आदर्शों को समझने का अवसर देती है। पैग़म्बर (सल्ल.) ने हिदायत दी कि पड़ोसियों के साथ दयालु रहो, इसमें उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान भी शामिल है।

पड़ोसियों के मुख्य अधिकार

इस्लामी शिक्षाओं पर आधारित पड़ोसियों के अधिकारों की एक विस्तृत सूची है, जिसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सद्भाव और भाईचारे को मज़बूत करना है। इस्लाम हर उस काम को बढ़ावा देता है, जो इंसानों के बीच नज़दीकी और मुहब्बत बढ़ाए, और हर उस काम से रोकता है जिससे नफ़रत और दूरियां बढ़ें।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बताया कि उन्हें अल्लाह/ईश्वर ने इसलिए भेजा है ताकि वे लोगों में अच्छे आचरण और नैतिकता को जागृत करें और उसे ऊंचे से ऊंचे स्तर तक पहुंचा दें (हदीस)। उनका मक़सद इंसानों के आचरण को सुधारना और उन्हें एक-दूसरे का हितैषी बनाना है।

अगर इस्लाम में बताए गए पड़ोसियों के सभी अधिकारों को ध्यान से देखा जाए तो यह साफ़ दिखाई देता है कि ये सब इसी ईश्वरीय उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। कुछ मुख्य अधिकार इस प्रकार हैं–

सम्मान का अधिकार : क़ुरआन 49:11 में कहा गया कि आपस में मज़ाक़ न उड़ाओ। इस्लामी शरीअत के उद्देश्य में इंसान के जीवन और उसके आत्म-सम्मान की रक्षा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। इस्लाम सम्मान को इंसानों के मौलिक अधिकार के रूप में देखता है। पड़ोसियों का आदर करना, उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचाना, उनकी कमज़ोरियों पर पर्दा डालना, उनका अपमान न करना एक आदर्श इस्लामी समाज की पहचान है।

शांति और सुरक्षा का अधिकार : इस्लाम किसी को यह इजाज़त नहीं देता कि वह दूसरों को हानि पहुंचाए, उनकी सम्पति पर क़ब्ज़ा करे और उन्हें तकलीफ़ दे। इस्लाम दूसरों की निजता का सम्मान करना सीखता है और हर समय उनकी टोह में लगे रहने से रोकता है। क़ुरआन में कहा गया है–"ऐ ईमान लानेवालो! बहुत ज़्यादा गुमान करने से बचो, क्योंकि कुछ गुमान गुनाह होते हैं। और न (दूसरों की) टोह में पड़ो..." (क़ुरआन 49:12)। असुरक्षा की भावना अशांति को जन्म देती है। इस्लाम का तो अर्थ ही है शांति, इसलिए हर उस कार्य से रोका गया है जो अशांति का कारण बनें और समाज के वातावरण को प्रदूषित करें।

सहायता का अधिकार : दूसरों की सहायता करना और उनको लाभ पहुंचाने का प्रयत्न करना एक अच्छे इंसान की पहचान है जिसको पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने इस प्रकार व्यक्त किया कि, "तुममें सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला हो" (हदीस)। हर व्यक्ति आशा करता है कि ज़रूरत के समय पड़ोसी उसकी सहायता करे। इस्लाम इसी उच्च आचरण की शिक्षा देता है और अपने अनुयायियों को इस मार्ग पर अग्रसर होने के लिए प्रोत्साहित करता है।

क्षमा और सहनशीलता का अधिकार : इंसान ग़लतियों का पुतला है और ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो ग़लतियों से मुक्त हो। ग़लतियां दूसरों को नुक़सान और दुख पहुंचाती हैं, जिससे रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है। इस कटुता को रोकने का सबसे आसान और असरदार उपाय इस्लाम की नज़र में सहनशीलता और क्षमा है। जिस प्रकार हम चाहेंगे कि हमारी ग़लती पर दूसरे सहनशीलता से काम लें और हमें माफ़ कर दें, यही भाव यदि हम दूसरों के प्रति भी रखें तो लोगों के बीच खटास को आसानी से रोका जा सकता है। इसकी सबसे अच्छी मिसाल वह है जब पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने मक्का के उन सभी दुश्मनों को माफ़ कर दिया था, जिन्होंने आप (सल्ल.) और आपके अनुयायियों पर घोर अत्याचार किया था और जिनके कारण उन्हें और उनके साथियों को मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करना पड़ा था।

सद्भावना का अधिकार : "अपने पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार करो, तुम ईमान में ऊंचा दर्जा पाओगे।" (हदीस : तिरमिज़ी) पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का यह संदेश आपसी सद्भाव के दरवाज़ों को खोलने की ऐसी चाबी है, जो कभी असफल नहीं हो सकती। पड़ोसियों के सुख-दुख में शामिल होना, त्योहारों पर शुभकामनाएं देना, बीमारी के समय मदद करना, ये सब अच्छे व्यवहार के कई रास्ते हैं, जिन पर चला जा सकता है। अगर पड़ोसी के घर खाने को न हो, और उसे भूखा सोना पड़े और हमें इसकी चिंता तक न हो, तो इसे पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने ईमान न होने के बराबर बताया है। (हदीस : बुख़ारी)

निष्कर्ष

पड़ोस समाज में परिवार के बाद की सबसे छोटी, लेकिन सबसे मज़बूत इकाई है। पड़ोसियों के अधिकारों का सम्मान सामाजिक भाईचारे और एकता की नींव रखता है। इसका लाभ हमें एक सुरक्षित, ख़ुशहाल और एकजुट समाज के रूप में मिलता है। आख़िरत (परलोक) में इसका इनाम और भी बड़ा होगा। सही मायने में, अच्छा पड़ोसी ही एक अच्छा इंसान और एक ज़िम्मेदार नागरिक बन सकता है। ■■

टूटते मुहल्ले, बिखरते रिश्ते : कारण और निवारण

डॉ. मुहम्मद इक़बाल सिद्दीक़ी

दिल्ली के एक पुराने मुहल्ले की शांत गलियों में, जहां कभी शाम की चाय की ख़ुशबू अज़ान की पुकार और गली के बच्चों की किलकारियों में घुल जाया करती थी, वहीं रहती थीं एक बूढ़ी विधवा–गीता देवी। वे अकेली ही रहती थीं, उनकी ज़िन्दगी के असली साथी उनके पड़ोसी थे। वे आपस में त्योहारों पर घर का बना अचार और मिठाई बांटते, जब वे कभी रिश्तेदारों के पास जातीं तो पड़ोसी उनके छोटे से घर की रखवाली करते, और उनके पति की लंबी बीमारी में पड़ोस के शफ़ीक़ भाई और श्याम जी देर रात तक बैठे रहते—यही सब मुहल्ले के पड़ोसी उनका परिवार और जीवन का सहारा थे।

लेकिन समय धीरे-धीरे सब बदलता गया। खुले आंगनों वाले वे छोटे-छोटे मकान अब ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं में बदल चुके थे। जिन दरवाज़ों पर कभी ताले नहीं लगते थे, वहां अब मोटे दरवाज़े और बंद खिड़कियां थीं। नये पड़ोसी आए, पर तेज़ क़दमों और थके चेहरों के साथ—बातचीत का वक़्त नहीं, आत्मीयता की जगह नहीं। वह गली, जो कभी मिलनसारी की आवाज़ों से गूंजती थी, अब ट्रैफ़िक की गड़गड़ाहट और मोबाइल की रिंगटोन में खो चुकी थी।

सन 2024 की एक बरसाती शाम, गीता देवी अपने छोटे से आंगन में फिसल गईं। बादलों की गड़गड़ाहट ने उनकी पुकार को दबा दिया। कोई हाथ उन्हें थामने नहीं आया, किसी ने नहीं कहा कि "ताई मैं हूं यहां"। वे पड़ोसी, जो कभी आपातकाल में लालटेन लेकर दौड़े चले आते थे, अब वहां नहीं थे। उनकी जगह अजनबी थे—अपनी स्क्रीन की दुनिया में खोए हुए, दरवाज़ों और दिलों को कसकर बंद किए हुए।

गीता देवी की यह कहानी केवल उनकी नहीं है। यह उन अनगिनत बुज़ुर्गों, अकेले पड़े परिवारों और टूटते समुदायों की दास्तान है जिन्हें आधुनिक शहरीकरण और तेज़-रफ़्तार जीवन ने रिश्तों से काट दिया है। यह हमें झकझोर कर पूछती है: क्या हम सचमुच तरक़्क़ी कर रहे हैं, या अपने सामाजिक और मानवीय ताने-बाने को खोते जा रहे हैं?

पड़ोस का क्षरण : मुहब्बत से बेगानगी तक

पड़ोस कभी इंसानी रिश्तों की पहली सीढ़ी हुआ करता था। घर से बाहर निकलते ही वही लोग मिलते थे जो जीवन के सुख-दुख में साथ खड़े रहते थे। बीमारी में दवा लाने और अस्पताल तक पहुंचाने वाला पड़ोसी ही होता था। शादी-ब्याह में चावल, बर्तन और मदद भी वही देता था।

लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। पड़ोस की अवधारणा "साझेदारी" से "सह-अस्तित्व" तक सिमट चुकी है। लोग एक ही इमारत में रहते हैं, पर एक-दूसरे से अनजान हैं। बच्चों के खेलने की जगह मॉल और स्क्रीन ने छीन ली है। मुहल्ले अब रिश्तों की बजाय महज़ पते बनकर रह गए हैं।

सामाजिक कारण : गतिशीलता और डिजिटल दूरी

समाजशास्त्रियों के अनुसार, सामाजिक गतिशीलता और डिजिटल प्रगति ने हमें नज़दीक लाने के बजाय दूर कर दिया है।

• नौकरियों और शिक्षा के लिए परिवार एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जड़ें टिकती ही नहीं।

• रिश्तों को निभाने का वक़्त नहीं, और पड़ोसी महज़ "फ्लैट नंबर" बनकर रह जाते हैं।

• डिजिटल दुनिया ने आमने-सामने की बातचीत को खा लिया। जहां पहले लोग आंगन में बैठकर गपशप करते थे, अब वहीं सोशल मीडिया के खाली चैट-बॉक्स भरते हैं।

कल्पना कीजिए—गीता देवी जैसी बुज़ुर्ग महिलाएं, जिनकी उंगलियां स्मार्टफ़ोन पर व्हाट्सऐप की स्क्रीन स्क्रॉल नहीं करतीं या करती भी हैं तो भी, उनके लिए तो वे असली आवाज़ें जिन्हें सुनकर उनके चेहरे पर रौनक़ आ जाया करती थी, कहीं गुम हो चुकी हैं। यह अकेलापन आंकड़ों से नहीं, दिल से महसूस किया जा सकता है।

आर्थिक कारण : जेंट्रीफिकेशन और असमानता

आर्थिक बदलावों ने भी मुहल्लों की धारणा को गहरी चोट पहुंचाई है।

• जेंट्रीफिकेशन (अभिजातीकरण) ने पुराने बाशिंदों को उजाड़ दिया है। जिन गलियों में पीढ़ियां बसी थीं, वहां अब महंगे फ़्लैट्स और शोरूम खड़े हो गए हैं।

• संपत्ति की क़ीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि मध्यम और ग़रीब वर्ग धीरे-धीरे शहरों से बाहर धकेल दिए गए हैं।

• बच्चों का खेल, परिवारों की जड़ें और सामाजिक जुड़ाव—सब लाभ-हानि की गणना में खो गए हैं।

नतीजा यह है कि मुहल्ला अब "समुदाय" नहीं, बल्कि "बाज़ार" बन चुका है।

राजनीतिक कारण : योजनाएं, असमानताएं और विभाजन

राजनीतिक नीतियों ने भी मुहल्लों की आत्मा को प्रभावित

किया है।

• शहरी नियोजन अब इंसानों की ज़रूरत से ज़्यादा निवेशकों और बिल्डरों के हित में होता है।

• सुविधाओं का असमान वितरण—कुछ इलाक़ों में चौड़ी सड़कें और पार्क, तो कुछ में गड्ढे और अंधेरी गलियां।

• सांप्रदायिक और जातीय विभाजन की राजनीति ने विश्वास को तोड़ा है। मुहल्ले अब धार्मिक और जातीय आधार पर बांटे जा रहे हैं।

यह स्थिति लोगों को यह महसूस कराती है कि वे अपने जीवन के "खेल" में महज़ मोहरे हैं, जिनकी आवाज़ नौकरशाही और राजनीति की गूंज में डूब जाती है।

सांप्रदायिक दरारें : एक मुहल्ला, कई दीवारें

भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में सांप्रदायिक हिंसा और जातीय तनाव ने पड़ोस को विभाजित कर दिया है।

• पहले जहां एक गली में ईद और दीपावली मिल-जुलकर मनाई जाती थी, अब वहां दीवारें और अविश्वास पनप रहे हैं। कॉलोनियों में अब धर्म देखकर मकान बेचे या किराये पर दिए जाते हैं।

• सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बाद परिवार "सुरक्षित" क्षेत्रों में जाकर बसने लगे हैं, जिससे शहर अलग-अलग "घेट्टो" में बदल रहे हैं।

• बच्चों की पीढ़ी विविधतापूर्ण मित्रता की सरल ख़ुशी से वंचित होकर विरासत में पूर्वाग्रहों की गठरी पा रही है।

यह घाव किसी भी भौतिक चोट से गहरे हैं, क्योंकि ये शरीर नहीं आत्मा और विश्वास को चीरते चले जाते हैं।

पूंजीवाद और उपभोक्तावाद : आत्मीयता का सौदा

पूंजीवाद ने मुहल्लों को प्रतिस्पर्धा के मैदान में बदल दिया है।

• अब "समुदाय" का मतलब साझा इंसानियत नहीं, बल्कि ब्रांडेड जीवनशैली है।

• भौतिक संपत्ति सफलता का पैमाना बन चुकी है—जिससे लोग रिश्तों की बजाय तुलना और ईर्ष्या में उलझ जाते हैं।

• मकान अब "घर" नहीं, बल्कि "निवेश" हैं। जो भी आकर रहा, कुछ ही समय बाद बेचकर चला गया।

विडंबना यह है कि उपभोग की अंधी दौड़ में हमने इंसानी रिश्तों का ही "उपभोग" कर डाला है।

अन्य कारण : पर्यावरण, अपराध और तकनीक

पड़ोस के क्षरण में और भी कारक हैं :

• प्रदूषण और हरियाली की कमी ने भी खुले में बैठने और मेल-मिलाप की परंपरा को गहरी चोट पहुंचाई है।

• अपराध और हिंसा के बढ़ते ग्राफ़ ने अविश्वास और भय को जन्म दिया है, लोग एक-दूसरे से डरने लगे हैं।

• डिजिटल आदतों ने बच्चों, युवाओं और बुज़ुर्गों सभी को आभासी दुनिया में क़ैद कर दिया है।

• शहरी फैलाव और कमज़ोर परिवहन व्यवस्था ने भी लोगों के बीच दूरी बढ़ाने में योगदान दिया है।

पड़ोसियों के अधिकार : इस्लाम और मानवीय परंपरा की रोशनी

इतिहास गवाह है कि जब इंसान रिश्तों से कटता है तो अकेलापन और अव्यवस्था बढ़ती है। लेकिन धर्म, संस्कृति और परंपरा हमें रास्ता दिखाते हैं। इस्लाम विशेष रूप से पड़ोसियों के अधिकारों पर ज़ोर देता है। पवित्र क़ुरआन, सूरह अन-निसा (4:36) में है: "अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, और माता-पिता, रिश्तेदारों, अनाथों, ग़रीबों, निकट और दूर के पड़ोसियों के साथ भलाई करो।"

हज़रत मुहम्मद (उन पर अल्लाह की कृपा और शांति हो) ने फ़रमाया : "वह मोमिन नहीं जिसका पड़ोसी उसकी बुराई से सुरक्षित न हो।"

(सहीह बुख़ारी, हदीस-6016; सहीह मुस्लिम, हदीस-46)

यानी पड़ोसी का हक़ सिर्फ़ औपचारिक अभिवादन तक सीमित नहीं, बल्कि बीमार होने पर हालचाल लेना, भोजन साझा करना, मुश्किल में मदद करना, उनके दुख में शामिल होना और हर तरह से उनका सम्मान करना है।

एक बात तय है—अगर हमने पड़ोसियों के अधिकार और सामुदायिक मूल्यों को पुनर्जीवित न किया, तो आने वाला समाज पहले से कहीं अधिक अकेला और निष्ठुर होगा। और अगर हमने इन्हें अपनाया, तो मुहल्ले फिर से ज़िन्दा होंगे, और इंसान फिर इंसान से जुड़ेगा।

इतिहास से मिसालें

1. हज़रत जिबरील का पड़ोसी के हक़ पर ज़ोर देना: पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया : "जिबरील मुझे बार-बार पड़ोसी के हक़ के बारे में ताकीद करते रहे, यहां तक कि मुझे लगा कि शायद वे पड़ोसी को भी विरासत में हक़दार बना देंगे।" (सहीह बुख़ारी, हदीस-6014; सहीह मुस्लिम, हदीस-2624) यह हदीस बताती है कि पड़ोसी का हक़ रिश्तेदार जैसा दर्जा रखता है।

2. पड़ोसी को तोहफ़ा देना : एक बार हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) से पूछा गया : "अगर मेरे पास मांस का टुकड़ा हो, तो किसे दूं?" उन्होंने फ़रमाया : "अपने उस पड़ोसी को दो जिसका दरवाज़ा तुम्हारे दरवाज़े से ज़्यादा क़रीब है।" (सहीह बुख़ारी, हदीस-2259; सहीह मुस्लिम, हदीस-2625) यह इस बात की मिसाल है कि इंसान को अपनी तवज्जोह सबसे पहले अपने

पड़ोसी पर रखनी चाहिए।

3. यहूदी पड़ोसी का मामला : मदीना में हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के पड़ोस में एक यहूदी रहा करता था, जो अक्सर तकलीफ़ देता था। जब वह बीमार हुआ, तो हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ख़ुद उसके घर हाल-चाल पूछने गए और उसे इस्लाम की दावत दी। (मुस्नद अहमद, हदीस-14747; सहीह, अल-अलबानी ने इसे 'हसन' कहा है) यह मिसाल दिखाती है कि पड़ोसी का हक़ धर्म या जाति की दीवारों से बंधा नहीं है।

4. इस्लामी समाजों का रवैया : इस्लामी इतिहास में मुहल्ले और बस्तियां सामुदायिक सहयोग की बुनियाद पर खड़ी होती थीं। मस्जिद सिर्फ़ इबादतगाह नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पड़ोस की देखभाल का केंद्र थी। मदीना के बाज़ार और गली-कूचों में यह आम था कि लोग अनाथों, विधवाओं और बीमार पड़ोसियों की मदद करते।

ये शिक्षाएं केवल धार्मिक आदेश नहीं, बल्कि आधुनिक समाज के लिए मानवीय नुस्ख़ा हैं। जिस दौर में अकेलापन मानसिक बीमारी और सामाजिक तनाव की सबसे बड़ी वजह बन चुका है, इस्लाम पड़ोसी के हक़ को इंसानियत की बुनियाद क़रार देता है।

मुहल्लों को फिर से ज़िन्दा करने की ज़रूरत

गीता देवी की कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान ऊंची-ऊंची इमारतों में रहकर भी भीतर से ख़ाली हो सकता है। मुहल्ला अगर टूटेगा तो इंसान का मन भी टूटेगा।

हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि पड़ोसी का हक़ केवल रस्मी रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें उसकी ज़िम्मेदारी उठाना शामिल है। बीमारी, भूख, अकेलापन या तकलीफ़—इन सबमें पहला सहारा पड़ोसी को होना चाहिए। यही कारण है कि जिबरील अलैहिस्सलाम (फ़रिश्ता) ने बार-बार पड़ोसी के हक़ की ताकीद की।

आज जब समाज शहरीकरण और व्यक्तिवाद की गिरफ़्त में आकर रिश्तों को खो रहा है, हमें इस्लामी और मानवीय परंपराओं से सीख लेनी चाहिए। यह समय है कि हम मुहल्लों को फिर से ज़िंदा करें, अपने पड़ोसियों को परिवार की तरह अपनाएं, और सामुदायिक मूल्यों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में शामिल करें। चुनाव हमारे हाथ में है—क्या हम पड़ोसियों की पुकार को सुनकर मदद के लिए आगे बढ़ेंगे, या उन्हें बीते ज़माने की बात समझ कर उनके हाल पर छोड़ देंगे?

लेकिन एक बात तय है—अगर हमने पड़ोसियों के अधिकार और सामुदायिक मूल्यों को पुनर्जीवित न किया, तो आने वाला समाज पहले से कहीं अधिक अकेला और निष्ठुर होगा। और अगर हमने इन्हें अपनाया, तो मुहल्ले फिर से ज़िन्दा होंगे, और इंसान फिर इंसान से जुड़ेगा। ■■

मदीने का भाईचारा

मक्का से मदीना हिजरत (प्रवास) करने के बाद अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि मक्का से आने वाले मुहाजिरों (प्रवासी मुसलमानों) को कहाँ बसाया जाए और मदीना के अंसार (मददगार मुसलमानों) के साथ उनका आपसी तालमेल और उनकी एकता कैसे बनाई जाए। यह एक बहुत बड़ा और कठिन मामला था। सोचिए — लगभग डेढ़ हज़ार साल पहले उस ज़माने की एक छोटी सी बस्ती में अगर अचानक सैकड़ों, बल्कि (औरतों और बच्चों सहित) हज़ारों लोग स्थायी रूप से रहने के लिए आ जाएँ, तो उनके खाने-पीने, रहने और रोज़गार की व्यवस्था करना किसी बड़ी सरकार के लिए भी बहुत मुश्किल होता।

इस समस्या का हल नबी (सल्ल.) ने "मुआख़ात" (इस्लामी भाईचारे) के ज़रिए निकाला। आपने हर एक मुहाजिर को एक अंसारी का "भाई" बना दिया। भाईचारे के संबंध का यह सिलसिला हिजरत के शुरुआती दिनों से लेकर मक्का से आख़िरी क़ाफ़िले के मदीना आने तक जारी रहा। शुरुआत में लगभग चालीस जोड़े बनाए गए। हज़रत अबू बक्र के भाई बनाए गए हज़रत ख़ारिजा बिन ज़ैद ख़ज़राजी, हज़रत उमर के भाई उत्बान बिन मालिक और हज़रत उस्मान के भाई औस बिन साबित बने। इसी तरह हर मुहाजिर का एक अंसारी भाई बना दिया गया।

इस मुआख़ात का असली मक़सद था —क़बीलों और जातियों के भेदभाव को ख़त्म करना और एक ऐसा इस्लामी समाज बनाना जिसमें इलाक़ा, क़बीला, ख़ून, रंग, नस्ल या जाति-पाति की कोई दीवार न रहे। इस समाज की नींव सिर्फ़ इस्लाम और ईमान पर हो। सभी मुसलमान एक-दूसरे के मददगार और सच्चे दोस्त बनें — ताक़तवर कमज़ोर की मदद करे और कमज़ोर को ताक़तवर का सहारा मिले। मुहाजिरों के लिए यह भाईचारा इसलिए ज़रूरी था कि वे अपना वतन, परिवार और रिश्तेदार छोड़कर आए थे। और अंसारों के लिए इसलिए ज़रूरी था कि वे मुहाजिरों को अपने ऊपर बोझ न समझें, बल्कि अपने भाई की तरह स्वीकार करें। इसीलिए एक नियम यह भी बनाया गया कि अगर कोई भाई मर जाए तो उसकी जायदाद और माल उसके दीनी भाई को मिले। बाद में जब क़ुरआन में विरासत का क़ानून नाज़िल हुआ, तो यह हिस्सा रद्द (समाप्त) कर दिया गया, लेकिन भाईचारे का बाकी पूरा संबंध बरक़रार रहा। यह मुआख़ात सिर्फ़ एक अस्थायी व्यवस्था नहीं थी, बल्कि इस्लामी समाज की बुनियादी नीति थी। इसके ज़रिए मुसलमानों की सिर्फ़ एक पहचान रह गई — "मुसलमान" मुहाजिर व अंसार जैसे अलग-अलग दर्जे ख़त्म हो गए। ■■

ESTD. 2018 Registration. No. PR10001186

एनायत प्राईवेट (आई.टी.आई.) عنایت پرائیویٹ (آئی۔ٹی۔آئی)

ENAYETH PVT. (I.T.I.)

1917 2017

THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE CAMPUS

Cherki - 824237, Distt. Gaya (Bihar) INDIA

NCVT भारत सरकार नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त

Affiliated to N.C.V.T. New Delhi Government of India



नामांकन जारी है। इलेक्ट्रीशियन और फीटर दो वर्षीय कोर्स

ADMISSION IS GOING ON FOR TWO TRADES

ELECTRICIAN & FITTER 2 YEARS COURSE

- Foundation Stone Was Laid by DR. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI, Governor of Bihar (Dated 7th November 1993).
- Inaugurated by MR. LALU PRASAD YADAV, Former Chief Minister of Bihar (Dated 2nd December 2017)

Note I.T.I. की डिग्री अब I.Sc. (Math) के समकक्ष
I.T.I. DEGREE IS EQUIVALENT TO I.Sc. (MATH)

Remember

- Grand Building With a Big Playground in About 16 Acres of Land.
- Big And Airy Classrooms.
- Lush Green Park in the Centre of the Building.
- Big Workshop with all Equipments of Both Trades.
- A Library Named As Dr. A.P.J. ABDUL KALAM & Dr. AKHLAQUR RAHMAN KIDWAI
- Library For the Students.

DIRECTOR

Note रेलवे की आगामी GROUP-D की नियुक्ति में I.T.I. अनिवार्य कर दिया गया है।
IN THE NEXT APPOINTMENT OF RAILWAY'S GROUP-D, I.T.I. HAS BECOME COMPULSORY.

Managed By THE GAYA MUSLIM ORPHANAGE
CHERKI-824237, DISTT. GAYA (BIHAR) INDIA

Contact No.: 7079262582, 9852915911, 7258063440 (Whatsapp No.)

आएँ! हम से हाथ मिलाएँ और अपने बच्चे का भविष्य रौशन बनाएँ ।
COME! JOIN HANDS WITH US AND ENSURE BRIGHT FUTURE OF YOUR BOYS.






इंटरव्यू

पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना ज़रूरी

– इंजीनियर मुहम्मद सलीम



(आज जब समाज में पड़ोसियों के बीच दूरी और उदासीनता बढ़ती जा रही है, ऐसे समय में जमाअत इस्लामी हिन्द देश भर में "पड़ोसियों के अधिकार" विषय पर विशेष जागरूकता अभियान चला रही है। इसी पहल पर प्रस्तुत है जमाअत के उपाध्यक्ष इंजीनियर मुहम्मद सलीम से हमारे सहयोगी मुशर्रफ़ अली की बातचीत।)

"पड़ोसियों के अधिकार" अभियान

सवाल : सबसे पहला सवाल तो यह है महोदय कि "पड़ोसियों के अधिकार अभियान" चलाने का प्रेरक क्या है?

जवाब : जमाअत-इस्लामी हिन्द समय-समय पर ऐसे विषयों पर अभियान चलाती रहती है, ताकि उस ख़ास विषय और मुद्दे पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाए। सामाजिक जीवन में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता और जमाअत चाहती है कि लोग उनकी ओर ध्यान दें। पड़ोसियों के साथ रिश्तों का मामला भी आम तौर पर हमारी लापरवाही का शिकार है, जबकि पड़ोसियों के बारे में इस्लाम की बहुत साफ़ और रौशन हिदायतें मौजूद हैं, लेकिन मुसलमान ख़ुद भी उनसे ग़ाफ़िल हैं। गांव-क़स्बों में स्थिति कुछ बेहतर है, लेकिन शहरों और मेट्रो सिटीज़ में तो पड़ोसियों के रिश्तों की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। समस्या यह नहीं है कि रिश्ते ख़राब हैं, बल्कि यह है कि रिश्ते हैं ही नहीं।

सामाजिक रूप से यह महसूस किया गया कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जमाअत-इस्लामी हिन्द ने यह देशव्यापी अभियान चलाने का निर्णय लिया है, ताकि समाज में पड़ोसियों के रिश्तों को बेहतर किया जाए। मुस्लिम इलाक़ों में मुसलमान आपसी रिश्तों को इतना अच्छा बनाएं कि दूसरे लोग उससे प्रभावित हों। और जहां मिली-जुली आबादी है वहां भी सभी लोग पड़ोसियों के हक़ अदा करें और मिल-जुलकर बेहतर समाज बनाएं।

इस्लाम ने हर तरह के पड़ोसियों के हक़ तय किए हैं। जब इन हक़ों की अदायगी नहीं होती तो समस्याएं पैदा होती हैं, ग़लतफ़हमियां बढ़ती हैं और नफ़रत पनपती है। इसलिए यह अभियान चलाया जा रहा है कि लोगों को इस ओर ध्यान दिलाया जाए और सब मिल-जुलकर एक बेहतर समाज का निर्माण करें।

सवाल : इस अभियान में जमाअत-इस्लामी हिन्द के सदस्यों और कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी क्या रहेगी?

जवाब : जमाअत के अरकान और कारकुनान से वांछित यह कि वे जहां भी रहें अपने व्यवहार और अपने रवैये से ऊंचे दर्जे का नमूना पेश करें। उन्हें क़ुरआन और हदीस की तालीम का जीवंत नमूना बनना चाहिए। लोगों तक किसी बात को पहुंचाने का सबसे अच्छा तरीक़ा यही है कि उसे अपने अमल से दिखाया जाए। जो बात आपके चरित्र से स्पष्ट हो वह सबसे असरदार होती है।

हमारे अरकान और कारकुनान को ऐसा आदर्श जीवन जीने की ज़रूरत है कि लोग उन्हें देखकर इस्लाम को समझें। स्पष्ट है कि अभी समाज में इस तरह की जागरूकता नहीं पाई जाती है, ऐसे में मुसलमानों को इस्लाम सिखाना भी हमारी ज़िम्मेदारी है। इस अभियान में जब हमारे कार्यकर्ता लोगों से मिलें तो सिर्फ़ नसीहत न करें, बल्कि अपने अमल से भी दिखाएं। यह अमल बनावटी न लगे, बल्कि बिल्कुल स्वाभाविक हो।

अभियान के दौरान हमें कुछ अतिरिक्त गतिविधियां भी रखनी चाहिए, जैसे — चाय की दावत, छोटे-छोटे तोहफ़े देकर पड़ोसियों से मुलाक़ात, आदि। अगर कोई पड़ोसी नाराज़ है या कोई ग़लतफ़हमी/विवाद है तो उसे सुलझाने और दूर करने का मौक़ा भी इस अभियान में होगा।

इस अभियान में महिला सदस्यों और कार्यकर्ताओं की ज़िम्मेदारी दोहरी है। उन्हें अपने और मुहल्ले के सुधार की कोशिशों के साथ-साथ बच्चों की तर्बियत (शिक्षा-प्रशिक्षण) का भी काम करना है। उन्हें बच्चों के ज़ेहन में शुरू से पड़ोसियों के बारे में इस्लाम की तालीम और पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) की हिदायतें बिठानी हैं। बच्चों को पड़ोसियों की मदद के लिए तैयार करना है। नई नस्ल की तर्बियत इस तरह करनी है कि उनके दिलों में उदारता आए और उनका ज़ेहन सकारात्मक व तामीरी (रचनात्मक) सोच वाला बने।

सवाल : व्यक्तिगत स्तर पर पड़ोसी से रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है?

जवाब : सबसे पहली चीज़ है पड़ोसियों से मेल-जोल रखना। अपनी व्यस्त ज़िंदगी से कुछ समय उनके लिए निकालना। पड़ोसियों के काम आना। ज़ाहिर है कि पड़ोसियों को एक-दूसरे की ज़रूरत पड़ती ही रहती है, तो उनकी ज़रूरत के समय मदद करना। अगर पड़ोसी किसी परेशानी में पड़ जाए तो आगे बढ़कर उसका साथ देना। पड़ोसियों के सुख-दुख में शामिल होना। इस्लाम की तय की गई सीमाओं के भीतर रहकर उनकी ख़ुशियों और ग़मों में शरीक होना। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनसे अच्छा बर्ताव करना।

अच्छा मुसलमान वही है जिसका पड़ोसी उससे ख़ुश रहे। मुसलमान की यही छवि बननी चाहिए कि लोग कहें मुसलमान पड़ोसियों के काम आता है, हर ज़रूरत पर खड़ा रहता है, किसी तरह की तकलीफ़ नहीं देता।

सवाल : सामूहिक स्तर पर मुहल्ले पड़ोसियों के हक़ को ज़िंदा करने के लिए क्या करें?

जवाब : मुहल्ले पड़ोस में लोगों को मिल-जुलकर रहना चाहिए। वहां आपसी रिश्तों में ऐसा सुलूक हो कि दूरियां ख़त्म हो जाएं। सामूहिक जीवन में बहुत-सी चीज़ें साझा होती हैं, हर व्यक्ति अपनी ज़िम्मेदारी का ध्यान रखे और कोशिश करे कि उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ न हो तो निश्चित रूप से एक अच्छा वातावरण बनेगा। अगर पड़ोसी के आराम के लिए कुछ तकलीफ़ भी बर्दाश्त करनी पड़े तो उसे ख़ुशी-ख़ुशी गवारा करना चाहिए। अपनी ओर से उदारता का परिचय देना चाहिए। केवल अपने फ़ायदे की सोच और दूसरों की तकलीफ़ की परवाह न करने वाला रवैया समस्याएं पैदा करता है। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि बहुत से लोग सार्वजनिक नियमों का पालन नहीं करते, गलियों में सीढ़ियां बना लेते हैं, या जगह घेर लेते हैं, ऊपरी मंज़िल पर जाकर बालकनी निकाल लेते हैं जिससे दूसरों को परेशानी होती है। दिल में तंगी, स्वार्थ और ख़ुदग़र्ज़ी हो तो रिश्ते बिगड़ते हैं। आड़े समय में पड़ोसी ही काम आता है। रिश्तेदार पास में हो भी सकते हैं और नहीं भी, इसलिए पड़ोसी से बनाकर रखना हमारी ज़रूरत भी है और ज़िम्मेदारी भी। पड़ोसी की इसी अहमियत को देखते हुए इस्लाम में इसपर बहुत ज़ोर दिया गया है। हदीस में है कि अल्लाह के फ़रिश्ते जिब्रईल अलैहिस्सलाम पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के पास आकर पड़ोसियों के अधिकारों की इतनी ताकीद करते कि पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) को यह लगने लगा कि कहीं पड़ोसियों को विरासत में हिस्सा न दे दिया जाए। इन हदीसों में कहीं यह नहीं कहा गया कि पड़ोसी सिर्फ़ मुसलमान ही हो। पड़ोसी चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, उसका अक़ीदा कुछ भी हो, हर हाल में उसका हक़ है कि उसके साथ अच्छा बर्ताव किया जाए।

अगर किसी मुसलमान का पड़ोसी ईमान नहीं रखता तो मुसलमान की ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है। उसे उसकी दुनिया की भलाई की चिंता के साथ-साथ उसकी आख़िरत (परलोक) की भलाई की भी चिंता करनी चाहिए। बिल्कुल स्वाभाविक ढंग से उस तक इस्लाम का सही परिचय पहुंचाना चाहिए। धीरे-धीरे मौक़े के मुताबिक़ उसे इस्लामी शिक्षाओं रू-ब-रू कराना चाहिए। यह एक मुसलमान की ऐसी ज़िम्मेदारी है, जिसके बारे में उसे अल्लाह के यहां जबावदेही करनी है। इस्लामी शिक्षाएं उसके पास अमानत हैं जिसे उसके सही हक़दार तक पहुंचाना उसका दायित्व है।

सवाल : आज की शहरी ज़िंदगी और फ़्लैट कल्चर में पड़ोसीपन (हमसायगी) का क्या मतलब रह गया है?

जवाब : यह बात सही है कि शहरों में फ़्लैट कल्चर आम हो गया है। बड़े-बड़े टॉवर बने हुए हैं जिनमें सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन उनका आपस में मिलना-जुलना नहीं होता। सालों-साल साथ रहने वाले पड़ोसी एक-दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं। शहरों की तेज़ रफ़्तार ज़िंदगी, लोगों पर काम का दबाव, परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए कुछ लोगों को एक से ज़्यादा शिफ़्ट में काम करना पड़ता है। इसके अलावा मल्टीमीडिया और मोबाइल ने भी आम ज़िंदगी को ऐसा बना दिया है कि पास के लोग दूर हो गए हैं और अस्वाभाविक ढंग से दूर के लोग क़रीब नज़र आते हैं। जब लोग कम मिलेंगे तो दूरियां बढ़ेंगी, पड़ोसियों के रिश्ते कमज़ोर पड़ेंगे तो परायापन और अजनबीपन का माहौल बनेगा और इससे तरह-तरह की समस्याएं पैदा होंगी। इसलिए पुरानी जीवनशैली हो या फ़्लैट कल्चर—हम किसी भी तरीक़े से पड़ोसीपन (हमसायगी) की अहमियत को कम नहीं कर सकते।

सवाल : हमारे देश जैसे मिश्रित समाज में पड़ोसियों से रिश्ते और भी चुनौतीपूर्ण हो गए हैं। ऐसे माहौल में मुसलमानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

जवाब : मुसलमान के लिए यह बहुत अहम है कि वह

क़ुरआन की शिक्षाओं और नबी (सल्ल०) की हिदायतों पर अमल करे। ख़ास तौर पर आज की शहरी ज़िंदगी, जिसमें तरह-तरह की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। ऐसे माहौल में मुसलमानों को चाहिए कि वे नमूना (मॉडल) बनकर दिखाएं — वही नमूना जो क़ुरआन ने दिया है और जो नबी (सल्ल०) की शिक्षाओं में मौजूद है। पड़ोसियों के हक़ का सही एहसास हो और सिर्फ़ एहसास ही नहीं, बल्कि उन्हें अदा करने का जज़्बा भी पैदा हो। अगर हमारे ग़ैर-मुस्लिम भाई हमारे क़रीब रहते हैं तो उनके हक़ को प्राथमिकता के आधार पर अदा करना चाहिए। इस पहलू से मुस्लिम समाज में ग़फ़लत पाई जाती है।

सवाल : पड़ोसियों के साथ नाराज़गी, ग़लतफ़हमी या विवाद को दूर करने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा सकती है?

जवाब : इस सिलसिले में दो बातें सामने आती हैं। पहली यह कि अगर पड़ोसियों से रिश्ते कमज़ोर होंगे, आपस में दूरी होगी, स्वार्थ हावी होगा तो शक और ग़लतफ़हमियां बढ़ेंगी। दूसरी चीज़ है — मन की तंगी (संकीर्णता)। क़ुरआन में आया है कि जिनको दिल की तंगी से बचा लिया गया वही कामयाब हैं। दिल की तंगी ही बहुत से मसले पैदा करती है। दिल की तंगी का मतलब है कि दिल में किसी और के लिए जगह न हो। जो कुछ भी हो वह अपने ही लिए हो, दूसरों के लिए कुछ भी न हो। अगर यह रवैया होगा तो विवाद और झगड़े होंगे। इसलिए हमें पूरी सहिष्णुता के साथ पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, और नीयत यह होनी चाहिए कि इससे अल्लाह राज़ी होगा। हमें यह यक़ीन होना चाहिए कि पड़ोसियों के हक़ अदा करना भी इबादत है और आख़िरत में इसका बदला मिलेगा।

सवाल : आज के दौर में अगर मुसलमान धार्मिक शिक्षाओं पर अमल करें तो समाज में किस तरह की तब्दीली आ सकती है?

जवाब : इस्लामी शिक्षाओं पर अमल नहीं होने के कारण जो नकारात्मक असरात सामने आ रहे हैं, अमल करने की सूरत में नकारात्मक असरात की जगह सकारात्मक असरात नज़र आएंगे। ग़लतफ़हमियां दूर होंगी, अफ़वाहें और नफ़रत फैलाने वालों पर रोक लगेगी। अगर हमारे संबंध पड़ोसियों से अच्छे होंगे तो जो लोग नकारात्मक एजेंडा लेकर काम करते हैं, उनका काम आसान नहीं रहेगा। हमारे रिश्ते ग़लतफ़हमियां रोकने में मददगार होंगे।

सवाल : युवाओं , महिलाओं और बच्चों के लिए आप क्या पैग़ाम देना चाहेंगे कि वे अपने पड़ोसियों के साथ रिश्तों को मज़बूत करें?

जवाब : हमारे पास जो सीमित संसाधन और सीमित वक़्त है, उसका इस्तेमाल इस तरह होना चाहिए कि सबके हक़ अदा हों। इस लिहाज़ से देखा जाए तो आज के नौजवानों में संतुलन की कमी महसूस होती है। अगर कोई विद्यार्थी है तो उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी पढ़ाई करना, माता-पिता की सेवा करना और अपनी सेहत का ख़याल रखना है। लेकिन आज के दौर में यह संतुलन बहुत बिगड़ा हुआ है। इस असंतुलन में डिजिटल मीडिया का रोल बहुत अहम है। नौजवानों में यह एक नशे जैसा हो गया है।

वक़्त बहुत क़ीमती है, ख़ास तौर पर नौजवानों का वक़्त और भी क़ीमती है। इसलिए इसमें संतुलन बहुत ज़रूरी है। संतुलन के लिए ही इस्लाम आया है। इस्लाम इंसान की ज़िंदगी में दो चीज़ें क़ायम करना चाहता है — अद्ल (इंसाफ़) और एतिदाल (संतुलन/मध्यमार्ग)। अदल का मतलब है कि किसी का हक़ न मारा जाए और एतिदाल का मतलब है कि इंतिहापसंदी (चरमपंथ) का रास्ता न अपनाया जाए।

महिलाओं में भी पिछले कुछ सालों में सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का रुझान तेज़ी से बढ़ा है और इसमें संतुलन बिगड़ा है। ज़रूरत की हद तक और सकारात्मक कामों के लिए इनका इस्तेमाल ठीक है, लेकिन जब इसमें असंतुलन आएगा तो कई तरह के हुक़ूक़ (अधिकार) प्रभावित होंगे।

जहां महिलाएं बाहर जाकर काम नहीं करतीं और घर पर रहती हैं, वहां उनके पास पड़ोसियों के हालात जानने और उनसे मिलने-जुलने के ज़्यादा मौक़े होते हैं। घर पर रहने की वजह से उन्हें पड़ोसियों की ज़रूरत भी ज़्यादा पड़ती है। पड़ोसी चाहे मुसलमान हो या कोई और — अगर महिलाएं समझ-बूझकर इसपर ध्यान दें, तो यक़ीनन माहौल बदल सकता है।

सवाल : अंत में आप हमारे पाठकों को पड़ोसियों के संबंध में कौन-सी नसीहत देना चाहेंगे।

जवाब : देखिए, एक मोमिन (सच्चा ईमान वाला) पर जितनी तरह की ज़िम्मेदारियां हैं और जिन-जिन लोगों के हक़ हैं, उसे उन सबका इल्म और एहसास होना चाहिए। यह एहसास भी होना चाहिए कि अगर अमल (पालन) में कमी होगी तो अल्लाह के यहां उसकी पकड़ होगी। अगर किसी भी तरह का अधिकार हनन होता है तो अल्लाह के यहां उसकी जवाबदेही करनी होगी। अधिकार हनन चाहे अपने स्वयं का हो, घर के लोगों का हो या पड़ोसियों का। इसलिए हमें अधिकारों और दायित्वों को लेकर बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। हमें अपने दिल में उदारता रखनी चाहिए और व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। साथ ही, हमारा व्यवहार दूसरों के व्यवहार के अधीन या उसकी प्रतिक्रिया पर आधारित न हो। सामने वाला चाहे जैसा भी रवैया रखे, हमें हर हाल में अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। तभी एक अच्छे समाज का निर्माण हो सकता है।

हमें उम्मीद है कि जमाअत-इस्लामी हिंद की यह मुहिम (अभियान) लोगों के लिए याददिहानी और ध्यानाकर्षण का अच्छा काम करेगी। ऐसा नहीं है कि मुहिम के बाद हम यह काम बंद कर देंगे। बल्कि आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा, यहां तक कि यह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। ■■

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) और पड़ोसी

डॉ. अब्दुल हमीद जासिम अल-बिलाली

पड़ोसी का दर्जा इस्लाम में बहुत बड़ा है। घर के क़रीब रहने वाले पड़ोसी कहलाते हैं। घर के आस-पास रहने वाले लोग कुछ दूरी पर क्यों न रहते हों वे भी पड़ोसी हैं। उनका मज़हब दूसरा है। उनका रंग अलग है। उनकी नागरिकता अलग है, लेकिन आपके मुहल्ले में रहते हैं तो वे आपके पड़ोसी हैं। मुहल्ला शहर का एक हिस्सा होता है, जो कुछ घरों से बनता है। हर घर दूसरे घर का पड़ोसी है। जब मुहल्ले और कॉलोनी के सारे लोगों को एक दूसरे से मिल-जुलकर रहते हैं और हर पड़ोसी दूसरे पड़ोसी के अधिकारों को अदा करता है तो सब संतुष्ट और ख़ुश रहते हैं और एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं। सब एक ख़ानदान की तरह हो जाते हैं।

इस तरह ऐसा मुहल्ला समाज का एक सक्रिय भाग बन जाता है और सकारात्मक कार्रवाइयों में महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगर पड़ोसियों के मामलात ख़राब होते हैं तो जीना दुभर हो जाता है। सुकून ख़त्म हो जाता है, ऐसा मुहल्ला परेशानियों और दिक़्क़तों का जमघटा बन जाता है और विकास के बजाय बर्बादी का ज़रिया बन जाता है। इन कारणों से अल्लाह के रसूल पैग़म्बर हज़रात मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसियों के साथ बेहतर सम्बन्ध की ओर बड़ा ध्यान था।

क़ुरआन में पड़ोसियों के अधिकार

क़ुरआन ने पड़ोसी से सम्बन्ध के सही होने को समाज के विकास का प्रतीक क़रार दिया है और पड़ोसी के अधिकारों और वाजिबात की यह हैसियत है कि उनको अदा किए बिना किसी मोमिन का इस्लाम भरोसे के क़ाबिल नहीं समझा जाता। सूरह निसा की कई आयतें पड़ोसी के अधिकारों के बारे में आई हैं–

"अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, और अच्छा व्यवहार करो मां-बाप के साथ, नातेदारों, अनाथों और मुहताजों के साथ, नातेदार पड़ोसियों के साथ और अपरिचित पड़ोसियों के साथ और साथ रहने वाले व्यक्ति के साथ और मुसाफ़िर के साथ और उनके साथ भी जो तुम्हारे क़ब्ज़े में हों। अल्लाह ऐसे व्यक्ति को पसन्द नहीं करता, जो इतराता और डींगें मारता हो।" (अन-निसा : 36)

पड़ोसी के बारे में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की हिदायात

अल्लाह के रसूल ने पड़ोसी के बारे में इतनी ताकीद की कि लगता था कि उसे वारिस होने वाले रिश्तेदार का दर्जा दे देंगे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) करते हैं जिबरील मुझे पड़ोसी के बारे में बार-बार ताकीद करते रहे, यहां तक कि मुझे महसूस होने लगा कि पड़ोसी का हिस्सा विरासत में भी क़रार दे देंगे।

(अबू दाऊद : 4158)

पड़ोसी को कष्ट पहुंचाने की सज़ा

इस्लाम में पड़ोसी से रिश्ता की अहमियत का अंदाज़ा लगाइये कि पड़ोसी को कष्ट देने वाले को उसकी दीनदारी और इबादत की बहुतायत भी सज़ा से नहीं बचा सकती। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के पास एक सज्जन आए और कहने लगे फ़ुलां औरत की लंबी नमाज़ों, रोज़े पे रोज़ों और सदक़ा व ख़ैरात करने की हर ओर चर्चा है, लेकिन वह अपनी लम्बी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा वह जहन्नम में होगी। उन्होंने फिर पूछा फ़ुलां औरत के सिलसिले में कहा जाता है कि वह रोज़े कम रखती है, सदक़ा कम देती है, (नफ़्ल) नमाज़ें भी कम पढ़ती है। पनीर के कुछ टुकड़े सदक़ा कर देती है, लेकिन अपनी ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने कहा वह जन्नत में होगी। ■■

(मुंज़री : 2560)

पड़ोसी के अधिकार

पैग़म्बर (सल्ल०) ने बहुत-सी हदीसों में पड़ोसियों के अधिकार बताए हैं। उनमें से कुछ विशेष अधिकार ये हैं :

(1) सलाम करना, आदर करना
(2) ख़ुशी से मिलना
(3) बीमार पड़ जाए तो इयादत करना
(4) ख़ुशी और ग़म में साथ देना
(5) कमियों को बर्दाश्त करना
(6) पड़ोसी की महरम औरतों से पर्दे का व्यवस्था करना
(7) ज़रूरत के समय मदद करना
(8) भलाई के जज़्बात का इज़हार करना, नसीहत करना
(9) मुलाक़ात करना, हालात मालूम करना।

पड़ोस का आर्थिक पहलू



डॉ. फ़रहत हुसैन

पड़ोस का समाजशास्त्र से सीधा संबंध है। पड़ोस और पड़ोसियों को समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई का दर्जा प्राप्त है, जिस पर विभिन्न पहलुओं से बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन क्या पड़ोस का कोई आर्थिक पहलू भी है? या आर्थिक क्षेत्र में पड़ोस और पड़ोसियों का कोई महत्व है? या आर्थिक पहलू से पड़ोस की कोई भूमिका है? इस पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि पड़ोस का सामाजिक और सभ्यतागत पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक और वित्तीय पहलू है।

क्या पड़ोस का कोई आर्थिक पहलू भी है? या आर्थिक क्षेत्र में पड़ोस और पड़ोसियों का कोई महत्व है? या आर्थिक पहलू से पड़ोस की कोई भूमिका है? इस पर शायद ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि पड़ोस का सामाजिक और सभ्यतागत पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आर्थिक और वित्तीय पहलू है।

ग़रीबी उन्मूलन में भूमिका

अल्लामा यूसुफ़ अल-क़रदावी सम्मानित विद्वानों और शोधकर्ताओं में गिने जाते हैं। अल्लामा की प्रसिद्ध पुस्तक "इस्लाम में ग़रीबी का इलाज" शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक में उन्होंने ग़रीबी, उसकी परिभाषा, अन्य धर्मों में ग़रीबों की अवधारणा, पूंजीवाद और समाजवाद में ग़रीबी आदि पर विस्तार से चर्चा की है और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की हैं। अल्लामा ने इस बात पर विस्तार से प्रकाश डाला है कि इस्लाम ग़रीबी को किस नज़रिए से देखता है और इस्लामी व्यवस्था में इसे दूर करने की क्या योजना है। इस संबंध में उन्होंने ग़रीबी दूर करने के चार महत्वपूर्ण साधनों का उल्लेख करने के बाद, पांचवें साधन में पहला उपाय पड़ोसी के अधिकार को बताया। वे लिखते हैं:

क़ुरआन में पड़ोसी के अधिकार के संबंध में कहा गया है:

"और तुम सब अल्लाह की बंदगी करो, उसके साथ किसी को साझी न बनाओ, मां-बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, रिश्तेदारों और यतीमों और मुहताजों के साथ सद्व्यवहार करो और पड़ोसी रिश्तेदार से, अजनबी पड़ोसी से, पहलू के साथी और मुसाफ़िर से (अच्छा व्यवहार करो)"

(क़ुरआन, 4:36)

इसका अर्थ है कि पड़ोसी के अधिकारों का पालन करने और उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से पड़ोसी की मदद होगी और यह आर्थिक सहायता का ज़रिया बनेगा। इस आयत में पड़ोसी के सभी रूपों का उल्लेख किया गया है, उदाहरण के लिए, एक रिश्तेदार पड़ोसी, एक पड़ोसी जो रिश्तेदार नहीं है, उसका धर्म भी अलग हो सकता है।

कुछ पड़ोसी ऐसे भी हो सकते हैं जिनसे अस्थायी संपर्क होता है, जैसे, यात्रा के साथी या अस्पताल में साथी आदि। इन सभी के साथ अच्छा व्यवहार करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक सहायता भी शामिल है। इस प्रकार, पड़ोसी की यह अवधारणा ग़रीबी उन्मूलन तथा लोगों की आर्थिक समस्याओं का निदान करने का एक महत्वपूर्ण साधन भी हो सकती है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं

एक प्रसिद्ध कथन है जिसमें हज़रत मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने कहा : "वह मोमिन नहीं है जो रात को पेट भरकर सोता है और उसका पड़ोसी भूखा रहता है, हालांकि उसे यह पता होता है।" (बुख़ारी, मुस्लिम) यह हदीस निर्देशित करती है कि यह सुनिश्चित करना हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि उसका पड़ोसी भूखा तो नहीं है। अगर इस निर्देश का पालन किया जाए, तो हर व्यक्ति अपने आस-पास के माहौल के प्रति जागरूक रहेगा और अपने पड़ोसियों का ध्यान रखेगा। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि यहां भूख का ही उल्लेख है, लेकिन हिदायत का मक़सद यह है कि अपने पड़ोसियों के हालात से वाक़िफ़ रहा जाए और उनकी बुनियादी ज़रूरतों, खाने-पीने, कपड़े और इलाज वग़ैरह का इंतिज़ाम किया जाए और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाए। चाहे सर्दी में रज़ाई और कंबल हों, चाहे बरसात में बारिश से बचने का कोई तरीक़ा हो, चाहे बीमारी की हालत में इलाज का इंतिज़ाम हो। इसके लिए स्वयं अथवा दूसरे लोगों से मदद लेकर ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। यही इस हदीस का मक़सद है।

बचत तथा निवेश

व्यवहार में, यह भी देखा गया है कि अच्छे पड़ोसियों की संगति से लोगों को सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों के अलावा आर्थिक रूप से भी लाभ होता है। उदाहरण के लिए, समिति बनाकर बचत करना, अपने पड़ोसी पर विश्वास के परिणामस्वरूप व्यावसायिक साझेदारी करना, उनके व्यवसाय में निवेश करना या मिल-जुलकर कोई कारोबार करना आदि।

किसी प्रतिभाशाली पड़ोसी से कोई हुनर या कला सीखना

पड़ोसी एक-दूसरे से प्रभावित होते हैं और बहुत-सी चीज़ें सीख लेते हैं जैसे सिलाई कढ़ाई कुकिंग आदि। ऐसे उदाहरण भी हैं कि पड़ोस में कोई नया परिवार आया और वह किसी घरेलू उद्योग या हस्तकला या नए या पुराने हुनर में उच्च क्षमता रखता है, तो आस-पास के पड़ोसी या पड़ोसियों ने भी वह काम सीख लिया। इस तरह, कई परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।

अनावश्यक उपभोक्तावाद से सुरक्षा

क़ुरआन की सूरह अल-माऊन की आयत संख्या सात में, 'माऊन' यानी मानव जीवन में जो छोटी-मोटी आवश्यक वस्तुओं को एक-दूसरे को, यानी निकटतम पड़ोसियों को देने से नहीं बचना चाहिए। इस तरह, पड़ोसियों की एक-दूसरे के साथ सहयोग की भावना कुछ ख़र्चों को कम कर सकती है। उदाहरण के लिए, एक घर में एक तराज़ू होता है जो समय-समय पर कई घरों में काम आता है या एक सीढ़ी होती है जो कई घरों की ज़रूरतों को पूरा करती है। सर्दियों में जब कोई मेहमान आता है, तो आस-पड़ोस से कंबल आदि उधार ले लिए जाते हैं। ऐसी कई चीज़ें जिनकी कभी-कभी ज़रूरत होती है, एक घर में दूसरे घरों में इस्तेमाल होती हैं और सभी लोगों को इन चीज़ों को ख़रीदने और रखने पर पैसा ख़र्च नहीं करना पड़ता। यह अलग बात है कि दूसरों की चीज़ों का सावधानीपूर्वक उपयोग और फिर उनकी समय पर वापसी सुनिश्चित होनी चाहिए।

इस्लामी आर्थिक योजना के सामान्य सिद्धांत

इस्लामी अर्थशास्त्र के सिद्धांत आस-पड़ोस और पड़ोसी की आर्थिक स्थिति के लिए भी काम करते हैं। ज़कात को ही लीजिए, जो इस्लाम में इबादत का एक महत्वपूर्ण कार्य है और आर्थिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। वैसे तो यह पूरे समाज के ज़रूरतमंदों के लिए है, लेकिन ज़कात के पैसे का इस्तेमाल सबसे पहले अपने आस-पड़ोस के ज़रूरतमंदों के लिए किया जाएगा। हदिया (उपहार) और अन्य आर्थिक योजनाओं के बारे में भी यही बात लागू होती है।

जब इन सिद्धांतों पर अमल होगा, तो आपसी हमदर्दी की भावना का विकास होगा, आचार-विचार और आदतें सुधरेंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, हलाल स्रोतों से आय बढ़ेगी, नेक कामों पर ख़र्च होगा, फ़ुज़ूलख़र्ची को हतोत्साहित किया जाएगा और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी। पड़ोसदारी के इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। ■■



सामाजिक सहयोग का पतन

डॉ. ख़ान मुबश्शरा फ़िरदौस

क़ुरआन की आयतें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तब और बेहतर समझ आती हैं जब उनका वास्तविक अनुभव होता है। सूरह अल-माऊन (सूरह 107) भी एक ऐसे ही मौक़े पर खुलकर सामने आई।

हुआ यूं कि इस साल जनवरी में केरल जाना हुआ। वहां एक तहरिकी बहन सितारा के घर ठहरना हुआ। नाश्ते की मेज़ पर चावल से बनी पतली रोटियां, चपातियां और एक सांचे में ढली हुई चीज़ परोसी गई। हमने पूछा — "ये कैसे बनती हैं?" सितारा सिस्टर ने कहा — "ये एक सांचे से बनती हैं।" हमने कहा — "अच्छा, ज़रा सांचा दिखाइए।" हमारी एक साथी ने यह बात कही, तो सितारा बोलीं — "वो तो पड़ोस में दिया है।"



उसी पल मेरे मन में ख़याल आया कि सच में पहले ज़रूरत की चीजें पड़ोस से मांगना और ज़रूरत पड़ने पर देना आम बात थी। अब इस नए लाइफस्टाइल में यह चलन लगभग ख़त्म हो गया है। देना-लेना अब जैसे "शर्म की बात" समझ लिया गया है। मैंने देखा कि सितारा के घर में बहुत सादगी थी। ज़्यादा सामान नहीं, खुला-खुला सा घर था।

चाय पेश की गई तो वे मग (कप) वही थे जो तहरीकी ज़िंदगी में किसी कार्यक्रम या सम्मेलन में तोहफ़े के तौर पर दिए जाते हैं, जिन पर नाम या तारीख़ लिखी होती है—जैसे अल-राफ़िता, अल-मुतहारिबून, tec Convention Women's Wing वग़ैरह। मैंने मुस्कुराते हुए कहा–"हमारे घर में भी ऐसे बहुत से कप हैं, हमने उन्हें सजा कर रखा है।" सितारा ने टूटी-फूटी उर्दू और अंग्रेज़ी के मिले-जुले लहजे में कहा–"हमें ये कप सजाने के लिए नहीं दिए गए, बल्कि ज़रूरत पूरी करने के लिए दिए गए हैं, ताकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल करते हुए उन पर लिखी आयतें और तारीख़ें याद रहें। वरना उन पर ख़र्च किए पैसे का क्या फ़ायदा?"

शायद बहुतों को यह छोटी-सी बात लगे, लेकिन मेरे लिए इसमें बहुत गहरा सबक़ था। उस वक़्त मुझे क़ुरआन की आयत याद आई–

"वे छोटी-छोटी चीज़ें देने से भी रुकते हैं।"

(क़ुरआन, 107:7)

मैंने अपनी साथी से कहा—"हमने तो यह आदत ही ख़त्म कर दी कि किसी से कुछ मांगा जाए। हमने अपने घरों को अनावश्यक चीज़ों से भर लिया। वो चीज़ें भी ख़रीद लीं, जिनकी साल में एक बार, बस पंद्रह मिनट के लिए ज़रूरत पड़ती है। जब सोच इस तरह की बन जाएगी तो इंसान एक-दूसरे से कट जाएगा।"

सूरह अल-माऊन इसी तरफ़ इशारा करती है। यह इंसान के आत्म-मूल्यांकन का बहुत सुंदर पैमाना देती है कि जब दिल किसी को छोटी-सी चीज़ देने में हिचकिचाए, तो अपनी नमाज़ और अपने ईमान पर ग़ौर करे।

क़ुरआन में कहा गया है–

"अतः तबाही है उन नमाज़ियों पर जो अपनी नमाज़ से ग़ाफ़िल हैं, दिखावा करते हैं, और साधारण बरतने की चीज़ भी किसी को नहीं देते।" (अल-माऊन : 4-7)

"अल-माऊन" का मतलब है—वो छोटी और ज़रूरत की चीज़ें जो लोग एक-दूसरे से उधार या मदद के तौर पर लेते-देते हैं, जैसे बर्तन, सुई या कोई भी साधारण वस्तु। यानी क़ुरआन ऐसे लोगों की निंदा करता है जो नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर दूसरों की छोटी ज़रूरतों में मदद नहीं करते।

असल में, मदद मांगने और देने की परंपरा में बहुत हिकमत है, यह दिलों को जोड़ने का ज़रिया है, लेकिन कंपनियों ने अपने मुनाफ़े के लिए ऐसा माहौल बना दिया कि हर चीज़ घर में होनी

चाहिए और किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत न पड़े। हमने इस सोच पर कभी ग़ौर नहीं किया कि यह क़ुरआन की शिक्षा के ख़िलाफ़ है।

सितारा की यह बात मुझे झकझोर गई। वह तो अपनी बात कहकर चुप हो गई, लेकिन मेरे ज़ेहन में यह ख़याल गूंजने लगा कि किस तरह यह "ख़ुदगर्ज़ कल्चर" हमारी ज़िंदगी में गहराता जा रहा है।

मुझे याद आया—जब मैंने नई ज़िंदगी शुरू की थी, तो मेरी फूफी ने कहा था–"बेटा, समझदारी यह है कि किसी से कुछ मांगना न पड़े। सुई से लेकर हर चीज़ घर में मौजूद हो।" इस सोच ने हमें अपने पड़ोसियों से बिल्कुल काट दिया। अब हालत यह है कि ज़रूरत की चीज़ तो दूर, कभी-कभी इस्तेमाल में आने वाली चीज़ भी हम ख़रीद लेते हैं, लेकिन किसी से मांगते नहीं।

बचपन के वाक़िये याद आने लगे। ईद पर जब नारियल कद्दूकस करना होता, तो पड़ोस की आंटी को भी ज़रूरत होती, इसलिए मां पहले ही काम निपटा लेतीं ताकि बाद में उन्हें दे सकें। उस समय तो खाने की ख़ुशबू पड़ोस तक पहुंचते ही वहां भी खाना भिजवा दिया जाता था। मां कहतीं–"बेटा, जब हमारे खाने की ख़ुशबू पड़ोस में जाए तो उससे पहले ही उन्हें हिस्सा भेज देना चाहिए।"

उस वक़्त घर बड़े-बड़े होते थे, फिर भी लोग यह सोचकर पड़ोस का ख़याल रखते थे। अब तो छोटे-छोटे अपार्टमेंट हैं जहां ख़ुशबू तो जाती है, लेकिन कोई तोहफ़ा नहीं जाता। अगर कभी भेज भी दो तो लोग शक करने लगते हैं, यहां तक कि कभी-कभी छूते भी नहीं।

हमें मानना पड़ेगा कि इस नए कल्चर ने हमें अपने पड़ोसियों से बहुत दूर कर दिया है। अब कोई किसी से साल में एक-दो बार मिल ले, बस वही काफ़ी है। हमें एहसास भी नहीं कि हम धीरे-धीरे क़ुरआन की शिक्षा के विपरीत जाल में फंसते जा रहे हैं।

क़ुरआन में कहा गया है–

"अल्लाह की इबादत करो, और माता-पिता, रिश्तेदारों, अनाथों, ग़रीबों, क़रीबी पड़ोसी और अजनबी पड़ोसी के साथ भलाई करो।" (क़ुरआन, 4:36)

आज हम भलाई का मतलब सिर्फ़ इतना समझते हैं कि किसी को कार्यक्रम में बुला लिया, या सलाह दे दी, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में पड़ोसियों का हाल पूछना, उनके बुज़ुर्गों से मिलना, उनके बच्चों की मदद करना, यह सब अब मुश्किल होता जा रहा है।

डिजिटल युग में इंसान "पास रहकर दूर" और "दूर रहकर पास" होता जा रहा है। हाल ही में पड़ोसी मुल्क में दो घटनाएं हुईं — एक में एक बुज़ुर्ग महिला की लाश तीन महीने तक घर में पड़ी रही, किसी को ख़बर न हुई; दूसरी में एक मंझले उम्र के सेलेब्रिटी की लाश छह महीने तक उसके अपार्टमेंट में रही और किसी पड़ोसी को पता नहीं चला। रिश्तेदार भी बेख़बर रहे।

यह आधुनिक जीवनशैली इंसान को इतना बेगाना बना रही है कि एक-दूसरे की ख़बर रखना जैसे ज़िंदगी की सूची से ग़ायब हो गया है।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"जिबरील मुझे पड़ोसी के अधिकारों के बारे में इतनी ताकीद करते रहे कि मुझे लगा शायद पड़ोसी को भी विरासत में हिस्सा दे दिया जाएगा।" (बुख़ारी, मुस्लिम)

आज इंसान गांव छोड़कर शहरों की तरफ़ भाग रहा है। एक ही अपार्टमेंट में कोई नया किराएदार आए तो किसी को पता नहीं होता—वह कौन है, क्या करता है, कितने लोग हैं, कोई समस्या तो नहीं? कोई परवाह नहीं करता।

पहले लोग एक-दूसरे को कार्यक्रमों में बुलाते थे, अब जवाब मिलता है—"हम ऑनलाइन जुड़ते हैं, ऑनलाइन ही क़ुरआन समझ रहे हैं।" जो लोग अपने बंद अपार्टमेंट में ख़ुद को "सुरक्षित" मानते हैं, वही धीरे-धीरे मानसिक और शारीरिक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। और यही कल्चर हम अपने बच्चों में भी डाल रहे हैं—बिना यह सोचे कि यह उन्हें empathy-less (संवेदनहीन) बना देगा।

पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"वह व्यक्ति ईमान वाला नहीं जो ख़ुद पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रहे।" (मुस्नद अहमद)

यह हदीस सिर्फ़ खाने के बारे में नहीं है, बल्कि हर तरह की परेशानी और ज़रूरत में पड़ोसी की मदद से जुड़ी है।

हमें याद है, जब किसी पड़ोसी के घर किसी की मौत हो जाती थी, तो हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, हंसते नहीं, यहां तक कि अच्छे पकवान बनाने से भी परहेज़ करते थे, लेकिन अब न दुख में साथ हैं, न ख़ुशी में। बच्चे भी यही सीख रहे हैं — पड़ोसी की परवाह न करना।

इस तरह हम अपनी आने वाली पीढ़ी को न सिर्फ़ empathy-less बना रहे हैं, बल्कि उन्हें भविष्य की मानसिक बीमारियों के लिए तैयार कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जब बड़े होंगे तो अजनबी शहरों में अजनबी ही रह जाएंगे, न दोस्त बनाएंगे, न कोई जुड़ाव महसूस करेंगे। यही वजह है कि आज ज़िंदगी से इंसानी रिश्ते दूर होते जा रहे हैं।

यहां यह बात समझना ज़रूरी है कि जहां सहयोग और पारस्परिक मदद का रिश्ता ख़त्म होता जा रहा है, वहीं बचे हुए रिश्ते भी अस्वस्थ होते जा रहे हैं—लोग अब एक-दूसरे से संबंध सिर्फ़ इसलिए रखते हैं कि अपनी "तरक़्क़ी", "बच्चों के स्कूल" या "धन-दौलत" का दिखावा कर सकें। बेहतर होगा कि हम अपने रिश्तों पर फिर से विचार करें और कोशिश करें कि हम एक-दूसरे के लिए सुकून देने वाले, और ईश्वरीय आदेशों पर चलने वाले इंसान बनें। ■■


OCEANS SECRET
INDIA'S LEADING CANNED FOOD BRAND
• TUNA
• SARDINES
• MACKEREL
amazon
SEAHATH CANNING CO.

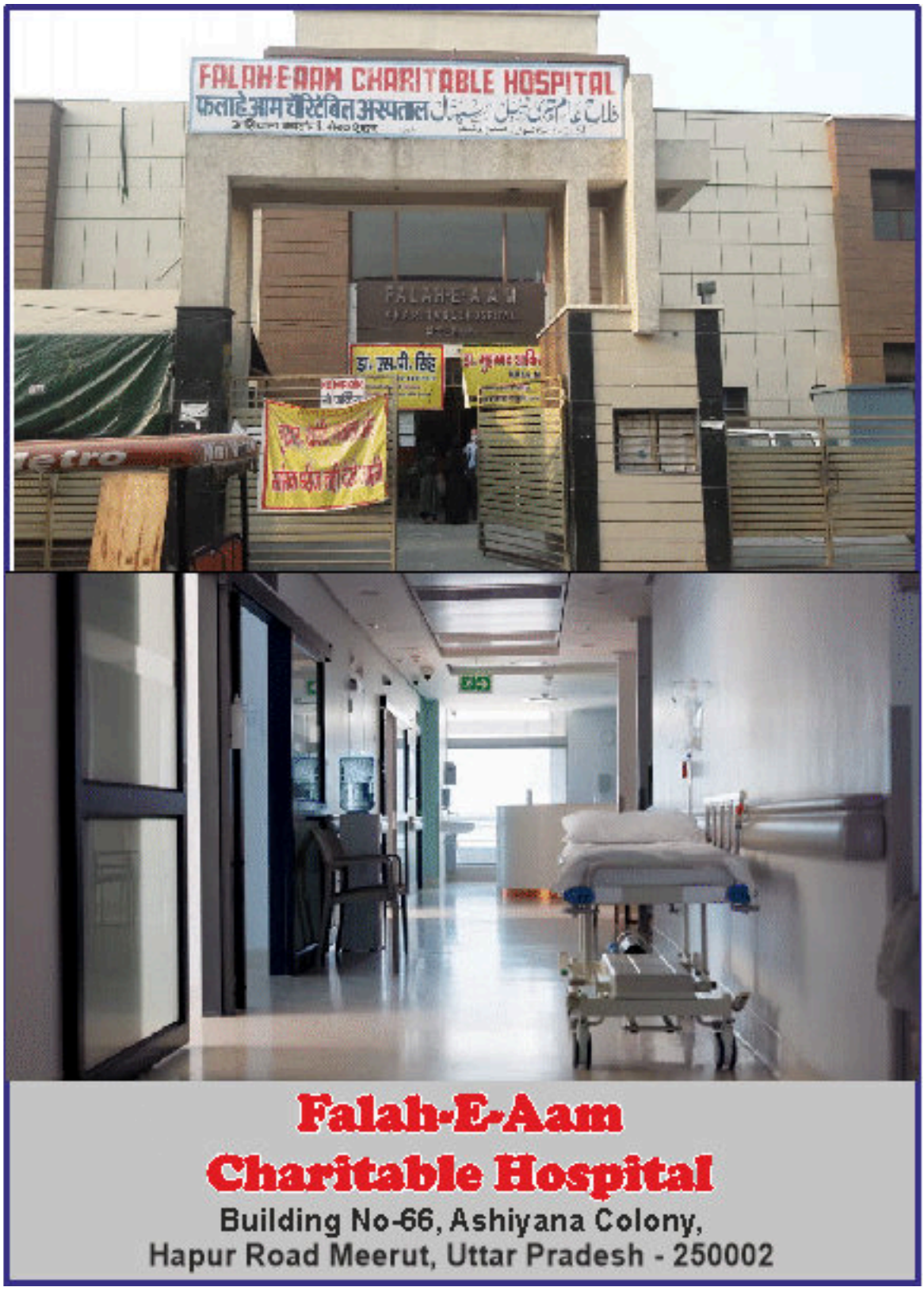

Falah-E-Aam
Charitable Hospital
Building No-66, Ashiyana Colony,
Hapur Road Meerut, Uttar Pradesh - 250002

VIVA

QUALITY FOODS

SEAFOOD PROCESSORS & EXPORTERS

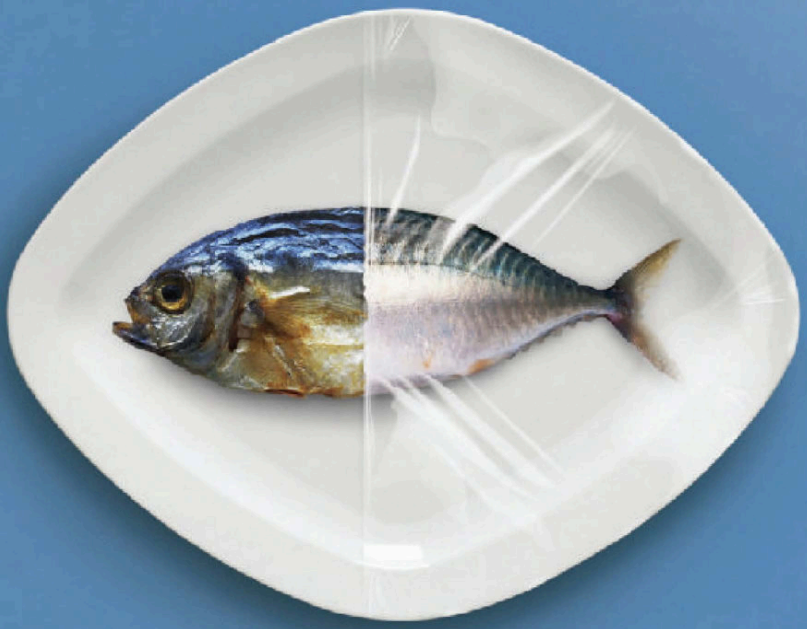

Mohammed Zameer
Managing Partner
HP: +91-7507704787, 9325050906

AN ISO 9001 : 2008 COMPANY

Factory: Plot Nos. SB 39 & SB 50A, Cuncolim Industrial Estate,
Cuncolim - Goa 403703
Tel.: +91 832 2865222 (8 Lines) Fax: +91 832 2865222
Email: qialityfoods.viva@gamil.com qualityfoods77@gmail.com



AL-FARIYA HOSPITAL BUDAUN (UP)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया : "अल्लाह की क़सम! कोई बंदा मोमिन नहीं होता, जब तक वह अपने पड़ोसी के लिए वही पसंद न करे जो अपने लिए पसंद करता है।" (मुस्लिम)

A Well Wisher

पड़ोसी के साथ सद् व्यवहार

नुज़हत यासमीन

एक ही मुहल्ले या कॉलोनी में रहने वाले अगर एक-दूसरे से मेल-जोल न रखें, एक-दूसरे के दुख-सुख में साथ न दें, एक-दूसरे के काम न आएं, तो इंसानी समाज मुश्किलों और परेशानियों में घिर जाएगा। इसीलिए इस्लामी शिक्षा में जहां माता-पिता और दूसरे सगे संबंधियों के साथ अच्छे व्यवहार, सहानुभूति, मुहब्बत और एक-दूसरे के सुख-दुख में साथ देने की शिक्षा दी गई है, वहीं पास-पड़ोस में बसने वालों के साथ भी सम्मान, सद्व्यवहार, सहानुभूति और स्नेह के आदेश दिए गए हैं। अगर इन शिक्षाओं का अनुसरण किया जाए, तो बहुत-सी सामाजिक समस्याओं का समाधान हो सकता है। नफ़रत प्यार में और दुश्मनी दोस्ती में बदल सकती है, तथा ऐसा समाज निर्मित हो सकता है जहां हर व्यक्ति दूसरे का सम्मान और रक्षा अपना दायित्व समझे।

एक बार एक व्यक्ति ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) से प्रश्न किया कि "मुझे कोई ऐसा कर्म बताइए जिससे मुझे जन्नत में प्रवेश मिल सके।" तो पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–"नेक बन जाओ।" उस व्यक्ति ने पूछा, "मुझे कैसे पता लगेगा कि मैं नेक बन गया हूं?" आप (सल्ल.) ने फ़रमाया–"अपने पड़ोसियों से पूछो; अगर वे तुम्हें नेक कहें तो तुम नेक हो, और अगर वे बुरा कहें तो तुम बुरे ही हो।" (शोबुल ईमान – 9567)

पड़ोसी के हालात की जानकारी रखना और उनका ख़याल रखना, यह भी एक पड़ोसी का दायित्व है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की पवित्र शिक्षा उस व्यक्ति के ईमान पर प्रश्नचिह्न लगाती है जो रात में भरपेट खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–"वह व्यक्ति ईमान वाला नहीं है जो भरपेट खाना खाए और उसका पड़ोसी भूखा हो।"

पड़ोसियों को कष्ट देना या उनके साथ दुर्व्यवहार करना, व्यक्ति को दुनिया और आख़िरत (परलोक) — दोनों में घाटे का सौदा करने वाला बना देता है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–"जिसका पड़ोसी उसकी बुराइयों से सुरक्षित न हो, वह जन्नत में नहीं जाएगा।"

(हदीस : मुस्लिम)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया–

"और तुम्हारे पड़ोसी का हक़ है कि जब वह अनुपस्थित हो तो तुम उसके संरक्षक बनो, और जब वह उपस्थित हो तो तुम उसका सम्मान करो; दोनों ही परिस्थितियों में उसकी सहायता करो। तुम उसके किसी दोष के पीछे न पड़ो और न उसमें कोई कमी तलाश करो।"

एक-दूसरे को उपहार देने से आपसी संबंध मज़बूत होते हैं। महिलाएं इस संबंध को घर में बनाए गए पकवानों को उपहारस्वरूप पड़ोस में देकर मधुर संबंध बनाती हैं। लेकिन अगर ऐसे उपहार ख़ुशी से स्वीकार न किए जाएं तो इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने महिलाओं को संबोधित करते हुए फ़रमाया–"तुम में से कोई पड़ोसिन अपनी पड़ोसिन के उपहार को तुच्छ न समझे, चाहे वह बकरी का खुर ही क्यों न हो।"

(बुख़ारी – 2566)

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने फ़रमाया है कि–"एक व्यक्ति के चालीस घर दाएं-बाएं, आगे-पीछे तक पड़ोस हैं।"

इसमें मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम — दोनों शामिल हैं।

हज़रत आयशा (रज़ि.) ने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) से पूछा–"मेरा निकटतम पड़ोसी कौन है?"

फ़रमाया–"जिसका द्वार तुम्हारे द्वार से सबसे निकट हो।"

आज हमने पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के आदेश भुला दिए हैं। आज एक पड़ोसी अपने पड़ोसी को जानता तक नहीं। हर व्यक्ति अपने घर की दीवारों तक सीमित है। पड़ोस में कोई बीमार है, कोई भूखा है, किसी को सहायता की ज़रूरत है—और दूसरे पड़ोसी को इसकी ख़बर तक नहीं होती। यह स्थिति अत्यंत कष्टदायक है।

एक समझदार व्यक्ति पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं से अनुमान लगा सकता है कि ये शिक्षाएं कितनी शानदार हैं– अमन, एकता और भाईचारे को क़ायम करने वाली हैं। अगर सब लोग अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध बनाएं, तो समाज में एक ख़ुशगवार परिवर्तन आ सकता है।

अच्छे संबंधों का प्रभाव हमारे आचरण और व्यवहार पर भी पड़ता है। जब व्यक्ति के संबंधों में कड़वाहट आती है, तो उसके आचरण और व्यवहार में भी कटुता झलकती है; और जब संबंध सगे-संबंधियों व पड़ोसियों से अच्छे होते हैं, तो जीवन सरल और मधुर हो जाता है, क्योंकि इंसानी समाज का मूल आधार ही आपसी संबंध हैं। ■■

एक अपील , एक ऐलान और तआरुफ़

आपकी ख़ुसूसी तवज्जह का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक

मुस्लिम लड़कियों का यतीमख़ाना, गया

38 साल की ख़िदमात



कैफ़ीयते-क़ियाम : इदारा का तीन यतीम लड़कियों से 21 दिसम्बर 1986 को एक किराया के खपरैल मकान में क़ियाम अमल में आया था।

हिन्दुस्तान की रियासत बिहार, झारखंड, बंगाल, उड़ीसा में अपने तर्ज़ की पहली और वाहिद इक़ामती (Residential) तालीमगाह जो इस्लामी और असरी उलूम का संगम होने की वजह से मशहूर है। • इदारा बुनियाद के दिन से ही सही इस्लामी ख़ुतूत पर यतीम के साथ-साथ ग़रीब और ग़ैर-यतीम तालिबात की तालीमी व तर्बीयती ख़िदमात अंजाम दे रहा है। • यहां की तालिबात को मैट्रिक (Matric) पास करने के बाद कॉलेज के अलावा अरबी यूनिवर्सिटी में पहले और दूसरे साल में बाआसानी दाख़िला मिल जाता है। • शोबा-ए-हिफ़्ज़ की तालिबा को भी हिफ़्ज़ के साथ-साथ मैट्रिक तक पढ़ाया जाता है। • पांच ज़ुबानों में क़ुरआन और इस्लामियात और बिहार बोर्ड के निसाबे-तालीम के साथ मेयारी तालीम का नज़्म है। • **तालीमी साल** अप्रैल ता मार्च, • इदारा के अहाता (Campus) में ही पर्दे में रहकर नर्सरी से मैट्रिक तक की तालीम, होम साइंस, सिलाई-कटाई, मेहंदी व पेंटिंग और कम्प्यूटर की तालीम वग़ैरा दी जाती है। इसके लिए बच्चियों को कहीं आना-जाना नहीं पड़ता। **तालीमी मराहिल** • इब्तिदाई •सानवी • आला • फ़ासलाती तालीम • शोबा हिफ़्ज़ **यतीम तालिबात की तादाद** 75 **नोट** यतीम तालिबात का सारा ख़र्च, तआम व क़ियाम वग़ैरा बिल्कुल मुफ़्त है। **बैरूनी तालिबात की तादाद** अपने ख़र्च पर दारुल अक़ामा (Boarding) में रहकर तालीम हासिल करने वाली और दूसरे गांव से पढ़कर जाने वाली लगभग 100 हैं। **किफ़ाला स्कीम (Sponsorship)** के तहत एक यतीम बच्ची का सालाना ख़र्च पच्चीस हज़ार रुपये (Rs. 25,000) है। आप भी एक यतीम बच्ची की किफ़ालत की ज़िम्मेदारी लेकर सवाब में शरीक हों। **असातिज़ा, मुअल्लिमात और दीगर मुलाज़िमीन की तादाद** 33 तदरीसी और ग़ैर-तदरीसी स्टाफ़ की एक माह की तनख़्वाह एक लाख पच्चास हज़ार रुपये (Rs.1,50,000) से ज़्यादा है। **सालाना ख़र्च** तक़रीबन चालीस लाख रुपये (Rs. 40,00,000)। **ज़रिया आमदनी** मुस्लिम अवाम के चंदे **अपील** आज के माद्दापरस्ताना और जदीद दौर में लड़कियों के लिए जदीद और मुकम्मल इस्लामी तर्ज़े-तालीम के साथ रिहाइशी (Residential) इदारों की पहले से कहीं ज़्यादा बढ़कर ज़रूरत है। • आप इस महंगाई को देखते हुए और रमज़ान के मुबारक मौक़ा पर इदारे की नन्ही-मुन्नी मासूम यतीम बच्चियों को ऊंचा उठाने के लिए अपने • ज़कात • अतियात • सदक़ात से भरपूर माली मदद करें ताकि वे तालीम और हुनर के मैदान में आगे बढ़ सकें और किसी से पीछे न रहें। • बाक़ी तामीरी व तालीमी मन्सूबों को पूरा करने के लिए रक़म की फ़ौरी ज़रूरत है। • इदारा आपके फ़राख़दिलाना और मुख़लिसाना भरपूर माली तआवुन का मुंतज़िर है। **याद रखें** यह लड़कियों का इदारा है। यहां चंदा वसूल करने वालों की बहुत कमी है। यहां का कोई भी मुहस्सिल कमीशन पर चंदा वसूल नहीं किया करता है।

नोट : इदारा की मुख़्तसर तारीख़ दस्तावेज़ी फ़िल्म (Documentary Film) नज़रे-इनायत You Tube (Nazr-e-Enayeth) पर देखें।

चैक व ड्राफ़्ट और कोर बैंकिंग स्लिप पर सिर्फ यह लिखें : THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGAE

बराए राबिता चैक व ड्राफ़्ट और मनीआर्डर भेजने का पता

Founder & Hon. G. Secretary, THE GAYA MUSLIM GIRLS ORPHANAGE, At • : Kolowna, P.o : Cherki-824237, Distt : Gaya (Bihar) India

Email : thegayamuslimgirlsorphanage@gmail.Com, Mobile : 8969435151, Website : www.gmgo.in

: Beneficiary Name
THE GAYA MUSLIM GIRLS' ORPHANAGE
(Bank A/C No. : 300402010007752 (ज़कात
(Bank A/C No. : 300402010009846 (डोनेशन
Bank IFSC Code No : UBIN0530042
Bank : UNION BANK OF INDIA
(MAIN BRANCH GAYA)

Scan & Pay

याद रखें : बैंक में रक़म ट्रांसफ़र की तफ़्सील बराए मेहरबानी स्कैन एंड पै (Scan & Pay) या किसी ज़रिये से रक़म ट्रांसफ़र के बाद स्क्रीन शॉट (Screen Shot) नाम व पता सहित व्हाट्स एप कर दें ताकि रसीद भेजी जा सके।

व्हाट्स एप नम्बर 7367909126 बानी व इज़ाज़ी जनरल सेक्रेट्री इकबाल अहमद ख़ां 9934480190

पटना ब्रांच ऑफ़िस : पटना शहर के हमदर्द अपना चैक व ड्राफ़्ट और रक़म देने के लिए इनसे राबिता करें।

जनाब ग़ुलाम मुहम्मद ख़ां (सद्र) समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9934943229

जनाब इंजीनियर मुहम्मद हसनैन ख़ां, समनपूरा, पटना, मोबाइल : 9631867066

मुक़दमेबाज़ी और समाधान की राह

जब पड़ोसी बन जाएं पक्षकार

ज़हीर ललितपुरी

पड़ोसियों के बीच छोटे-मोटे झगड़े होना आम बात है, लेकिन जब ये झगड़े मुक़दमेबाज़ी का रूप ले लेते हैं तो बहुत बड़ी समस्या बन जाते हैं। आज के समय में पड़ोसियों के बीच बिना कारण और बेवजह मुक़दमेबाज़ी एक गंभीर सामाजिक समस्या बन गई है। यह कई परेशानियों, मुसीबतों, कठिनाइयों, बर्बादी, ग़रीबी और पिछड़ेपन की वजह है, लेकिन इस्लामी शिक्षाओं में पड़ोसियों के आपसी संबंधों को सुधारने और मधुर बनाने के जो उपदेश दिए गए हैं, उन पर अमल किया जाए तो एक हद तक इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है।

असल में आज मानव जीवन में जो विसंगतियां, स्वार्थी सोच, लोभ-लालच और असहिष्णुता बढ़ रही है, उसके कारण लोगों में द्वेष, घृणा, दुश्मनी और वैरभाव बढ़ रहा है। मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है। यही बातें पड़ोसियों के बीच बढ़ती मुक़दमेबाज़ी की बड़ी वजहें हैं। आज समाज में बुनियादी परिवर्तन की ज़रूरत है। आख़िरी धर्मग्रंथ क़ुरआन और आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं में इस समस्या का हल मौजूद है। इस्लामी जीवन व्यवस्था में बताए गए सिद्धांत, नीतियां और परंपराएं इंसान के भीतर की बुराइयों, लोभ, लालच, ईर्ष्या, असहिष्णुता और नफ़रत को मिटाकर ऐसे विवादों की जड़ को ख़त्म कर देती हैं, जिनसे अक्सर मुक़दमेबाज़ी की नौबत आती है।



विचाराधीन मुक़दमों की चिंताजनक स्थिति

आज दुनिया की अदालतों में, ख़ासतौर पर भारत की अदालतों में, मुक़दमों की बहुत बड़ी संख्या लंबित है। इनमें से बड़ी संख्या पड़ोसियों के आपसी मुक़दमों की है। इन मुक़दमों में आपराधिक (फ़ौजदारी) और दीवानी (ज़मीन-जायदाद से जुड़ी) दोनों तरह के मामले शामिल हैं।

सितंबर 2025 के समाचार माध्यमों के अनुसार, भारत की अदालतों में 5.30 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में सबसे ज़्यादा मुक़दमे पेंडिंग हैं। कहा जाता है कि भारत में 50 साल से ज़्यादा समय से 3442 मुक़दमे अब भी लंबित हैं, जिनमें से उच्च न्यायालयों में 2300 और ज़िला अदालतों में 1113 हैं। यानी इन मुक़दमों के पक्षकारों की कई पीढ़ियों के संघर्ष के बावजूद उन्हें अभी तक न्याय नहीं मिल सका है। इनमें भी पड़ोसियों के मुक़दमों की बड़ी संख्या है।

राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, 21 जुलाई 2025 तक देश की अदालतों में 5.29 करोड़ से अधिक मामले लंबित थे। इनमें से लगभग 4.65 करोड़ मामले ज़िला और अधीनस्थ अदालतों में और 63.30 लाख मामले उच्च न्यायालयों में थे। सर्वोच्च न्यायालय में 86,742 मुक़दमे लंबित थे।

सितंबर 2025 तक कुल 5.3 करोड़ मुकदमों में से लगभग 4.7 करोड़ निचली अदालतों में हैं, जहां पड़ोसियों के बीच भूमि विवाद, संपत्ति के झगड़े और दूसरे छोटे-मोटे मामले दर्ज होते हैं।

न्यायाधीशों की कमी, अदालतों में ढांचा और संसाधनों की कमी, गवाहों का सहयोग न मिलना, मुक़दमे की सुनवाई की लंबी प्रक्रिया और बार-बार तारीख़ें पड़ना। हालांकि सरकार न्यायाधीशों की नियुक्ति, फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट और ई-कोर्ट प्रणाली से इस समस्या को कम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हालात अब भी चिंताजनक हैं।

पड़ोसियों के बीच मुक़दमों के कारण

मुक़दमेबाज़ी अपने आप में एक ख़तरनाक सामाजिक

समस्या है। इसका मूल कारण भौतिकवाद और ईश्वर से दूरी है। यही पड़ोसियों के झगड़ों की मुख्य वजह बनता है। ज़्यादातर मामले संपत्ति, बाउंड्री, रास्ते या अन्य स्थानीय विवादों से जुड़े होते हैं।

पड़ोसियों के बीच ज़मीन की सीमाओं, दीवारों, नालियों, खिड़कियों, रास्तों और पानी के निकास जैसी बातों पर झगड़े आम हैं। जब कोई पड़ोसी दूसरे की ज़मीन पर क़ब्ज़ा करने की कोशिश करता है, या उसकी दीवार से झांकता है, या उसकी निजता में दख़ल देता है, तो विवाद शुरू होता है। कई बार बच्चों की लड़ाइयां, औरतों की कहासुनी या घरेलू ईर्ष्या भी झगड़े को मुक़दमे तक पहुंचा देती हैं। कुछ मामले पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगर पड़ोसी अलग-अलग धर्मों, जातियों या समुदायों के हों तो ऐसे विवाद साम्प्रदायिक तनाव का रूप ले लेते हैं। कई बार ऐसे झगड़े दंगे और हिंसा में भी बदल जाते हैं। कुछ जगहों पर विभिन्न धर्मों के धार्मिक स्थलों के आस-पास होने से विवाद का ख़तरा और बढ़ जाता है।

आजकल मुहल्लों में लड़के-लड़कियों के बीच प्रेम संबंधों और प्रेम विवाहों के मामले भी सामने आ रहे हैं, इस कारण भी पड़ोसियों में तनाव पैदा होता है। असल में, पड़ोसियों के बीच नफ़रत और दुश्मनी के कई कारण हो सकते हैं। अगर इनकी रोकथाम न की जाए तो हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। ऐसे विवाद पूरे समाज को नुक़सान पहुंचाते हैं।

पड़ोसियों के झगड़ों का इस्लामी समाधान

दो पड़ोसियों के बीच शुरू होने वाला झगड़ा पूरी बस्ती को प्रभावित करता है। जैसे एक घर में लगी आग पूरी गली को जला देती है, वैसे ही मुक़दमेबाज़ी का असर पूरे समाज पर पड़ता है। इन झगड़ों से सिर्फ़ पक्षकार ही नहीं बल्कि अन्य लोग भी परेशान होते हैं। इसलिए इस्लामी शिक्षाओं में पड़ोसियों के संबंधों को अच्छा बनाए रखने पर ज़ोर दिया गया है। इस्लामी तालीम में विस्तार से बताया गया है कि एक पड़ोसी का दूसरे पर क्या हक़ है और पड़ोसियों के साथ कैसा रवैया रखना चाहिए।

कई इस्लामी परंपराएं पड़ोसियों के रिश्ते इतने मज़बूत बना देती हैं कि मुक़दमे की नौबत ही नहीं आती–

जैसे पड़ोसी को सलाम करने में पहल करना, उसके हालचाल लेना, उसके बच्चों से स्नेह रखना, उसकी बीमारी में हाल पूछना, उसकी तकलीफ़ में मदद करना, उसके सुख-दुःख में शामिल होना, उसकी ग़ैरहाज़िरी में उसके घर का ख़याल रखना, उसकी ग़लतियों को माफ़ करना, उसकी कमज़ोरियों को छिपाना और उसके सम्मान की रक्षा करना आदि ऐसी परम्पराएं हैं जो सामाजिक ताने-बाने को बिखरने नहीं देतीं।

इसी तरह, इस्लामी शिक्षाएं उन कामों से रोकती हैं जो विवाद पैदा करते हैं, जैसे पड़ोसी के घर में झांकना, अपने घर का परनाला उसकी ओर करना, उसका रास्ता रोकना, कचरा उसकी तरफ़ फेंकना, उसकी औरतों की ओर नज़र उठाकर देखना, उसकी चुग़ली या बुराई करना, अनावश्यक बातें और अपशब्दों का प्रयोग करना। इस्लामी सभ्यता हमेशा ऐसे आचरण सिखाती है जो पड़ोसियों के बीच नफ़रत, द्वेष और दुश्मनी को ख़त्म करते हैं और मुक़दमेबाज़ी की संभावना को मिटाते हैं।

क़ुरआन और आख़िरी पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाओं में हर सामाजिक समस्या का हल बताया गया है। इस्लामी जीवन व्यवस्था में जो सिद्धांत और नीतियां बताई गई हैं, वे मनुष्यों के बीच, ख़ासकर पड़ोसियों के बीच, प्रेम, करुणा और सहयोग का वातावरण बनाती हैं। इस समाज में ऐसे समझदार और सुलझे हुए लोग भी होते हैं जो झगड़े और ग़लतफ़हमियां दूर करने की कोशिश करते हैं, पीड़ित को न्याय दिलाते हैं और ज़ालिम को रोकते हैं। क्योंकि इस्लामी शिक्षाओं के अनुसार लोगों के बीच सुलह करवाना, नफ़रत मिटाना और आपसी भाईचारा बढ़ाना बहुत बड़ा नेक काम है। ■■

ग़ज़ल

• ज़हीर ललितपुरी

होता है अगर कोई वफ़ादार पड़ोसी
रहता है मदद को सदा तैयार पड़ोसी
है आपकी इमदाद[1] का हक़दार पड़ोसी
कमज़ोर ग़रज़मंद[2] तलबगार[3] पड़ोसी
अहसान जताये जो मददगार पड़ोसी
कमज़र्फ़[4] कहा जाएगा ज़रदार[5] पड़ोसी
वो शख़्स ज़माने में मुक़द्दर का धनी है
मिल जाए जिसे साहिब किरदार[6] पड़ोसी
अख़्लाक़[6] वफ़ा[7] प्यार रवादारी[8] करम से
ख़ुशहाल बना सकते हैं संसार पड़ोसी
हर कोई करे अपने पड़ोसी की मदद तो
नादार[9] न रह पाएगा नादार पड़ोसी
लाज़िम[10] है ज़हीर उसकी हमी ख़ैरियत पूछें
गर ख़ुद न बता पाता है ख़ुद्दार[11] पड़ोसी।

मायने : 1.मदद, 2. ज़रूरतमंद, 3. मांगने वाला, 4. संकीर्ण विचार का, 5. धनवान, 6. व्यवहार, 7. निष्ठा, 8. सहनशीलता, 9. ग़रीब, बेसहारा, 10. ज़रूरी, 11. स्वाभिमानी

हिन्दू धर्म ग्रन्थों में पड़ोसी के अधिकार
(वेद, उपनिषद्, स्मृति के संदर्भ में)

प्रो. (श्रीमती) डॉ. बी. नाज़ (पी.एच.डी, संस्कृत)

यजुर्वेद का एक वाक्य है–'यत्र विश्वं भवत्येकेनीड़म (32/8) अर्थात् जहां समस्त ब्रह्माण्ड एक घर है। स्पष्ट करता है कि समस्त मानव समाज परस्पर सहयोग सद्भावना और सम्मान पर आधारित है। अतः 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की इस अवधारणा में 'पड़ोसी' का स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। समस्त धर्म-ग्रन्थों का सार तत्व भी यही है कि व्यक्ति केवल स्वयं के लिये नहीं, बल्कि समाज के कल्याण हेतु जन्म लेता है। अपने कुटुम्ब के लोगों की सुख-सुविधाओं, आचार-विचार के साथ-साथ अपने आस-पास के लोगों की सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना हमारा नैतिक दायित्व है। वेदों में इन नैतिक मूल्यों का प्रतिबिम्ब सर्वत्र दिखायी पड़ता है–

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासतिः॥
(ऋ०-10/191/4)

अर्थात् '''हे मनुष्यो! तुम्हारे संकल्प समान हों, तुम्हारे हृदय परस्पर मिले हुए हैं, तुम्हारे मन समान हों, जिससे तुम लोग परस्पर मिलकर एक होकर रहो।

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनासि जानताम्।
(ऋ०-10/191/2)

अर्थात् "सब मिलकर चलो, मिल-जुलकर एक-दूसरे से स्नेहपूर्वक वार्तालाप करो।"

यह श्लोक सामाजिक एकता और पड़ोसी सम्बन्धों के सौहार्द्र की भावना का स्पष्ट प्रमाण है। यजुर्वेद जीवन की सफलता हेतु परार्थ साधन का उद्घोष करते हुए परोपकार, स्वार्थपरित्याग एवं त्यागवृत्ति का संदेश देकर पड़ोसी से सदाचरण की पुष्टि करता है। आधुनिक काल में सर्वत्र स्थार्थपरता का बोलबाला है। धन प्राप्ति एवं वितरण में असमानता है जो कुछ मेरा है उसमें से मैं किसी को कुछ न दूं, की इस अवधारणा का यजुर्वेद **'तेन् त्यक्तेन् भुञ्जीथा'** (यजु. 40/1) कहकर प्राप्त धन का त्याग भाव से भोगने का सुंदर संदेश देकर ग़रीब, असहाय पड़ोसी की मदद का मार्ग प्रशस्त करता है।

उपनिषदों में 'आत्मवत् सर्वभूतेषु की शिक्षा पड़ोसी धर्म का आध्यात्मिक स्वरूप ही हैं–

यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति।
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥
(ईशा०, मंत्र-6)

सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना किसी से वैर न रखना का तात्पर्य भी पड़ोसी के साथ अन्याय शत्रुता या ईर्ष्या न रखना है।

पड़ोसी को नीच या पराया समझना अज्ञानता है, क्योंकि छान्दोग्य उपनिषद् के अनुसार–

सर्व खल्विदं ब्रह्म। (छान् दोग्योप० 3/14/1)

सब एक ही परमात्मा के अंश हैं।

स्मृति ग्रंथों में भी पड़ोसी से सद्व्यवहार के उदाहरण प्राप्त होते हैं।

न परदारान न परद्रव्यं न परमानसं चरत्।

यह श्लोक पड़ोसी की मर्यादा (स्त्री) सम्पत्ति (द्रव्य) और अधिकार का सम्मान करने की शिक्षा देता है।

पड़ोसी के प्रति आदर गोपनीयता एव सम्मान सूचक श्लोक हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में भी प्राप्त होते हैं।

महाभारत और पुराणों में भी पड़ोसी के साथ सहयोग और सहायता को पुण्य कर्म कहा गया है। पुराणों के सार में कहा जाता है–

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्॥

श्रीमद्भगवद् गीता तोजो केवल अपने निमित्त भोजन पकाते हैं, वे निरा पाप खाते हैं–

"भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्"। (3/13

"जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही पकाते हैं, वे तो पाप को (ही) खाते हैं।

इसमें दूसरों के प्रति सम्वेदनापूर्ण व्यवहार रखने व उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखने का संदेश है। विशेषतः पड़ोसी के प्रति।

अतः हिन्दू धर्म ग्रन्थ इस तथ्य को प्रतिपादित करते हैं कि समस्त पृथ्वी एक परिवार हैं, पड़ोसी इस परिवार का निकटतम सदस्य है। अतः उसका सम्मान, सहायता सहानुभूति और उसके अधिकारों की रक्षा करना ही सच्चा मानव धर्म है। ■■

पड़ोसी के अधिकार : बाइबिल की शिक्षाओं से

अज़का हयात

पड़ोसी का सम्मान, उसकी सुरक्षा, और उसके अधिकारों की रक्षा करना इंसानियत का अनिवार्य हिस्सा है। यही कारण है कि इस्लाम ने पड़ोसियों के अधिकारों को विशेष महत्व दिया है। इस्लाम में जहां पड़ोसियों के साथ भलाई करने, उनकी सुरक्षा, मदद और सम्मान के अनेक निर्देश मिलते हैं, वहीं यहूदी और ईसाई धर्मग्रंथों में भी पड़ोस के साथ संबंध को आस्था और नैतिकता का हिस्सा माना गया है। बाइबिल के पुराने नियम (Old Testament) में पड़ोसी के प्रति ईमानदारी, न्याय, सहानुभूति और प्रेम का जो आह्वान किया गया है, वह भी उल्लेखनीय है।

निम्नलिखित पद (Verses) पुराने नियम से लिए गए हैं, जो पड़ोसी के अधिकारों, कर्तव्यों और उनके प्रति नैतिक व्यवहार की दिशा में स्पष्ट मार्गदर्शन देते हैं–

1. निर्गमन 20:15-17 – "तू चोरी न करना...अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना...अपने पड़ोसी के घर या जो कुछ भी उसका है उसकी लालसा न करना।"

2. व्यवस्थाविवरण 19:14 – "तू अपने पड़ोसी की सीमा का चिन्ह न हटाना..."

कान्ति के वे सब्सक्राइबर
जिन्होंने अभी तक अपनी ख़रीदारी
की रक़म जमा नहीं की है,
बराय मेहरबानी
इस QR Code
के ज़रिये जल्द
अदायगी करें।
Name: KANTI
Pay Directly to: kanti8920589292@indianbk
नोट :
अदायगी के बाद
स्क्रीनशॉट
इस नम्बर पर
(9818799223)
ज़रूर भेजें।

3. निर्गमन 22:26-27 – "यदि तू अपने पड़ोसी का वस्त्र गिरवी ले, तो सूर्यास्त से पहले लौटा देना।"

4. लैव्यव्यवस्था 19:13 – "तू अपने पड़ोसी को न दबाना और न लूटना। मज़दूर की मज़दूरी तेरे पास रातभर न ठहरे।"

5. लैव्यव्यवस्था 19:15-16 – "अपने पड़ोसी के साथ न्याय में पक्षपात न करना...उसके विरुद्ध अपवाद न करना।"

6. लैव्यव्यवस्था 19:18 – "तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना।"

7. निर्गमन 23:4-5 – "यदि तू अपने शत्रु का बैल या गधा भटकता हुआ पाए, तो उसे लौटा देना...उसकी मदद करना।"

8. व्यवस्थाविवरण 5:20-21 – "तू अपने पड़ोसी के विरुद्ध झूठी गवाही न देना...उसके घर-परिवार या वस्तुओं की लालसा न करना।"

9. लैव्यव्यवस्था 19:17 – "तू अपने भाई से मन में बैर न रखना; परन्तु अपने पड़ोसी को सच-सच समझाना।"

10. निर्गमन 21:33-34 – "यदि कोई गड्ढा खोदे और उसमें पड़ोसी का बैल गिर जाए, तो उसका मुआवज़ा देना होगा।"

11. व्यवस्थाविवरण 22:1-4 – "यदि पड़ोसी का पशु भटक जाए या गिर जाए, तो उसकी मदद करनी है, अनदेखी न करनी।"

12. नीतिवचन 3:28-29 – "अपने पड़ोसी से मत कह, 'कल आना, तब मैं दूंगा,' जब तेरे पास है...अपने पड़ोसी के विरुद्ध बुराई की युक्ति मत रच।"

इन सभी आदेशों में यह मूल भाव प्रतिध्वनित होता है कि पड़ोसी का अधिकार केवल एक सामाजिक मर्यादा नहीं, बल्कि धार्मिक दायित्व भी है। व्यक्ति की सच्ची ईश्वर-भक्ति तभी पूर्ण होती है जब वह अपने आसपास के लोगों, चाहे वे अपने हों या पराये—के साथ न्याय, करुणा और प्रेम का व्यवहार करे। यही मानवता का सार है। ■■

"तुम जानते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे पड़ोसियों के साथ होता है, वही तुम्हारे साथ भी होगा।" (गुरु ग्रंथ साहिब, अंग 1373) यह पंक्ति वास्तव में सामाजिक जुड़ाव की भावना (interconnectedness) को दर्शाती है, कि हम एक समुदाय की तरह जुड़े हैं। पड़ोसियों की कठिनाई, उनकी पीड़ा हमारा भी विषय है।

तथागत बुद्ध का पड़ोस धर्म

प्रो. धन सिंह रवि

बुद्ध का धम्म मार्ग मानव कल्याण का मार्ग है। उनके दर्शन में मानव संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। पड़ोसियों के साथ सद्भावना, करुणा और मैत्री को प्रोत्साहित किया गया है। हमें पड़ोसियों के साथ सदैव शील, करुणा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। बुद्ध की शिक्षाओं में पड़ोसियों की भलाई की कामना करने और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मदद करने पर ज़ोर दिया गया है। बुद्ध परामर्श देते हैं कि अपने पड़ोसियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए, जैसा हम अपने परिवार, मित्रों और संबंधियों से अपेक्षा करते हैं।

करुणा और मैत्री

बुद्ध सभी संवेदनशील प्राणियों के प्रति दया और करुणा भाव रखने पर बल देते हैं। सभी प्राणियों की भांति पड़ोसियों के प्रति भी दया, करुणा और मैत्री भाव रखना हमारा कर्तव्य है। पड़ोसियों के दुख-दर्द में उनके प्रति दया और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। दया और करुणा से व्यक्ति दूसरों के कष्ट को कम करने की इच्छा रखता है तथा आत्म-केंद्रिता से मुक्त होता है। यदि कोई व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार करे या कभी हमारा अहित भी कर दे, तो भी उसके दुर्व्यवहार को मन में न रखते हुए हमें उसके प्रति भी सभी प्राणियों की भांति मैत्री की भावना रखनी चाहिए। बुद्ध कहते हैं–

"अक्कोच्छि मं अवधी मं अजिनि मं अहासि में,
ये च तं उपनरहन्ति, बेरं तेसं न सम्मति।"

अर्थात् — उसने मुझे डांटा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे जीत लिया, उसने मेरा सब कुछ लूट लिया — जो ऐसा भाव मन में बनाए रखते हैं, उनका वैर कभी शांत नहीं होता।

"न हि वेरेन न वेरानि सम्मन्ति ध कुदाचनं,
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्तनों।"

अर्थात् — इस संसार में वैर से वैर कभी शांत नहीं होते; अवैर (मैत्री) से ही वैर शांत होते हैं। यही संसार का शाश्वत नियम है। अतः अपने पड़ोसियों से कभी वैर नहीं रखना चाहिए।

शील

बुद्ध पड़ोसियों के साथ शीलयुक्त व्यवहार रखने की शिक्षा देते हैं। इस संबंध में बुद्ध का पंचशील सिद्धांत उल्लेखनीय है, जो एक सार्वभौमिक सिद्धांत है–

"पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदम समादियामि।"

(मैं प्राण-हत्या से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं।)

अर्थात्—प्राणी मात्र की भांति अपने पड़ोस में भी अहिंसा का वातावरण बनाए रखना चाहिए।

"आदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदम समादियामि।"

(मैं बिना दिए किसी की कोई वस्तु लेने से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं।)

अर्थात्—कभी किसी की वस्तु उसकी अनुमति के बिना नहीं लेनी चाहिए; यह चोरी कहलाती है। यदि पड़ोसी से किसी वस्तु की आवश्यकता हो तो मांगकर या अनुमति लेकर लेनी चाहिए। इससे पड़ोसियों के साथ संबंध मधुर बने रहते हैं।

"कामेसु मिच्छाचार वेरमणि सिक्खापदम समादियामि।"

(मैं व्यभिचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं।)

अर्थात्—सदैव महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। सभी महिलाओं के समान यही नियम पड़ोस धर्म पर भी लागू होता है। महिलाओं पर कटाक्ष, छींटाकशी या कुदृष्टि नहीं रखनी चाहिए। अपने संबंधियों की भांति पड़ोस की महिलाओं को भी मां, बहन और बेटी की दृष्टि से देखना चाहिए।

"मुसावादा-वेरमणि सिक्खापदम समादियामि।"

(मैं असत्य, कठोर वचन, चुग़ली, निंदा और गाली-गलौज से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं।)

अर्थात्—सभी व्यक्तियों के समान अपने पड़ोसियों के प्रति भी संयमित व्यवहार रखना चाहिए। उनसे असत्य या कठोर वचन न बोलें, न किसी की निंदा करें, न चुग़ली या अपशब्दों का प्रयोग करें।

"सुरामेरमज्ज पमादट्ठाना वेर मणि सिक्खापदम समादियामि।"

(मैं कच्ची-पक्की शराब और सभी नशीले पदार्थों के सेवन से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूं।)

अर्थात्—नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा मनुष्य के मस्तिष्क को विकृत कर देता है, जिससे वह स्वयं, परिवार तथा अपने पड़ोसियों के लिए भी परेशानी उत्पन्न कर देता है।

सदाचरण

बुद्ध की शिक्षाओं में सर्वत्र सम्यक आचरण की बात कही गई है। अपने सदाचरण द्वारा हमें अपने पड़ोसियों से सदैव मधुर संबंध बनाए रखने चाहिए। सही दृष्टिकोण और सद्भाव की भावना, मधुर व संयमित वाणी, कटुता से विरत रहना, नैतिकता का पालन, ईमानदारी और सौम्य व्यवहार युक्त आचरण अपने पड़ोसियों के साथ रखना चाहिए।

"सब्ब पापस्स अकरणं, कुसलस्स उपसम्पदा,
सचित्त परियोदपम एतं बुद्धानुसासनं।"

अर्थात्—सभी पापों का न करना, कुशल कर्मों का संचय करना और अपने चित्त को सदैव पूर्ण रूप से शुद्ध रखना, यही बुद्ध की शिक्षा है। ■■

पड़ोस की अवधारणा : वास्तविकता से डिजिटल तक

मुहम्मद सिकन्दर

इंसान एक सामाजिक प्राणी है और कोई भी इंसान अकेले रहकर पूरा जीवन नहीं जी सकता। पड़ोस यानी हमारे आसपास रहने वाले दूसरे लोगों से जुड़ना हमेशा से मानव जीवन का अहम हिस्सा रहा है, लेकिन समय के साथ-साथ पड़ोस के मायनों और उसके व्यवहार में बदलाव आता रहा है। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) के समय का पड़ोस केवल भौगोलिक नज़दीकी का नाम नहीं था बल्कि ईमान और नैतिकता से जुड़ी एक पवित्र ज़िम्मेदारी का नाम था। आधुनिक समय में पड़ोस भौगोलिक सीमाओं तक सीमित रह गया है और तेज़ रफ़्तार जीवन शैली के कारण कमज़ोर पड़ गया है। आज के



आईटी युग में पड़ोस केवल भौतिक ही नहीं बल्कि वर्चुअल भी हो चुका है जिसने लोगों के जुड़ने के तरीक़े को बदल दिया है।

शुरुआती समाज में पड़ोसी परिवार का हिस्सा माने जाते थे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने बार-बार उनके अधिकारों पर ज़ोर दिया और अच्छे पड़ोसी को ईमान का हिस्सा बताया। आपने फ़रमाया–वह मोमिन नहीं है जो पेट भरकर सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। इस छोटे से कथन में यह संदेश छिपा है कि सच्चा ईमान दूसरों की भलाई में झलकता है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के जीवन से कई उदाहरण मिलते हैं जो पड़ोसी के महत्व को बताते हैं। आपने अपने साथी हज़रत अबू-ज़र (रज़ि.) को नसीहत की कि —"ऐ अबु ज़र जब तुम शोरबा पकाओ तो उसमें पानी ज़्यादा डालो और पड़ोसी को भी दो।" इस तरह की छोटी-छोटी बातें समाज में मुहब्बत और हमदर्दी पैदा करती थीं।

मदीना में हिजरत के बाद पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) ने अंसार और मुहाजिरीन के बीच भाईचारे का रिश्ता क़ायम किया। अंसार ने अपने घर, माल और फ़सल तक मुहाजिरीन के साथ बांट लिए। यह केवल कोई साधारण पड़ोस नहीं था, बल्कि ईमान और समाज की नींव पर खड़ा हुआ एक अनोखा पड़ोस था। यह मिसाल आज भी इंसानी इतिहास के सबसे शानदार पड़ोस के रूप में गिनी जाती है। उस दौर में पड़ोस केवल स्थान और जगह साझा करने का नाम नहीं था, बल्कि यह नैतिक ज़िम्मेदारी थी, जिसमें लोग एक-दूसरे की इज़्ज़त, ज़रूरत और सुकून की हिफ़ाज़त करते थे।

समय के साथ-साथ पड़ोस की अवधारणा भी बदल गई। शहरीकरण, प्रवास और वैश्वीकरण के साथ आज पड़ोस ज़्यादातर गली, मुहल्ले, कॉलोनी और अपार्टमेंट तक सीमित होकर रह गया। आज भी पड़ोसी आपातकाल और ज़रूरत के समय मदद करते हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के दौर जैसी नहीं रही। बड़े शहरों में लोग बरसों तक साथ रहते हैं, लेकिन एक-दूसरे का नाम तक नहीं जानते। आधुनिक ज़िंदगी तेज़, निजी और आत्मकेंद्रित हो गई है। हमारा पड़ोस, जिसे गहरी नैतिक बुनियादों पर खड़ा होना चाहिए था, अब मात्र एक भौगोलिक ढांचा बनकर रह गया है।

आज के पड़ोस में कुछ अच्छी बातें भी हैं। त्योहार, शादी-ब्याह या दुख और शोक के मौक़ों पर लोग इकट्ठा होते हैं। किसी दुर्घटना या आपदा में सबसे पहले मदद पड़ोसी ही करते हैं। हाउसिंग सोसायटियां और वेलफेयर एसोसिएशन मिलकर समस्याओं का हल निकालते हैं, लेकिन इन सकारात्मक बातों के बावजूद कई कमज़ोरियां साफ़ दिखाई देती हैं। सबसे बड़ी

कमज़ोरी जुड़ाव की है। लोग दरवाज़े बंद करके रहते हैं और रिश्ते बस औपचारिकता का रूप ले चुके हैं। बढ़ते अपराधों ने पड़ोसियों में शक और डर का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अक्सर ख़ुदगर्ज़ होकर रहना पसंद करते हैं। तेज़ आवाज़ में संगीत बजाना, गंदगी फैलाना या साझा जगहों पर क़ब्ज़ा करना आम हो गया है। कोविड-19 महामारी ने एक और कमज़ोरी उजागर की, जब कई बुज़ुर्ग पड़ोसी महामारी के दौरान अकेलेपन और तकलीफ़ में जी रहे थे और आसपास रहने वालों ने डर के कारण उनकी सुध तक नहीं ली।

आज आईटी और डिजिटल क्रांति ने पड़ोस की एक नई शक्ल पैदा की है। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने वर्चुअल पड़ोस की नई अवधारणा को जन्म दिया है। लोग अब ऑनलाइन रिश्ते बनाते हैं जो कई बार असली पड़ोस से भी ज़्यादा मज़बूत लगते हैं। किसी व्यक्ति को अपने अपार्टमेंट में रहने वाले पड़ोसी से ज़्यादा नज़दीकी एक ऑनलाइन दोस्त से महसूस होती है। डिजिटल पड़ोस की इस सोच में कुछ ख़ूबियां भी हैं। यह लोगों को ज्ञान साझा करने, भावनात्मक सहारा देने और दुनिया भर में दोस्त बनाने का अवसर देता है। कई बार ऑनलाइन फंडरेज़िंग और कैंपेन के ज़रिए ज़रूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद भी मिल जाती है।

लेकिन इसकी कमज़ोरियां भी गंभीर हैं। लोग घंटों ऑनलाइन चैट में लगे रहते हैं और सामने वालों को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। वर्चुअल रिश्तों में गहराई नहीं होती, क्योंकि वह एक क्लिक से टूट जाते हैं। पारंपरिक मोहल्लों की सामूहिकता और महत्व कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि लोग अपने फोन से दुनिया भर से बातचीत करते हैं, लेकिन अपने बग़ल वाले से बात करने का समय नहीं निकालते। अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक-दूसरे से मिलते तक नहीं। इसके अलावा डिजिटल पड़ोस नकारात्मक भी हो सकता है — झगड़े, नफ़रत भरे संदेश और साइबर बुलिंग भरोसा बनाने के बजाय तोड़ देती है। इस तरह आईटी ने पड़ोस की परिभाषा तो बढ़ा दी है, लेकिन लोगों को असली ज़िंदगी में और अकेला कर दिया है।

पड़ोस की अवधारणा समय के साथ बदलती रही है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली पड़ोस सिर्फ़ जगह साझा करने का नाम नहीं है बल्कि इंसानियत साझा करने का नाम है। अगर आधुनिक समाज डिजिटल रिश्तों और असली पड़ोस दोनों में संतुलन बना ले, तो हम पड़ोस की उस असली रूह को ज़िन्दा कर सकते हैं, जहाँ मुहब्बत, हमदर्दी, भलाई और सहयोग का वह रिश्ता बनता है जो इंसानों को समय और जगह से परे जोड़ देता है।

इसका समाधान संतुलन में है। हमें डिजिटल जुड़ाव का फ़ायदा उठाना चाहिए, लेकिन अपने असली पड़ोस को नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की हिदायतें हर दौर के लिए रहनुमाई करती हैं। साधारण-सी चीज़ें बांटना, चाहे वह एक कटोरी खाना ही क्यों न हो, रिश्ते बनाता है। बीमारी या मुसीबत में हाल पूछना, मदद करना और मुस्कान के साथ लोगों से मिलना मुहब्बत पैदा करता है। पड़ोसियों को नुक़सान न पहुँचाना, उन्हें तकलीफ़ से बचाना, शोर कम करना, सफ़ाई रखना, उनकी इज़्ज़त और ख़याल रखना भी इबादत का हिस्सा है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की हिदायतें हमें सिखाती हैं कि असली पड़ोस नैतिक ज़िम्मेदारी है, जो भौतिक और डिजिटल दोनों दुनियाओं में सुकून और अमन पैदा करता है।

आख़िर में, पड़ोस की अवधारणा समय के साथ बदलती रही है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) के दौर में यह हमदर्दी, रहमत, ईमान और साझी ज़िम्मेदारी पर खड़ी थी। आधुनिक समय में यह भौगोलिक ढांचे तक सीमित हो गई और व्यस्त जीवनशैली ने इसे कमज़ोर कर दिया। आज के आईटी युग में पड़ोस डिजिटल दुनिया तक फैल गया है, जिसने लोगों को वैश्विक स्तर पर जोड़ दिया है, लेकिन असली रिश्तों को कमज़ोर करता जा रहा है। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि असली पड़ोस सिर्फ़ जगह साझा करने का नाम नहीं है बल्कि इंसानियत साझा करने का नाम है। अगर आधुनिक समाज डिजिटल रिश्तों और असली पड़ोस दोनों में संतुलन बना ले, तो हम पड़ोस की उस असली रूह को ज़िन्दा कर सकते हैं, जहाँ मुहब्बत, हमदर्दी, भलाई और सहयोग का वह रिश्ता बनता है जो इंसानों को समय और जगह से परे जोड़ देता है। ■■



पड़ोसियों से रिश्ते : ईमान की पहचान

गुलज़ार सहराई

धर्म और मज़हब का नाम सुनते ही मनुष्य के दिमाग़ में केवल पूजा-पाठ या नमाज़-रोज़ा जैसी धार्मिक क्रियाओं की कल्पना उभर आती है, जिससे यह समझ लिया गया है कि धर्म केवल इबादत या पूजा-पाठ का नाम है। हो सकता है कि कुछ धर्मों की वास्तव में यह धारणा रही हो, परन्तु दुर्भाग्यवश इस्लाम को भी धर्म की इसी परिभाषा के अन्तर्गत समझा जाने लगा है। सबसे बड़ी दुखद बात तो यह है कि इस्लाम से सम्बन्धित यह धारणा ख़ुद मुसलमानों की अधिकांश संख्या की धारणा बनी हुई है। ऐसे में अगर मुसलमान ख़ुद इस बात से अनजान हों कि पड़ोसियों से उनके सम्बन्ध कैसे होने चाहिएँ, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मुसलमानों की आम धारणा के अनुसार तो यह सब दुनियादारी की कटैगरी में आता है। हालाँकि इस्लाम ने इस सम्बन्ध में स्पष्ट मार्गदर्श किया है–

क़ुरआन का मार्गदर्शन

"और अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ किसी को साझी न ठहराओ, माता-पिता के साथ भलाई करो, रिश्तेदारों, अनाथों, गरीबों, नज़दीकी पड़ोसी, अजनबी पड़ोसी और पहलू के साथी के साथ भी भलाई करो।" (क़ुरआन, 4:36)

क़ुरआन की इस आयत में अल्लाह के अधिकारों (उसकी इबादत करना और उसके साथ किसी को साझी न ठहराना) के साथ उसके बन्दों के अधिकार (मानवाधिकार) भी बयान कर दिये गये हैं, जिसमें मां-बाप, दूसरे रिश्तेदारों, ग़रीबों,अनाथों के साथ-साथ पड़ोसी का उल्लेख विशेष रूप से किया गया है और पड़ोसी की तीन कटैगरी बताई गई हैं। (1) नज़दीकी पड़ोसी (जो रिश्तेदार भी हो सकते हैं), (2) अजनबी पड़ोसी (इसमें मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम दोनों शामिल हैं) (3) और पहूल के साथी। इससे मुराद वह व्यक्ति जो सफ़र में आपके बराबर में बैठा हो। इन सभी से अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा क़ुरआन की उपर्युक्त आयत में दी गई है।

हदीसों का मार्गदर्शन

इस दृष्टि से जब हम हदीसों का अध्ययन करते हैं तो उसमें हमें पड़ोसियों के अधिकारों की शिक्षाएं विस्तृत रूप में मिलती हैं। अबू-शुरैह (रज़ि०) रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने फ़रमाया–

"अल्लाह की क़सम! वह शख़्स मोमिन (ईमानवाला) नहीं, अल्लाह की क़सम! वह शख़्स मोमिन नहीं, अल्लाह की क़सम! वह शख़्स मोमिन नहीं।" सहाबा ने पूछा,"ऐ अल्लाह के रसूल! कौन?" फ़रमाया,"जिसका पड़ोसी उसकी शरारत से सुरक्षित न हो।" (बुख़ारी-6016)

इस हदीस से मालूम होता है कि पड़ोसी का ख़याल रखना ईमान की अनिवार्यताओं में से है, और पड़ोसी को जान-बूझकर दुख एवं कष्ट पहुँचाना ईमान के ख़िलाफ़ है। यहाँ यह स्पष्ट रहे कि पड़ोसी कौन हो, किस धर्म का हो, हदीस में इसको स्पष्ट नहीं किया गया है। जिसका साफ़ मतलब है कि पड़ोसी किसी भी धर्म का हो, उसका ध्यान रखना और उसे कष्ट न पहुँचाना हर उस व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है जो अल्लाह पर ईमान रखने का दावेदार हो।

पड़ोसी के मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम का भेद न करना मुसलमान के लिए अनिवार्य है, यह निम्नलिखित हदीस से और भी स्पष्ट हो जाता है।

अब्दुल्लाह-बिन-अम्र-बिन-आस (रज़ि०) से उल्लिखित है कि उनके लिए घर में एक बकरी ज़ब्ह की गई, जब वे आए तो पूछा, "क्या तुम लोगों ने हमारे यहूदी पड़ोसी के घर (गोश्त का) तोहफ़ा भेजा? मैंने अल्लाह के रसूल (सल्ल०) को फ़रमाते हुए सुना है, मुझे जिबरील (अलैहि०) पड़ोसी के साथ अच्छे व्यवहार की ताकीद करते रहे यहां तक कि मुझे गुमान होने लगा कि ये उसे वारिस बना देंगे।" (सुनने-तिरमिज़ी-1943)

इन हदीसों से पता चलता है कि सहाबा किराम (रज़ि०) पड़ोसियों के अधिकारों के मामले में कितने संवेदनशील और जागरूक रहते थे और इस सम्बन्ध में वे रिश्ते-नाते, धर्म आदि का भेद न करते हुए इस्लाम की शिक्षाओं पर अमल करते थे।

एक अन्य हदीस में तो इसे और अधिक स्पष्ट करते हुए यह बताय गया है कि यदि पड़ोसियों का ध्यान न रखा जाए और उन्हें परेशान किया जाए तो ऐसा करने से इबादत करना भी व्यर्थ हो जाता है, और बदले में ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद जहन्नम (नरक) की यातना भोगनी होगी।

अबू-हुरैरा (रज़ि०) से उल्लिखित है कि नबी (सल्ल०) से पूछा गया, "ऐ अल्लाह के रसूल! फ़ुलाँ औरत रात को क़ियाम करती (नमाज़ पढ़ती) है और दिन को रोज़ा रखती है और नेकी के दूसरे काम करती है और सदक़ा-ख़ैरात (दान) भी करती है, लेकिन अपनी ज़बान से अपने पड़ोसियों को तकलीफ़ पहुंचाती है?" अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने (यह सुनकर) फ़रमाया, "उसमें कोई भलाई नहीं, वह जहन्नमी है!" उन्होंने (सहाबा ने) कहा,

“और फ़ुलां औरत (सिर्फ़) फ़र्ज़ नमाज़ अदा करती है और पनीर के कुछ टुकड़े सदक़ा कर देती है, लेकिन किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाती?” उसपर अल्लाह के रसूल (सल्ल॰) ने फ़रमाया, “वह जन्नती औरतों में से है!” (अल-अदबुल-मुफ़रद-119)

एक भ्रान्ति का निवारण

उपर्युक्त हदीस से ज्ञात होता है कि इस्लाम ने मानवाधिकारों को कितना महत्व दिया है, यहां तक कि उनके उल्लंघन पर इबादत के बावजूद परलोक में कठोर दंड की चेतावनी दी। इस प्रकार की हदीसों को पढ़कर या सुनकर कुछ लोग यह समझने लगते हैं कि इस्लाम में मानवाधिकार ही सब कुछ हैं। और फिर वे इसी का प्रचार शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों की नज़र में इस्लामी इबादतों का कोई महत्व नहीं होता। मगर यह एक बड़ी ग़लत-फ़हमी है। इस्लाम में इबादतों का अपना महत्व है, विशेषकर उन इबादतों का जो इस्लाम ने हर ईमानवाले के लिए फ़र्ज़ (अनिवार्य) की हैं। इन फ़र्ज़ इबादतों का अदा करना हर मुसलमान के लिए अनिवार्य है, केवल लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने से इनकी अनिवार्यता समाप्त नहीं हो जाती। दरअस्ल उपर्युक्त हदीस में उस मानसिकता को ग़लत ठहराया गया है जिसके तहत इबादतों की अधिकता को ही सब कुछ समझ लिया जाता है, और इस भ्रान्ति में कि बस अल्लाह को हमारा दिन-रात सजदे में पड़े रहना ही पसन्द है, बाक़ी दूसरे इनसानों के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, इससे उसे कोई सरोकार नहीं है। उपर्युक्त हदीस का उद्देश्य इसी ग़लत धारणा को दूर करना है।

पड़ोसियों के सम्बन्ध : कल और आज

क़ुरआन और हदीस में वर्णित इस्लाम की उपर्युक्त शिक्षाओं से पता चलता है कि इस्लाम में मानवाधिकारों विशेषकर पड़ोसियों के अधिकारों का कितना महत्व है। पड़ोसियों के अधिकारों पर विशेष बल इसलिए भी दिया गया है कि समाज में यही वह वर्ग है, जिससे इनसान का पहला व्यावहारिक सम्पर्क होता है। चाहे-अनचाहे पड़ोसी एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। दुख-तकलीफ़ में भी वही हमारे सबसे निकट होते हैं, जिनसे हमें तुरन्त सहायता मिल सकती है। इसलिए पड़ोसियों के महत्व को झुठलाया नहीं जा सकता।

एक ज़माना था जब पड़ोसियों से सम्बन्ध रिश्तेदारों जैसे ही हुआ करते थे। यह घनिष्टता तो इस हद तक होती थी कि कुछ लोग तो दो घरों के बीच में छोटी-सी खिड़की तक रख लेते थे, जिससे दोनों घरों की महिलाओं को आपस में बात करने या चीज़ों के लेन-देन में सुविधा होती थी। कुछ घरों में यह खिड़की इतनी बड़ी होती कि उससे आना-जाना भी हो जाया करता था।

धीरे-धीरे समय बदलता गया, पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव जैसे-जैसे बढ़ता गया, वैसे-वैसे लोग अपने-अपने दायरों में सिमटते गए। गांवों-क़स्बों का हाल तो अब भी बहुत ग़नीमत है, शहरों में फ़्लैट कल्चर ने तो जैसे हर इनसान को लोगों की भीड़ में भी अकेला कर दिया है। एक ही बिल्डिंग के बने फ़्लैटों में रहनेवाले लोग अपने पड़ोसियों के नाम तक नहीं जानते। वर्षों गुज़र जाते हैं, एक-दूसरे से परिचय तक नहीं होता। रही-सही कसर मोबाइल और स्मार्ट फ़ोन ने पूरी कर दी है।

पहले तो पड़ोसियों से कुछ-न-कुछ सम्बन्ध रखना इसलिए भी ज़रूरी होता था, ताकि आप मुहल्ले में परिचित हो सकें और यदि कोई आपसे मिलने आए तो लोग उसे आपके घर तक पहुंचा सकें, क्योंकि अगर कोई आपको जानेगा ही नहीं तो लोग आनेवाले को आपका पता कैसे बता सकेंगे? लेकिन मोबाइल और स्मार्ट फ़ोन ने आज के आत्मकेन्द्रित व्यक्तियों को पड़ोसियों की इस ज़रूरत से भी बेपरवाह कर दिया है।

चुनांचे अब पड़ोसियों को अपना परिचय कराने और उनसे सम्बन्ध बनाने की आवश्यकता ही जैसे ख़त्म हो गई है। दुख-तकलीफ़ में अब लोग पड़ोसी की मदद लेने के बजाए सीधा सम्बन्धित व्यक्ति को फ़ोन करते हैं। आपके यहां किसी मुलाक़ाती को भी आपके पड़ोसियों से आपका पता पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब यह नहीं है कि मोबाइल फ़ोन कोई बुरी चीज़ है, लेकिन बहरहाल इसने हमारी सामाजिकता को प्रभावित अवश्य किया है, विशेषकर पड़ोसी का महत्व हम जैसे बिल्कुल भूल ही गए हैं।

लेकिन बहरहाल हम चूंकि मुसलमान हैं, अल्लाह और रसूल (सल्ल॰) पर ईमान रखने के दावेदार हैं, इसलिए हमें न तो समाज से कटकर रहना चाहिए और न फ़ोन के होने की वजह से पड़ोसियों से बिलकुल बेपरवाह हो जाना चाहिए, इसलिए कि पड़ोसियों का ध्यान रखने और उनके साथ अच्छे व्यवहार की शिक्षा हमें हमारे धर्म इस्लाम ने दी है।

ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसियों से सम्बन्ध

यों तो पड़ोसियों के साथ व्यवहार में मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम का भेद करने की शिक्षा इस्लाम ने नहीं दी है और हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ग़रीब पड़ोसियों की आर्थिक सहायता, दुख-बीमारी में उनकी देखभाल, ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर के यहां ले जाना, यहां तक कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनके लिए रक्तदान भी कर सकते हैं, मगर साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि सौहार्द की भावना में आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिए जिससे इस्लाम ने मना किया हो, जो इस्लामी धारणाओं के विपरीत हो, या जो इस्लाम विरोधी धारणाओं के सहयोग के दायरे में आता हो। बाक़ी आम सांसारिक मामलों में आप हर तरह से उनकी सहायता कर सकते हैं और उनसे सहायता ले भी सकते हैं, बल्कि इस तरह का व्यवहार रखना चाहिए।

इन बातों का विशेष ध्यान रखें

पड़ोसियों से सम्बन्ध रखने में कुछ बातों का अगर ध्यान रखा जाए तो सम्बन्धों में कटुता नहीं आती।

(1) पड़ोसियों से सम्बन्ध ज़रूर रखें, आपके घर खाने में कुछ विशेष बना हो, तो पड़ोसियों को अवश्य दें, लेकिन एक-दूसरे के घर आना-जाना कम ही करें, और जाएं भी तो समय और मौक़ा देखकर, बल्कि कोशिश यह हो घर में उसी वक़्त जाएं जब आपको आग्रह करके बुलाया जाए। ख़ुद न जा धमकें। कुछ महिलाओं की आदत ज़्यादा घुलने-मिलने की होती है, और वे ज़रा-सा काम से छुट्टी मिलते ही पड़ोस में पहुंच जाती हैं। इस तरह की आदत से बचें।

(2) कुछ लोगों विशेषकर महिलाओं का मानना होता है कि हम किसी से कोई लेन-देन नहीं करते। यह सोच दुरुस्त नहीं है, स्वाभिमानी होना अच्छी बात है, मगर इसकी अति व्यक्ति को अत्यन्त शुष्क और अव्यावहारिक बना देती है। ऐसा व्यक्ति फिर किसी को कुछ देता भी नहीं। यह बात इस्लामी स्वभाव के भी ख़िलाफ़ है।

क़ुरआन की सूरा-107 (माऊन) में ऐसे लोगों की निन्दा की गई है जो लोगों को छोटी-मोटी मामूली चीज़ें देने तक से इनकार कर देते हैं। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर छोटी-मोटी चीज़ें न तो मांगने में कोई बुराई है, न मांगनेवाले को हेय एवं तुच्छ समझना चाहिए, बल्कि एक-दूसरे की मदद अवश्य करी चाहिए। यह नेकी तो है ही, ऐसा करने से आपसी सौहार्द भी बढ़ता है, सम्बन्धों में मधुरता बनी रहती है।

(3) पड़ोसियों के बीच खाने-पीने की चीज़ों के अलावा कुछ ऐसी चीज़ों का भी आदान-प्रदान होता है, जिन्हें इस्तेमाल के बाद लौटाना होता है। मसलन प्रेस, मोबाइल चार्जर, मिक्सर, छाता, साइकिल आदि। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि आपने इस्तिरी, चार्जर, या मिक्सर जैसी कोई चीज़ ज़रूरत के लिए पड़ोसी से ली है, तो इस्तेमाल करने के बाद तुरन्त स्वयं लौटा दें। यह सोचकर कि उसे ज़रूरत होगी तो ख़ुद मांग लेगा/लेगी लापरवाह न हो जाएं। यह रवैया आम तौर पर लोगों में पाया जाता है, जो दूसरे के लिए असुविधा का कारण बनता है। आप विशेष ध्यान रखें कि आपका रवैया ऐसा न हो और अगर आपके पड़ोसी यही रवैया आपके साथ अपनाते हैं, तो उन्हें शालीनतापूर्वक समझाएं।

आख़िरी बात

कोई भी व्यक्ति समाज से कटकर नहीं रह सकता और न रहना चाहिए। शहरों के फ़्लैट कल्चर ने लोगों के बीच अजनबियत बढ़ा दी है, पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण लोग 'बस अपने काम से मतलब' की नीति पर चलने लगे हैं और इसी को 'सभ्यता' समझने लगे हैं, मोबाइल और स्मार्ट फ़ोन ने दूसरों के प्रति उदासीनता को और बढ़ा दिया है, फिर भी एक मुसलमान होने के नाते हमें अपने आस-पास के लोगों से बिलकुल कटकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि हर मुश्किल समय में उनकी सहायता एवं सहयोग करना चाहिए कि यही हमारे धर्म इस्लाम की शिक्षा है। ■■

लघुकथा

नन्हे हृदय से सीख

दोपहर का समय था, असलम ने देखा कि उसका इकलौता बेटा अम्मार फूट-फूट कर रो रहा है। थोड़ा व्याकुल होकर उसने जल्दी से उसे उठाया और पूछा, "क्या हुआ बेटा? क्यों रो रहे हो?"

अम्मार ने रोते हुए शिकायत की, "अब्बू, यासिर ने मेरी साइकिल में जानबूझ कर दो बार टक्कर मारी। हैंडल मुड़ गया है, और मेरे पैर में बहुत चोट लग गई है।"

असलम ने अपने बेटे के घुटने पर नज़र डाली, उसे एक छोटी सी खरोंच दिखाई दी। चोट मामूली थी, लेकिन एक पिता के दिल पर यह बहुत ज़्यादा थी। गुस्से में, वह बाहर भागा और यासिर के चेहरे पर ज़ोर से थप्पड़ जड़ा।

यासिर ज़ोर से चिल्लाया, उसकी माँ दौड़कर उसके पास आई। जब उसे पता चला कि असलम ने उसके बच्चे को मारा है, तो वह आग-बबूला हो गई। "तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की?" वह चिल्लाई। शांत होने के बजाय, असलम ने फिर से झगड़ा शुरू कर दिया। जल्द ही अम्मार की माँ, यासिर के पिता और पड़ोसी इकट्ठा हो गए। आवाज़ें तेज़ होती गईं, फिर गालियाँ जिसने बेकाबू झगड़े का रूप ले लिया।

आखिरकार किसी ने पुलिस को फ़ोन किया। कुछ ही मिनटों में एक गश्ती दल आ पहुँचा। दोनों पक्षों की बात सुनकर पुलिस अधिकारी को एहसास हुआ: यह झगड़ा बच्चों की वजह से शुरू हुआ था। उसने अनुरोध किया कि बच्चों को उसके पास लाया जाए।

लोगों ने इधर-उधर देखा, तो अम्मार और यासिर कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। पड़ोसियों ने सोचा कि शायद वे डर के मारे छिप गए होंगे। तभी अम्मार यासिर की साइकिल पर सवार होकर गली से नीचे आया, यासिर पिछली सीट पर खुशी से हँसते हुए चिल्ला रहा था, "और तेज़! और तेज़!"

बच्चे तो लड़ाई-झगड़ा भूलकर फिर से खेलने लगे थे, जबकि बड़े लोग गुस्से से लाल-पीले खड़े थे। यासिर ने भीड़ की तरफ़ देखा और मासूमियत से पूछा, "बाबा, लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं? कोई पार्टी होने वाली है क्या?"

उसके मासूम सवाल पर सब लोग हँस पड़े। लेकिन उस हँसी के पीछे हर किसी को एक अनमोल सबक समझ में आया:

बच्चे लड़ते-झगड़ते हैं और कुछ ही मिनटों में सुलह कर लेते हैं, लेकिन बड़े अक्सर छोटे-मोटे झगड़ों को ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी में बदल देते हैं। पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच, बच्चों के झगड़ों को रिश्तों में ज़हर घोलने देना मूर्खता है। मज़बूत पड़ोस क्रोध से नहीं, बल्कि धैर्य, क्षमा और छोटे-मोटे झगड़ों से ऊपर उठकर समझदारी से बनते हैं। *–संकलित*

अन्दुलुस (मुस्लिम स्पेन) का पड़ोसदारी मॉडल आज भी आदर्श

मुशर्रफ़ अली

इस्लाम में, ख़ास तौर से पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) की शिक्षाओं में पड़ोसियों के अधिकारों पर इतना ज़ोर दिया गया है कि सच्चे ख़लीफ़ाओं और बाद के मुस्लिम हुक्मरानों ने भी न्याय और इंसाफ़ को क़ायम करने के साथ-साथ पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार और हमदर्दी की बेहतरीन मिसालें पेश कीं। इस सिलसिले में छिट-फुट और निजी मिसालें तो अनगिनत है, लेकिन अन्दुलुस के मॉडल को सबसे पहले पेश किया जा सकता है, इसलिए कि वह लॉडल वहां की व्यवस्था का हिस्सा था।

अन्दुलुस की पड़ोसदारी का मॉडल इस्लाम के इतिहास में एक बहुत उज्ज्वल और मिसाली मॉडल है। वहां मुसलमानों ने सिर्फ़ हुकूमत और तहज़ीब की नींव ही नहीं रखी बल्कि सामाजिक संबंधों और पड़ोस के अधिकारों की एक अनोखी तस्वीर भी पेश की। क़ुर्तुबा और ग़र्नाता (Cordoba and Granada) में सदियों तक मुसलमान, ईसाई और यहूदी एक-दूसरे के साथ पड़ोसी बनकर सुख और शांति के साथ रहते थे।



इतिहास में मिलता है कि ईद के मौक़े पर मुसलमान अपने ईसाई पड़ोसियों को खाना भिजवाते और ईसाई क्रिसमस पर मुसलमानों को उपहार दिया करते। इसे ही "अन्दुलुस की पड़ोसदारी का मॉडल" कहा जाता है।

1. बहुधार्मिक पड़ोसदारी

अन्दुलुस में मुसलमान, ईसाई और यहूदी सदियों तक एक ही मोहल्लों और बस्तियों में साथ-साथ रहते थे।

• शासक वर्ग होते हुए भी मुसलमान अपने उन पड़ोसियों के साथ, जो मुसलमान नहीं थे और शासित थे, न्याय, दया और सहिष्णुता से पेश आते थे।

• यहूदी और ईसाई पड़ोसियों को उनके उपासना स्थलों और धार्मिक स्वतंत्रता में पूरा संरक्षण दिया जाता था।

2. शैक्षिक और सांस्कृतिक पड़ोसदारी

• पड़ोस (मुहल्ले) की बुनियाद पर ज्ञान के केंद्रों और पुस्तकालयों तक सबकी समान पहुंच थी।

• मुसलमान पड़ोसी अपने घरों में ज्ञान की सभाएं आयोजित करते, जिनमें यहूदी और ईसाई पड़ोसी भी शामिल होते थे।

• इस बौद्धिक साझेदारी ने अन्दुलुस को मध्य युग में ज्ञान और दर्शन का केंद्र बना दिया।

3. आर्थिक सहयोग और पड़ोसदारी

• बाज़ार और गलियों की व्यवस्था आपसी सहयोग से चलाई जाती थी। मुसलमान, ईसाई और यहूदी दुकानदार अपने पड़ोसी दुकानदारों का सम्मान और उनके अधिकारों की रक्षा करते थे।

• यदि किसी पड़ोसी पर आर्थिक कठिनाई आती तो दूसरे पड़ोसी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ते।

• ज़कात और सदक़े का लाभ केवल मुसलमानों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उन पड़ोसियों को भी उनका लाभ पहुंचता, जो मुस्लिम नहीं थे।

4. सामाजिक संबंध और मेल-जोल

• पर्व-त्योहार, शादी-विवाह और ख़ुशी व ग़म के सारे मौक़े पड़ोसी परिवार एक-दूसरे के मिलकर मनाते थे।

• बीमार पड़ोसी की सेवा और कठिनाई में उसका साथ देना एक आम परंपरा थी।

• सभी सामाजिक रस्मों में पड़ोसदारी का संबंध बहुत महत्व रखता था।

5. शांति और न्याय की सुरक्षा

• स्पेन की इस्लामी हुकूमत ने यह नियम बनाया था कि पड़ोसियों के साथ किसी भी तरह का अत्याचार या ज़्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

• मोहल्ले के छोटे-छोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर बातचीत और समझौते के ज़रिए हल किया जाता था।

• इसी न्याय और इंसाफ़ की वजह से अन्दुलुस के मुहल्ले अमन और भाईचारे की पहचान बन गए।

अन्दुलुस की पड़ोसदारी का मॉडल इस बात की जीवंत मिसाल है कि अगर अलग-अलग क़ौमें, धर्म और सभ्यताएं पड़ोसियों के अधिकारों को पहचानें और उन पर अमल करें, तो ऐसा समाज बनता है जो पूरी दुनिया के लिए शांति, समृद्धि, ज्ञान और इंसाफ़ का प्रतीक हो जाता है। आज हमारे देश भारत में भी "अन्दुलुस पड़ोसदारी मॉडल" लाने की ज़रूरत है। हम सभी देशवासियों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। हम इसकी शुरुआत अपने मुहल्ले से कर सकते हैं।

(संदर्भ —"History of Muslim Spain" – Stanley Lane-Poole)

अन्दुलुस के इस मॉडल के पहले और बाद के इतिहास में भी पड़ोसी के सम्मान और उसके साथ सद्व्यवहार की घटनाओं की कमी नहीं है। ऐसी घटनाएं हर दौर में नज़र आती हैं। अल्लाह के रसूल (सल्ल०) ने पड़ोसी के साथ सद्व्यवहार की केवल नसीहत ही नहीं की है, बल्कि आपका व्यवहार सिर्फ़ अच्छे पड़ोसी के साथ ही नहीं, बल्कि बुरे और तकलीफ़ देने वाले पड़ोसियों के साथ भी बहुत अच्छा था। आप सब के साथ सब्र, रहम-दिली और अच्छे अख़लाक़ से पेश आते थे।

• रिवायतों में है कि मदीना में पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) का एक यहूदी पड़ोसी था, जो आप के निवास से थोड़ी दूरी पर रहता था। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के प्रति उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। जब भी वह आपको देखता तो बहुत बुरा मुंह बनाता और सख़्त नागवारी का इज़हार करता। कभी-कभी नबी के रास्ते में कूड़ा-कड़कट और दूसरी तकलीफ़ देने वाली चीज़ें भी डाल देता। लेकिन पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) ने कभी बदला नहीं लिया, बल्कि हमेशा सब्र और नरमी का बर्ताव करते रहे।

एक दिन वह यहूदी बीमार हो गया। पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल०) को जब इसकी ख़बर मिली तो आप उसके घर गए। उसका हाल-चाल पूछा और अल्लाह से उसके स्वास्थ्य के लिए दुआएं की। यह देखकर वह यहूदी बहुत हैरान हुआ। उसे नबी के प्रति अपना दुरव्यवहार और उसके जवाब में नबी के सद्व्यवहार याद आने लगे। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के नैतिक गुणों से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने आप के सामने इस्लाम को समझने की इच्छा व्यक्त की। पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) ने जब उसे इस्लाम की बुनियादी बातें बताईं तो उसने बेझिझक इस्लाम क़ुबूल कर लिया।

• पहले ख़लीफ़ा हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ (रज़ि.) ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी संभालने से पहले पड़ोसियों का हक़ समझते हुए अपने मुहल्ले की बेवाओं और यतीमों की बकरियों का दूध निकाल दिया करते थे। ख़लीफ़ा बनने के बाद भी उन्होंने इस काम को जारी रखा। ख़िलाफ़त की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद पहले दिन जब अमीरुल मोमिनीन एक विधवा औरत के यहां बकरी दुहने पहुंचे तो उस औरत की छोटी बच्ची ने कहा, "हम तो समझ रहे थे कि अब आप नहीं आएंगे। अब तो आप मुसलमानों के अमीर चुन लिए गए हैं, तो हमारी बकरियों का दूध दुहना आपको शोभा नहीं देगा।"

हज़रत अबूबक्र (रज़ि.) मुस्कुराए और स्नेह से उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोले : "पड़ोसियों का ख़याल रखना हर हाल में मेरी ज़िम्मेदारी है। अमीर चुने जाने से मैं इस ज़िम्मेदारी से आज़ाद नहीं हो गया।" यह वाक़िया पड़ोसियों की मदद और उनकी ज़िम्मेदारी निभाने की बेहतरीन मिसाल है।

• हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) की ख़िलाफ़त के ज़माने की एक घटना बहुत मशहूर है। हज़रत उमर (रज़ि.) ख़िलाफ़त के दौरान लोगों के हालात मालूम करने के लिए अक्सर रात को गश्त किया करते थे। एक रात गश्त के दौरान उन्होंने एक तम्बू से बच्चों के रोने की आवाज़ सुनी। वह एक विधवा औरत का तम्बू था और उस दिन उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। वह औरत बच्चों को बहलाने के लिए चूल्हे पर ख़ाली हांडी चढ़ाए बैठी थी।

हज़रत उमर ने जब यह हाल देखा तो भागे-भागे बैतुल माल (सरकारी ख़ज़ाना) पहुंचे और वहां से आटा-दाल आदि, खाना पकाने के सामान ख़ुद अपनी पीठ पर लादकर ले चले। बैतुल माल का सेवक मदद के लिए आगे बढ़ा तो उन्होंने उसे रोक दिया और कहा : "क़ियामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ तुम नहीं उठाओगे।" फिर वे सामान लेकर उस औरत के पास पहुंचे और खाना बनाने में भी उसकी मदद की, ताकि खाना जल्दी तैयार हो सके।

• अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (रज़ि.) से जुड़ी एक दूसरी घटना भी है। मदीना में एक आदमी ने ख़लीफ़ा हज़रत उमर (रज़ि.) से शिकायत की कि "मेरा पड़ोसी रात को ऊंची आवाज़ में क़ुरआन पढ़ता है, जिससे मेरी नींद ख़राब होती है।" शिकायत करने वाला भी मुसलमान था, इसलिए हज़रत उमर ने उसे समझाते हुए कहा : "देखो, वह तुम्हारा भाई है। वह अल्लाह को राज़ी करने के लिए उस की किताब का पाठ करता है, तो उसे रोकना ठीक नहीं है। रात के समय चूंकि चारों ओर सन्नाटा होता है, इसलिए तुम्हें उसकी आवाज़ तेज़ सुनाई पड़ती है। तुम इसे पड़ोसी का हक़ समझकर बर्दाश्त करो, अल्लाह तुम्हें इसका अच्छा बदला देगा।"

हज़रत उमर (रज़ि.) ने दोनों के हक़ को समझा और झगड़े को नर्मी से ख़त्म किया।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल०) के सहाबी हज़रत सईद बिन अल-आस (रज़ि.) के एक पड़ोसी को एक बार बहुत कड़े आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। हालत यहां तक पहुंची कि उन्हें अपना घर बेचने पर मजबूर होना पड़ा। जिस व्यक्ति से वह मकान का सौदा कर रहे थे, जब वह घर देखने पहुंचा तो उसने हैरत से कहा: "सईद बिन अल-आस जैसे पड़ोसी के होते हुए तुमने यह घर बेचने का फ़ैसला किया?"

जब यह बात हज़रत सईद (रज़ि.) को मालूम हुई तो उन्होंने अपने पड़ोसी को उस घर की क़ीमत (एक लाख दिरहम) भिजवा दी और कहा : "घर मत बेचो।" यह घटना पड़ोसियों के बीच आपसी भरोसे और आर्थिक सहयोग की बेहतरीन मिसाल है। ■■

पड़ोसी का सम्मान : इस्लामी इतिहास के झरोखे से

अब्दुल-अल्लाम नदवी

पड़ोसी के साथ सद्व्यवहार, उनके अधिकारों की पूर्ति तथा उनके साथ उपकार और सहानुभूति, समाज में सौहार्द का आधार-स्तम्भ हैं। पड़ोसियों के प्रति दया और सेवा केवल सामाजिक शिष्टाचार ही नहीं, बल्कि मानवीय कर्तव्य भी है। अतः, अतीत की दिव्य शिक्षाओं को वर्तमान में जागृत करना ही समाज-सुधार का सच्चा पथ है। इन्हीं उदाहरणों से बिखरते हुए मानव-समाज को पुनः एकता, प्रेम और करुणा के बंधन में बांधा जा सकता है।

पैग़म्बर मुहम्मद (सल्ल.) का शत्रु पड़ोसी

अबू-लहब मक्का में पैग़म्बर (सल्ल.) का सबसे क़रीबी पड़ोसी था। वह नबी (सल्ल.) का सगा चाचा भी था। दोनों घरों के बीच बस एक दीवार थी, लेकिन अबू-लहब और उसका परिवार पैग़म्बर (सल्ल.) को चैन से जीने नहीं देता था। नमाज़ के वक़्त बकरी की ओझड़ी फेंक दी जाती, बर्तनों में गंदगी डाल दी जाती। उसकी पत्नी उम्मे-जमील हर रात दरवाज़े पर कांटेदार झाड़ियां बिछा देती, ताकि सुबह जब नबी (सल्ल.) बाहर निकलें तो उनके पाँव घायल हो जाएं।

पैग़म्बर (सल्ल.) हर बार उन कांटों को उठाकर रास्ते से हटा देते और केवल इतना कहते–

"ऐ अब्दे-मनाफ़ के बेटे! क्या यही पड़ोसी का हक़ है?"

(तबक़ात इब्ने-सअद)

युद्धभूमि में पड़ोस का आदर्श

युद्धभूमि में घायल सैनिकों के बीच जब पानी की एक छागल पहुंची, तो हर किसी ने अपने पड़ोसी की प्यास को अपनी प्यास से पहले रखा। किसी ने ख़ुद को प्राथमिकता नहीं दी, बल्कि अपने साथी की जान को ज़्यादा अहमियत दी। आख़िर में सबने बिना पानी पिए अपनी जान दे दी, लेकिन इंसानियत की ऊंची मिसाल क़ायम कर गए।

इस्लामी इतिहास में यरमूक का युद्ध साहस, बलिदान और मानवता की बेमिसाल घटनाओं से भरा हुआ है। हज़रत अबू-जह्म (रज़ि०) ने एक दिल छू लेने वाली घटना बयान की–

"मैं युद्धभूमि में अपने चचेरे भाई को ढूंढ़ने निकला। हाथ में पानी से भरा एक बर्तन था, ताकि अगर वे प्यासे हों तो उन्हें पानी पिला सकूं। जब मिला तो वे अंतिम सांसें ले रहे थे। मैंने पानी का इशारा किया, उन्होंने हां में सिर हिलाया। तभी पास से किसी और घायल की कराह सुनाई दी। उन्होंने इशारा किया कि पहले उसे दो। मैं वहां पहुंचा तो वह हज़रत हिशाम बिन आस थे। मैंने पानी बढ़ाया ही था कि पास ही से एक और घायल की आवाज़ आई। हिशाम बिन आस ने कहा, पहले उसे दो। जब मैं वहां पहुंचा तो वह शहीद हो चुका था। वापस लौटा तो हिशाम भी दुनिया से जा चुके थे। और जब अपने चचेरे भाई के पास पहुंचा तो उनकी आंखें भी हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं।" (अल-बिदाया वन निहाया)

"सच्चा ईमान वह है जिसमें इंसान अपने से पहले दूसरे की ज़रूरत को देखे।"

पड़ोसियों की निस्वार्थता का उदाहरण

सहाबा-ए-किराम (रज़ि०) के जीवन के क़िस्से केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि त्याग, भाईचारे और निस्वार्थता की ऊंची मिसालें हैं जो इंसानियत को राह दिखाती हैं।

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने-उमर (रज़ि०) से एक घटना मशहूर है–

एक दिन एक सहाबी (रज़ि०) को उनके एक पड़ोसी ने बकरे का गोश्त तोहफ़े में भेजा। वे ख़ुद ज़रूरतमंद थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा दूसरा पड़ोसी, जिसके घर में परिवार बड़ा है, ज़्यादा हक़दार है। उन्होंने वह गोश्त उसे भेज दिया। जब दूसरे पड़ोसी को मिला, तो उसने भी यही सोचा कि यह नेमत मेरे दूसरे पड़ोसी को मिलनी चाहिए। उसने भी आगे भेज दिया। इस तरह वह गोश्त सात घरों में घूमता रहा। हर किसी ने अपनी भूख से पहले दूसरे की ज़रूरत को देखा। आख़िरकार वह वही गोश्त पहले सहाबी के घर लौट आया।

यह घटना हमें याद दिलाती है कि सच्चा पड़ोसी वही है जो अपनी भूख से पहले दूसरे की भूख को, अपनी प्यास से पहले दूसरे की प्यास को याद रखे। यही इस्लाम की असल आत्मा है— भाईचारा, त्याग और निस्वार्थता। (फ़ज़ाइल-ए-आमाल)

इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) का पड़ोसी से व्यवहार

इमाम अबू-हनीफ़ा (रह.) के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। वह रोज़ मेहनत करता और जो कमाता, उसी से शराब लाकर अपने दोस्तों के साथ गाना-बजाना करता। इतना शोर होता कि इमाम साहब न तो पढ़ाई कर पाते, न आराम, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की।

एक रात जब इमाम साहब ने देखा कि पड़ोसी के घर सन्नाटा है, तो उन्हें हैरानी हुई। सुबह पता चला कि वह व्यक्ति पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। इमाम अबू-हनीफ़ा तुरंत गवर्नर के पास पहुंचे। गवर्नर ने आदरपूर्वक स्वागत किया और पूछा– "जनाब, आपने तकलीफ़ क्यों की?"

इमाम साहब ने कहा, "मेरा पड़ोसी गिरफ़्तार हुआ है। मैं उसकी ज़मानत के लिए आया हूं।"

गवर्नर इमाम साहब के मान-सम्मान से वाक़िफ़ था। उसने तुरंत आदेश दिया और वह व्यक्ति जेल से रिहा कर दिया गया।

जब उस यहूदी पड़ोसी ने देखा कि उसकी रिहाई कराने वाले वही इमाम हैं, जिनकी नींद वह बरसों से हराम करता रहा है, तो उसका दिल पसीज गया। वह फूट-फूटकर रोने लगा, तौबा की, और अपने पुराने ग़लत रास्ते छोड़ दिए। उस दिन से वह एक नेक और ईमानदार इंसान बन गया। (मनाक़िबुल-इमाम)

अब्दुल्लाह इब्ने-मुबारक का पड़ोस

अब्दुल्लाह इब्ने-मुबारक (रह.) के पड़ोस में एक यहूदी रहता था। उसने अपना घर बेचने का इरादा किया। किसी ने पूछा, "कितने में बेचोगे?"

उसने जवाब दिया, "दो हज़ार दीनार में।"

पूछने वाले ने कहा, "मगर यह घर तो एक हज़ार दीनार का ही है।"

उस यहूदी ने शांति से कहा, "सही कहा, घर का दाम एक हज़ार दीनार है, लेकिन बाक़ी एक हज़ार दीनार उस सौभाग्य का है, जो अब्दुल्लाह इब्ने-मुबारक जैसे पड़ोसी के रूप में प्राप्त होगा।"

जब यह बात इब्ने-मुबारक तक पहुंची, तो उन्होंने उसे बुलवाया, पूरा मूल्य दिया और कहा–"अपना घर मत बेचो।" (तबक़ात इब्ने-सअद)

इमाम ग़ज़ाली (रह.) ने इह्याउल-उलूमुद्दीन में एक दिलचस्प प्रसंग का उल्लेख किया है–किसी व्यक्ति के घर में चूहे बहुत बढ़ गए। किसी ने कहा, "एक बिल्ली पाल लो, चूहे भाग जाएंगे।"

लेकिन उस व्यक्ति ने कहा, "मुझे डर है कि बिल्ली की आवाज़ सुनकर चूहे मेरे घर से निकलकर पड़ोसी के घर चले जाएंगे।" (इह्याउल-उलूमुद्दीन)

इन तमाम घटनाओं में एक साझा संदेश है, पड़ोसी का सम्मान, उसकी सुरक्षा और उसके अधिकारों की रक्षा करना इंसानियत का अनिवार्य हिस्सा है। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने अपने पड़ोसियों के साथ न्याय, प्रेम और रहम का व्यवहार किया, वे न केवल एक अच्छे इंसान बने, बल्कि उन्होंने समाज में अमन और एकता की मिसाल क़ायम की। ■■

लघुकथा

दया का कम्पास बॉक्स

• संकलन : **मुहम्मद सलमान**

एक शाम दानिश दौड़ता हुआ अपनी अम्मी के पास आया और बोला,

"अम्मी, मेरा नया कम्पास बॉक्स संभाल कर रखना। कल से मैं स्कूल अपना पुराना कम्पास ही ले जाऊँगा।"

बात करते हुए उसने अपना चमकीला नया कम्पास बॉक्स अपनी माँ को दे दिया।

उसकी माँ खालिदा बेगम हैरान हुई।

"लेकिन बेटा, क्यों? तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे लिए लंदन से इतने प्यार से यह ख़ास तोहफ़ा भेजा है। कल ही तो तुम इसे स्कूल ले जाने के लिए कितने उत्साहित थे। क्या एक ही दिन में तुम्हारी इसमें रुचि खत्म हो गई है?" उन्होंने पूछा।

दानिश ने झट से जवाब दिया,

"नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मुझे यह कम्पास बॉक्स बहुत पसंद है। यह मेरी कक्षा में सबसे अच्छा है। किसी और के पास ऐसा नहीं है। मेरे कम्पास के दोनों तरफ़ रंग-बिरंगी लाइटें हैं और अंदर संगीत बजाने वाले बटन हैं। इसमें रखी सारी स्टेशनरी बहुत अलग दिखती है—ज़ाहिर है, यह लंदन से आया है!"

खालिदा बेगम आश्चर्य से उसकी तरफ देखा।

"अगर तुम्हें यह इतना पसंद है, तो तुम इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहते?" उन्होंने चौंकते हुए पूछा।

दानिश एक पल के लिए रुका और फिर धीरे से बोला,

"मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। मैं इसे घर पर इस्तेमाल करूँगा। लेकिन मैं इसे स्कूल नहीं ले जाना चाहता।"

उसकी माँ चिंतित हो गई।

"क्यों बेटा? क्या तुम्हारी कक्षा के किसी बच्चे ने तुम्हारा स्टेशनरी ज़बरदस्ती छीनने की कोशिश की? अगर ऐसा है, तो हम तुम्हारे टीचर से शिकायत कर सकते हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है," माँ उसे दिलासा देते हुए कही।

लेकिन दानिश माँ अंदाज़े पर हँस पड़ा।

"नहीं अम्मी! मेरे सभी दोस्त बहुत अच्छे हैं। असल वजह ये है... मेरे दोस्त जुनैद के पास सिर्फ़ पुरानी चीज़ें हैं। उसके पिता अब नहीं रहे, और उसका कोई रिश्तेदार नहीं है जो उसे अच्छे तोहफ़े दे सके। मैं हमेशा कक्षा में उसके साथ बैठता हूँ। अगर मैं ये नया चमकदार कम्पास लेकर उसके सामने इस्तेमाल करूँगा, तो वह दुखी होगा। वह जानता है कि वह गरीब है, और वो चाहकर भी ऐसा कम्पास नहीं खरीद सकता। मैं उसे दुख नहीं पहुँचाना चाहता।"

यह सुनकर खालिदा बेगम की आँखों में आँसू भर आए। उन्होंने आगे बढ़कर दानिश को गले लगा लिया। उनके दस साल के बेटे के विचारपूर्ण शब्दों ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सच्चाई याद दिला दी: अल्लाह की दी हुई नेमतों का आनंद लेते हुए हमें दूसरों की भावनाओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। खासकर हमारे पड़ोसियों, सहपाठियों और दोस्तों की ज़रूरतें और भावनाएँ भी मायने रखती हैं।

वह खुशी जो किसी और को अलग-थलग या आहत महसूस कराती है, वह असली खुशी नहीं है। एक दयालु और संवेदनशील हृदय ही एक इंसान को सच्चा और नेक बनाता है। एक अच्छा इंसान वह नहीं है जो अपनी चीज़ों का दिखावा करता है, बल्कि वह है जो दूसरों की भावनाओं का क़द्र करता है। ■■

संस्मरण

अंधेरी राहें और उजाले का गलियारा

अरबी भाषा की एक छोटी कहानी (लघुकथा) है कि एक व्यक्ति को अपना मकान बेचना था, लेकिन उसने उसकी क़ीमत उस इलाक़े के बाज़ार की सामान्य क़ीमत से अधिक रखी। जब उससे इसका कारण पूछा गया तो उसने जवाब दिया कि इस मकान का पड़ोसी बहुत अच्छा है।

अच्छे पड़ोसी की क़ीमत तय करना संभव नहीं है। दरअस्ल, उसे अनमोल कहना ही उचित होगा। उसी तरह बुरे पड़ोसी के नुक़सान का भी अंदाज़ा लगाना आसान नहीं है। उसकी तकलीफ़ सिर्फ़ वही व्यक्ति समझ सकता है जिसका उससे सामना होता है। दूसरे लोग उसकी बदहाली देखकर अपने लिए भी उस बुराई से बचाव की दुआ ही कर सकते हैं। अल्लाह इस मुसीबत से दोस्त और दुश्मन सबको अपनी पनाह में रखे। आमीन! दूसरे शब्दों में, अल्लाह दुश्मन को भी इस मुसीबत में न डाले। अल्लाह के एक नेक बंदे से किसी ने उनके ख़राब पड़ोसी का ज़िक्र किया तो उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि वे उस पर सब्र करके जन्नत के उम्मीदार हैं।

मैं जिस शहर का रहने वाला हूं वहां सफ़ेदपोश, अमीर और हैसियत वाले लोगों का एक मोहल्ला है जिसे 'व्हाइट हाउस कम्पाउंड' कहा जाता है। लगभग पचास साल पहले की बात है कि एक रात एक घर से 'चोर-चोर' की आवाज़ गूंजी तो कोई भी पड़ोसी बाहर नहीं निकला, बल्कि सबने अपनी खिड़कियां भी बंद कर लीं। उसी ज़माने में मेरे मुहल्ले में, जहां अधिकतर ग़रीब और मध्यम वर्ग के लोग रहते थे, जब भी ऐसा होता तो पूरा मोहल्ला जाग जाता और लोग उस घर की ओर दौड़ पड़ते। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ कि एक साहब ने कोई डरावना सपना देखा और चोर-चोर की आवाज़ लगाते हुए जाग उठे। फिर उनके दोबारा सोने लायक़ होने से पहले ही घर के बाहर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी!

यह स्थिति दिन-ब-दिन और ख़राब होती जा रही है। ख़ासकर दिल्ली जैसे बड़े शहरों में ज़्यादातर इलाक़े 'व्हाइट हाउस कम्पाउंड' बन चुके हैं। किसी पड़ोसी के दुख-दर्द में शामिल होना तो दूर की बात है, लोग एक-दूसरे को पहचानते तक नहीं हैं। हर कोई 'नफ़्सी-नफ़्सी' (सिर्फ़ अपनी चिंता) के हाल में है।

दिल्ली आने के बाद शुरुआती कुछ सालों में मुझे एक पॉश कॉलोनी में रहने का मौक़ा मिला था। मेरे फ़्लैट के पास एक व्यक्ति के निधन की सूचना मुझे उस नोटिस से मिली जो मेरे स्कूटर के गैरेज में डाल दिया गया था और जिसमें मृत्यु के बाद की अंतिम रस्मों के तौर पर एक पूजा के कार्यक्रम की जानकारी थी। एक दिन मेरे फ़्लैट के नीचे वाली मंज़िल में रहने वाली बुज़ुर्ग आंटी की आवाज़ गूंजी क्योंकि उनके पति को दिल का दौरा पड़ा था। दिन का समय था और मर्द घरों में नहीं थे। औरतों में मेरी पत्नी और एक और महिला के अलावा कोई भी मदद के लिए नहीं पहुंचा।

ये कुछ घटनाएं उदाहरण के तौर पर बयान की गई हैं, वरना अपने और अपने घर-परिवार के कामों में उलझे रहने और दूसरों से लापरवाही के बहुत से मामले गिनाए जा सकते हैं।

मानव समाज की इन नकारात्मक प्रवृत्तियों के इस बयान के संदर्भ में हमें सही इंसानी व्यवहार पर भी बात करनी चाहिए। यह वही वाक़िया है जो मैंने जनाब मीम. नसीम मरहूम से सुना था। जब वे अमेरिका चले गए तो उन्होंने अपना एक विज़िटिंग कार्ड छपवाया और अपने मकान के आस-पास के हर घर में ख़ुद जाकर पहुंचाया और बताया कि वे मुसलमान हैं, उनके धर्म की यह शिक्षा है कि बिना किसी भेदभाव के पड़ोसियों की सेवा की जाए। इसलिए जिसे भी कोई ज़रूरत हो, जैसे बाज़ार से सामान लाना, इलाज के लिए डॉक्टर के पास जाना आदि, तो वे बेझिझक उन्हें बुला सकते हैं।

दरअस्ल, अंधेरे की चर्चा तभी मायने रखती है जब उसके साथ उम्मीद की कोई किरण भी दिखाई जाए। मरहूम मीम. नसीम का तरीक़ा हमारे लिए राह दिखाने वाली मशाल बन सकती है। बुरी बातों पर मातम करना आसान है, लेकिन असली कमाल उसे दूर करने के लिए अपना किरदार निभाना है। ■■

–डॉ. वक़ार अनवर

विश्वास और साहस की दीवार

जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अपने भी असहाय दिखाई देते हैं और राह इतनी कठिन लगती है कि हिम्मत टूटने लगती है। मेरे जीवन में एक ऐसा ही दौर आया था, जब मेरे बेटे के मकान पर क़ब्ज़ा करने की साज़िश ने पूरे परिवार की नींद हराम कर दी थी। घटना अक्टूबर 2024 की है।

बेटा सेना से रिटायर होकर घर लौटा था। उसका अपना मकान होते हुए भी वह मेरे पास रहना पसंद करता था। तभी एक अनजान महिला ने फ़ोन कॉल कर तत्काल किराए पर उसका मकान मांगा। बेटे ने उसका प्रस्ताव सहज भाव से विश्वास कर स्वीकार कर लिया। धीरे-धीरे उसकी सच्चाई सामने आई। उसने पहचान के लिए जो आधार कार्ड दिया, वह फ़र्ज़ी निकला। किरायानामा के एग्रीमेंट करने पर टालमटोल करती थी। समय

पर किराया भी नहीं देती थी। एक स्थिति ऐसी आ गई कि जब किराया मांगा गया, तो उसने धमकी दी कि झूठे आरोप लगाकर जेल भिजवा देगी।

अंततः यह ख़ुलासा हुआ कि वह एक ऐसे गिरोह का हिस्सा है, जिनका धंधा ही भोले-भाले लोगों के मकान हड़पना था। हर दिन चिंता बढ़ती जाती। अख़बारों में जब ऐसे गैंग के कारनामे पढ़ते, तो मन और सहम उठता। और जब मकान ख़ाली कराने की पुलिसिया कार्यवाही शुरू हुई, तो डर यह लगा रहता था कि कहीं गैंग के लोग हमला न कर दें। इस कारण महीनों तक घर और बाहर, सब जगह चौकसी रखनी पड़ी।

ऐसे भय और असहाय स्थिति के समय हमारे पड़ोसी श्री गोपीनाथ तिवारी बड़े मददगार के रूप में सामने आए। वे सेना से रिटायर एक्स-सर्विसमैन थे। उन्होंने हमारे परिवार को ढाढ़स बंधाई। सच की राह कठिन ज़रूर होती है, लेकिन जीत हमेशा सच की होती है।

तिवारी जी न केवल सलाह देते रहे, बल्कि पुलिस से लेकर अदालत तक हर जगह हमारे साथ खड़े रहे। कार्यवाही आगे बढ़ी तो और भी शुभचिंतकों का सहयोग मिलने लगा। दिन हो या रात, तिवारी जी का साथ हमें यह भरोसा दिलाता रहा कि हम अकेले नहीं हैं। अंततः कई महीनों के संघर्ष के बाद मकान ख़ाली कराया जा सका।

आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो लगता है कि तिवारी जी केवल पड़ोसी नहीं, बल्कि संकट की घड़ी में ईश्वर का भेजा हुआ सहारा थे। उन्होंने हमें यह सिखाया कि पड़ोस की दीवारें ईंट और पत्थर की नहीं होतीं, बल्कि विश्वास, साहस और सहयोग की होती हैं।

उनका सहयोग हमारे लिए जीवन भर की अमूल्य पूंजी है। मैं जब भी दूसरों को पड़ोसदारी की मिसाल देता हूं, तो गर्व से कहता हूं—"सच्चा पड़ोसी वही है, जो संकट की घड़ी में परिवार से भी पहले खड़ा दिखाई दे।" ■■ **–डॉ. गिरीश कुमार वर्मा**

जब हिन्दू पड़ोसियों को अज़ान की कमी महसूस हुई

मेरे जूनियर हाईस्कूल के टीचर आदरणीय अब्दुल हादी साहब ने 1961 में एक सच्ची घटना सुनाई थी, जो आज भी मुझे उसी तरह याद है–

ज़िला बिजनौर के एक छोटे से गांव में अधिकांश आबादी हिंदुओं की थी। कुछ मुस्लिम परिवार भी रहते थे, इसलिए गांव में एक मस्जिद थी जिसमें पाबंदी से अज़ान और नमाज़ होती थी। गांव में आपसी मेल-जोल तथा भाईचारा था। सब एक-दूसरे के काम आते थे और सुख-दुःख में शरीक होते थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि मुस्लिम परिवार धीरे-धीरे दूसरे स्थानों पर जाकर बस गए। इस पलायन की वजह कोई झगड़ा आदि न था।

संयोग देखिए कि गांव में 'प्लेग' की महामारी फैल गई और बहुत से लोग मृत्यु का शिकार हो गए। गांव के लोगों ने एक मीटिंग आयोजित की तथा महामारी के कारणों पर विस्तार से चर्चा की। लंबी बहस के बाद एक बुज़ुर्ग कहने लगे–

"भाइयों, हमारे गांव में आज तक ऐसी महामारी कभी नहीं हुई। हम सारे धर्म-कर्म पूर्ववत करते आ रहे हैं, उसमें कोई कमी कभी नहीं हुई। मगर एक काम जो गांव में पहले होता था, पिछले कुछ समय से बंद है।"

लोग बोले, वह क्या? बुज़ुर्ग ने कहा–

"मुसलमानों की मस्जिद की अज़ान, जो पहले दिन में पांच बार होती थी, परंतु मुसलमानों के दूसरे स्थानों पर चले जाने के कारण अब अज़ान नहीं दी जा रही है।"

मीटिंग में उपस्थित दूसरे लोगों ने भी बुज़ुर्ग की बातों का समर्थन किया। तुरंत एक शिष्टमंडल का गठन हुआ, जिसके ज़िम्मे गांव से चले गए मुस्लिम परिवारों को वापस लाना था ताकि मस्जिद फिर से आबाद हो और गांव में अज़ान की आवाज़ गूंजे। और फिर हुआ भी ऐसा ही—गांव से पलायन कर गए अधिकांश परिवार अपने पड़ोसियों के आग्रह पर अपने गांव वापस आ गए। ■■

–डॉ. फ़रहत हुसैन

जैन धर्म के अंकल ने नमाज़ की नसीहत की

जस्टिस इक़बाल अंसारी साहब ने एक कार्यक्रम में अपनी यादें इन शब्दों में साझा कीं–

कोलकाता के एक बड़े वकील श्री सोहन राज सिंघवी जी से हमारी फैमिली के क़रीबी संबंध थे। मेरे माता-पिता जल्दी गुज़र गए थे, इसलिए मेरी ज़िंदगी में बहुत डिसिप्लिन नहीं था। सिंघवी जी (जो जैन समाज से थे) से एक दिन भेंट हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा–"इक़बाल, क्या तुम नमाज़ पढ़ते हो?"

मैंने कहा–"हां, कभी-कभी।" उन्होंने कहा–"पढ़ा करो।"

फिर जब अगली बार मुलाक़ात हुई तो उन्होंने फिर वही सवाल किया। मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकता था। मैंने कहा–"रेगुलर तो नहीं पढ़ सका, हां, फ़ाइडे को पढ़ लेता हूं।"

सिंघवी जी ने कहा–"ऐसा करो, रोज़ाना सवेरे की नमाज़ पाबंदी से पढ़ो, इससे तुम्हारी ज़िंदगी में डिसिप्लिन आ जाएगा।"

जस्टिस इक़बाल ने भावुक मन से कहा–

"आज हर सवेरे की नमाज़ में सिंघवी जी याद आ जाते हैं, और सोचता हूं कि हिंदुस्तान में एक वक़्त ऐसा भी था जब एक जैन हिंदू, एक मुस्लिम नौजवान को नमाज़ पढ़ने की नसीहत किया करता था। यह है इंडिया।" ■■ **–संकलित**

रईसा आपा

अल्हम्दुलिल्लाह, ज़िंदगी में बहुत से पड़ोसियों का साथ रहा क्योंकि मेरे शोहर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे, इसलिए हर कुछ साल में एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तबादला होता रहता था, और नए शहर तथा नए लोगों से वास्ता पड़ता था, जिसमें मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम सभी शामिल थे।

कई बरस ललितपुर में रहने का मौक़ा मिला। वहां के पड़ोसी तो इतने अच्छे थे कि बच्चे और हम सब उन लोगों को कई साल गुज़र जाने के बाद भी अब तक याद करते रहते हैं— ख़ास तौर पर मास्टर नईम साहब, जनाब साबिर अली साहब, ज़हीर और उनके घर के लोग। काशीपुर, रामनगर में भी रहने का इत्तिफ़ाक़ हुआ और वहां भी सब अच्छे पड़ोसी मिले।

मेरा बचपन क़स्बा सहसपुर, ज़िला बिजनौर में गुज़रा। वहां की यादें दिमाग़ पर ज़्यादा हैं। हमारे घर के सबसे क़रीब घर हमारी फूफेरी बहन रईसा ख़ातून का था, जिन्हें सब 'आपा' कहते थे। वह बच्चों को क़ुरआन पढ़ाती थीं। मैंने भी उन्हीं से क़ुरआन पढ़ा। वह सभी से बहुत मुहब्बत से पेश आती थीं। हर किसी को ऐसा लगता था कि जैसे उसी से सबसे ज़्यादा मुहब्बत करती हैं।

उनके घर के आंगन में अमरूद का पेड़ था। जब अमरूद पक जाते, तो सबको तोड़कर देती थीं। मेंहदी की झाड़ भी लगी थी — सबको इजाज़त थी कि मेंहदी के पत्ते तोड़ ले जाएं और उसकी मेंहदी लगा लें। आंगन में एक नीम का पेड़ था जिस पर बच्चों के लिए हमेशा झूला पड़ा रहता था, जिस पर सब बच्चे बारी-बारी झूलते थे। बच्चों की शरारतों और शोर मचाने से वे कभी नाराज़ नहीं होती थीं। उनकी डांट-डपट भी मुहब्बत भरी होती थी।

हम लोग तो उनके घर जाने का बहाना ढूंढ़ते थे और हमारे ज़्यादातर खेल वहीं होते थे। उनके बच्चों में एक बेटी और दो बेटे थे। बेटी हमारी हमउम्र थी, इसलिए हम उसके साथ ज़्यादा रहते थे। वह भी बहुत अच्छी थी, उसने क़ुरआन हिफ़्ज़ किया था।

बाद में जब हमने समझदारी की उम्र में क़दम रखा, तो घर में कहा जाने लगा कि "बाहर का आना-जाना कम करो, कुछ दिन बाद पर्दा करना होगा।" हमने फ़ौरन पूछा — "क्या अब आपके घर भी नहीं जा सकेंगे?"

मतलब हमें घर के बाहर सिर्फ़ उन्हीं का घर नज़र आता था।

अब हमारी रईसा आपा इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी यादें सबके दिलों में बसी हुई हैं। उनके साथ गुज़रे हुए लम्हात याद आते हैं। अल्लाह से दुआ है कि उन्हें जन्नतुल-फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फ़रमाए। ■■

–नैयर जहां, रामनगर (उत्तराखंड)

हमसफ़र साथी

यह बात उस समय की है जब मुझ पर बरेली और फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र की ज़िम्मेदारी थी। फ़िरोज़ाबाद क्षेत्र में कई ज़िले शामिल थे। मैं उस समय फ़िरोज़ाबाद के दौरे पर था। जसवंत नगर से आगरा जाना था। जसवं तनगर में अस्र की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं आगरा जाने वाली बस का इंतिज़ार कर रहा था। बस आई तो मैं उसमें सवार हो गया। मेरे बगल की सीट पर एक व्यक्ति आकर बैठे — पैंट-शर्ट पहने हुए, लेकिन चेहरे पर घनी दाढ़ी थी और देखने में काफ़ी धार्मिक लग रहे थे। दिल में एक अजीब-सी अपनापन की भावना हुई। सलाम-दुआ के बाद उन्होंने पूछा, "कहां जा रहे हो?" मैंने कहा, "आगरा जा रहा हूं।" उन्होंने पूछा, "क्यों?"

मैंने अपना परिचय देते हुए बताया कि मैं जमाअत-ए-इस्लामी हिन्द के एक कार्यक्रम में जा रहा हूं।

कंडक्टर टिकट बनाने आया तो उन्होंने सलाह दी कि "फ़िरोज़ाबाद का टिकट ले लो, मग़रिब (शाम) के वक़्त बस वहां पहुंचेगी, और जहां बस रुकेगी, वहीं पास में एक मस्जिद है। वहां नमाज़ जमाअत से पढ़कर फिर आगरा चलेंगे।" नमाज़ जमाअत से पढ़ने का शौक़ ऐसा था कि मैंने आगे के नतीजों पर ज़्यादा नहीं सोचा और फ़ौरन फ़िरोज़ाबाद का टिकट ले लिया।

रास्ते भर जसवंत नगर से लेकर फ़िरोज़ाबाद तक हम इस्लाम और मुसलमानों की ज़िम्मेदारियों पर बातें करते रहे। मालूम ही नहीं चला कि सफ़र कब बीत गया, एक-डेढ़ घंटा पलक झपकते निकल गया।

फ़िरोज़ाबाद पहुंचकर बस से उतरे और मस्जिद की तरफ़ चले, वह आगे-आगे और मैं पीछे-पीछे। कुछ ही क़दमों पर मस्जिद थी। मस्जिद में दाख़िल हुए तो अज़ान हो रही थी। हमने वुज़ू किया और तक़बीर-ए-ऊला (पहली तक़बीर) के साथ मग़रिब की नमाज़ जमाअत से अदा की। मस्जिद बहुत पुरानी और बड़ी थी, हालांकि कुछ हिस्से जर्जर थे, लेकिन मुख्य इमारत सही-सलामत थी। दरवाज़े का आगे का हिस्सा गिरा हुआ था। मस्जिद देखकर ख़याल आया कि कभी हमारी उम्मत ने इतनी बड़ी-बड़ी मस्जिदें बनाईं, और आज हम उनकी हिफ़ाज़त तक मुश्किल से कर पा रहे हैं।

नमाज़ पूरी होने के बाद हम बाहर निकले और चौराहे से आगरा जाने वाली बस पकड़ ली। अब सफ़र के उस साथी ने मेरा और अपना, दोनों का टिकट ले लिया। मैंने बहुत मना किया, लेकिन उन्होंने किराया नहीं लिया और कहा, "आप नेक काम के लिए जा रहे हैं, हम इतना तो कर सकते हैं।"

किराये की अहमियत नहीं थी, लेकिन उनके इस हुस्न-ए-

अख़लाक़ (अच्छे व्यवहार) ने मुझे क़ुरआन की यह आयत याद दिला दी :

"अजनबी पड़ोसी, साथ बैठने वाला साथी, और मुसाफ़िर—सबके साथ अच्छा व्यवहार करो।" (क़ुरआन, 4:36)

और साथ ही पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की यह हदीस भी याद आई : "जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है, उसे अपने मेहमान के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

मेरे सफ़र के साथी ने बताया कि वह जसवंत नगर में नौकरी करते हैं, और उनका रोज़ का नियम यह है कि अस्र की नमाज़ जसवंत नगर में, मग़रिब की फ़िरोज़ाबाद में और ईशा की नमाज़ आगरा में जमाअत से पढ़ते हैं।

मुझे हैरत हुई कि आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो नमाज़ जमाअत से अदा करने का इतना ध्यान रखते हैं।

अल्लाह ऐसे लोगों को सलामत रखे और हमें भी यह तौफ़ीक़ दे कि हम नमाज़ जमाअत से पढ़ने की पाबंदी करें और सफ़र के साथियों से अच्छा सुलूक करें।

बस से उतरने से पहले मैंने उन्हें कुछ किताबें और फोल्डर दिए, जिन्हें उन्होंने बहुत सम्मान से लिया। हमने एक-दूसरे के फ़ोन नंबर भी लिए। यह सफ़र बहुत ही ख़ुशनुमा रहा और दिल-दिमाग़ पर गहरा असर छोड़ गया। ■■

–अतीक़ अहमद शफ़ीक़ इस्लाही

गली मुस्तफ़ा ख़ान : यादों का रोशन मंज़र

गली मुस्तफ़ा ख़ान–खालापार, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर की एक छोटी-सी गली, जिसका इत्तिहाद, ख़ुशमिज़ाजी और अपनापन इसकी सबसे बड़ी पहचान है। यह सिर्फ़ एक गली नहीं, बल्कि एक परिवार थी, जहां हर कोने में ख़ुलूस और अपनापन बरसता था। उस गली की रौनक़ और तहज़ीब रिश्तों की मिसाल आस-पास के मुहल्लों में मशहूर थी। ज़्यादातर लोगों की ख़्वाहिश होती थी कि इसी मुहल्ले में उनका भी घर हो, क्योंकि यह जगह सिर्फ़ दीवारें और गलियां नहीं, बल्कि सुख-दुख में एक-दूसरे के सहारे और साथ की मिसाल थी।

हमारी गली 'कुएं वाली गली' के नाम से भी मशहूर थी, लेकिन वह कुआं इस डर से बंद करा दिया गया था कि कभी कोई हादसा न पेश आ जाए।

बड़ा-सा चौक और अस्र की नमाज़ के बाद कोई-न-कोई इस चौक में पानी का छिड़काव करता और 4–5 चारपाइयां बिछ जातीं। हुक़्क़े की तैयारी हो रही होती और हमारे वालिद तथा उनके हमउम्र लोग आकर बैठ जाते। हुक़्क़े के कश पर तमाम दुनिया-जहान के मसले-मसाइल पर तज़किरा होता, और अगर मुहल्ले का कोई मसला किसी का भी होता तो उस पर बैठकर बात की जाती। छोटे-बड़े का लिहाज़, इज़्ज़त और फ़रमांबरदारी इस मुहल्ले की पहचान थी।

मैंने 1998 में 10वीं कक्षा पास करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली का रुख़ किया और तब से अब तक यहीं हूं। लेकिन गुज़रते वक़्त के साथ देखा कि गली मुस्तफ़ा ख़ान की पहचान और इसकी विरासत, बड़े बुज़ुर्गों की दुनिया से रुख़सती के साथ, किसी ग़मगीन शाम की तरह ढल चुकी है।

आज हर इंसान अपने आप में इतना मशग़ूल हो गया है कि उसे अपने आस-पास की कोई ख़बर नहीं रहती। रिश्ते तो हैं, लेकिन उनकी मिठास और जज़्बात कहीं गुम हो चुके हैं। अब अक्सर जब वहां जाना होता है, तो न वह शाम दिखाई पड़ती है, न वह चारपाई और न वह रौनक़। कोई इत्तिफ़ाक़ से ही नज़र आ जाए तो दुआ-सलाम हो जाती है और फिर हर कोई अपने-अपने रास्ते चल पड़ता है। ■■

–हैदर अली

• हज़रत इब्ने-अब्बास (रज़ियल्लाहु अन्हु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को यह कहते हुए सुना, "वह व्यक्ति मोमिन नहीं जो पेट भर खाए और उसका पड़ोसी उसके पहलू में भूखा रह जाए।"

(हदीस : बैहक़ी, फ़ी-शोबिल-ईमान)

व्याख्या : यह कोई मर्दानगी की बात नहीं, यह स्वार्थपरता की बात है कि पड़ोसी भूखा रहे और कोई पेट भरकर खाए। इस असंवेदनशीलता की किसी मोमिन से आशा नहीं की जा सकती। इसी लिए आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) फ़रमाते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में ईमान ही से अनभिज्ञ है। यदि ईमान जीवन की आत्मा बनकर उसके हृदय में उतर चुका होता तो वह कदापि इसे पसन्द न करता कि वह पेट भरकर खाए और उसका पड़ोसी भूखा रह जाए।

• हज़रत आइशा (रज़ियल्लाहु अन्हा) के सम्बन्ध में उल्लिखित है! उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे दो पड़ोसी हैं, मैं उनमें से किस को उपहार भेजूं? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया, "उनमें से जिसका दरवाज़ा तुमसे निकटतम हो।" (हदीस : बुख़ारी)

व्याख्या : अभिप्राय यह नहीं है कि सिर्फ़ उसी को उपहार भेजें जिसका द्वार सबसे निकट हो, बल्कि मतलब यह है कि पहला हक़ उस पड़ोसी का होता है जिसका दरवाज़ा निकट हो। निकट के पड़ोसी के साथ मिलना-जुलना ज़्यादा होता है और उसके विषय में हम जानते भी ज़्यादा हैं। इसलिए उसे प्राथमिकता देना एक स्वाभाविक बात है। *(हदीस सौरभ)*

कहानी

एक दहशत भरी रात

नाओमी बार्टन

सड़कें, टूटे हुए पत्थरों, ईंटों के टुकड़े और जली हुई कारों के ढांचों के मलबे से ढकी हुई थीं। कोने पर एक मोटरसाइकिल की दुकान में आग लगने से अंधेरा छंट गया था। पुलिस के कुछ गश्ती दल गली के मुहाने पर खड़े थे, विनम्रता से हमसे कहा कि हमें वहां से चले जाना चाहिए, क्योंकि हालात बिगड़ चुके हैं।

जब हम अंदर दाख़िल हुए तो देखा कि सड़क वीरान थी। फिर हमने एक कोने पर चार आदमी खड़े देखे। एक ने टोपी पहनी हुई थी और उसकी सफ़ेद दाढ़ी थी। हम उनके पास गए और उस जगह का रास्ता पूछा जहां से हमें एक मुस्लिम महिला का दुखभरा फ़ोन आया था, उस आदमी ने कहा :

"मेरे साथ आइये। मैं आपसे वादा करता हूं कि मेरे साथ आपको कोई नुक़सान नहीं पहुंचेगा।"

जैसे ही वह हमें गली में ले गया, और भी लोग हमारे साथ आ गए, और यह एक समूह में बदल गया। पुरुष अपने घरों के बाहर बैठे थे। हम वहां से गुज़र रहे थे। उन लोगों ने हमारा अभिवादन किया। एक शराबी गली के किनारे एक ठेले के नीचे बेहोश पड़ा था।

"हमने यहां शांति बनाए रखने का ध्यान रखा है," "यह इलाक़ा शांत है।" उस आदमी ने कहा। उसका नाम अफ़ज़ल था।

वह हमें अपने घर ले गया, बैठने के लिए लकड़ी के स्टूल दिये और अपने हिंदू पड़ोसियों को बुलाया। हम सड़क पर बैठे थे, चारों ओर हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय के लोग थे, और मुख्य सड़क पर हिंसा के केंद्र रहे दो गलियों से भी कम दूरी पर आग भड़क रही थी।

"जब हमें पता चला कि ऐसा हो रहा है, तो हमने पड़ोस के लोगों को इकट्ठा किया और निर्णय लिया कि कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, और हमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए", अफ़ज़ल ने कहा, जो 40 वर्षों से इस सड़क पर रह रहे हैं।

"हम अपने हिंदू पड़ोसियों के पास गए और उनसे कहा कि आप यहां सुरक्षित हैं, और अगर उन्हें कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी, तो हम उनके साथ चलेंगे।"

"यहां कोई आगज़नी नहीं हुई है," उन्होंने कहा।

"जहां भी आगज़नी हुई है, चाहे वह मुस्लिम समुदाय की ओर से हो या हिंदू समुदाय की ओर से, हम यह साबित करने के लिए जांच का इंतिज़ार करेंगे कि यह किसने किया, लेकिन अपने ब्लॉक में, हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कुछ भी न हो। हम यहां 1992 में भी रहे हैं, 1984 में भी रहे हैं, और तब भी हम तक कुछ नहीं पहुंचा, और अब भी नहीं पहुंचेगा। कोई दंगा नहीं चाहता। कोई लड़ाई नहीं चाहता, एक समझदार आदमी फ़साद नहीं चाहता।"

अधेड़ उम्र के बृजमोहन शर्मा ने अफ़ज़ल की बातों से सहमति जताई।

"हम 1992 में भी यहीं थे, और हम सब साथ रहते आए हैं और कभी झगड़ा नहीं करते, हम एक-दूसरे से मिलते हैं और एक-दूसरे की शादियों में जाते हैं। हमें अपने किसी भी पड़ोसी से कोई परेशानी नहीं है। पिछले दो दिनों से, सिर्फ़ मुसलमानों की ज़िंदगी ही प्रभावित नहीं हुई है, बल्कि दोनों पक्ष इस हिंसा से परेशान हैं।"

"हमें नहीं लगता कि यह सही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस पता लगाए कि यह किसने किया, और हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि कपिल मिश्रा को गिरफ़्तार किया जाए, और सरकार उन्हें सज़ा देने के लिए जो भी कर सकती है, वह करे।"

अफ़ज़ल ने कहा, "इस हिंसा को तीन दिन हो गए हैं, लेकिन ज़िम्मेदार लोगों की तरफ़ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है।"

चांद बाग की गली नंबर 2 के रहने वाले एक अन्य हिंदू पड़ोसी राजगोपाल मिश्रा कहते हैं, "यहां अपने 40 सालों में हमारा अपने मुस्लिम पड़ोसियों के साथ ऐसा भाईचारा रहा है, मानो वे हमारे अपने भाई हों।" वे अपनी दो उंगलियां आपस में जोड़ते हुए दिखाते हैं कि वे कितने क़रीब हैं।

"आज जो मैंने देखा, वो ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। चांद बाग़ के बाक़ी इलाक़ों में हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन हमारी कॉलोनी में हालात बहुत अच्छे हैं। हमें छोटी-मोटी असुविधाएं होती हैं, हम सभी को होती हैं, लेकिन यहां हमारे सभी (मुस्लिम) भाई हमारे साथ खड़े हैं।"

वे रुकते हैं, और फिर ज़ोरदार ढंग से अपनी बात जारी रखते हैं। "मुझे उम्मीद है कि आगे भी वे मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। इस समुदाय को वापस लाने के लिए, अगर हमें अपना ख़ून भी देना पड़े, तो ये सभी बच्चे और मैं, अपना ख़ून भी दे देंगे।"

वहां मौजूद सभी लोगों ने सहमति में तालियां बजायीं।

अफ़ज़ल के 85 वर्षीय पिता मुहम्मद याक़ूब, बंटवारे को याद करते हैं।

"जब हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे, हमारे वालिद (मेरे पिता) मुहम्मद बिलाल ने अपने पाकिस्तान जा रहे दोस्तों से कहा था, मेरे लिए ख़ुदा को सलाम कहना। हम किसी भी क़ीमत पर पाकिस्तान नहीं जाएंगे, यह हमारा देश है, और यह हमारी जन्मभूमि है। हमारे शरीर में इस धरती की मिट्टी है, और इसी धरती में हमारा ख़ून टपका है।"

"हम इस देश के वफ़ादार हैं, और हमने इस देश को छोड़ना न उस वक़्त हमने पसंद किया, और न आज पसंद करेंगे, और न आने वाले वक़्त हम यहां से जाने को पसंद करेंगे।"

आस-पास के लोगों ने फिर से तालियां बजायीं।

वह कहते हैं, "उस ज़माने में लोग एक नारा लगाते थे, जिसकी गूंज आज भी हम सुन रहे हैं, और मेरे कान हर चुनाव में उस नारे को सुनने के लिए तैयार रहते हैं। वह है 'हिन्दू मुस्लिम भाई भाई /और ये तीसरी क़ौम, कहां से आई ?"

उन्होंने आगे कहा, "मैं उस दिन का इंतिज़ार करूंगा जब चुनाव आएगा और मुझे सुनने को मिलेगा, 'हिन्दू मुस्लिम भाई भाई /और दुनिया के सारे क़ौम हमें जुदा न कर पाये'।"

चांद बाग़ के लोगों ने शानदार मेहमाननवाज़ी कीं। उन्होंने तमाम विरोधों को नज़रअंदाज़ करते हुए हमारे हाथों में शीतल पेय प्रदान किये। एक छोटी लड़की दरवाज़े पर खड़ी होकर बाहर झांक रही थी, और जब हम बाहर निकले तो शरमाते हुए मुस्कुरा रही थी।

पांच किलोमीटर से भी कम दूरी पर हम मुस्तफ़ाबाद में दंगों की सबसे भयावह दृश्य देखने गए थे, लेकिन चांद बाग़ की इन गलियों में हमें थोड़ी राहत मिली। ■■

(Courtsey : The Wire)

झगड़ों से नजात हासिल कीजिए

• संकलन : **सय्यदा हुमैरा**

रिश्तों के दो पहलू होते हैं– एक पहलू ख़ुशगवार और अनुकूल होता है जिसमें संबंधित लोग एक-दूसरे की सहमति के साथ अपनी ज़िन्दगी और ज़िम्मेदारी को पूरा करते हैं। दूसरा पहलू नागवारी, कड़वाहट तथा रंजिश पर आधारित होता है। संबंधित लोग ज़िन्दगी के मामलों में एक दूसरे से मतभेद करते हुए इतने आगे बढ़ जाते हैं की संबंधों में कड़वाहट आ जाती है।

झगड़ों की क़िस्में :

ख़ानदानी : ख़ानदान के विभिन्न लोगों के आपसी मतभेद घरेलू ज़िन्दगी को बर्बाद कर देते हैं। बच्चों की तरबियत, दावतों और प्रोग्रामों में शिरकत, रिश्तेदारों और लोगों से सम्बन्ध, पड़ोसियों के मामले और घर के ख़र्च आदि मतभेदों के विषय बनते हैं।

दफ़्तरी : अयोग्यता, अवैध माध्यमों का प्रयोग, एक-दूसरे को काटने का व्यवहार, कामों में ध्यान का अभाव, एहसासे-कमतरी (हीनभावना) आदि इस का सबब होते हैं।

कारोबारी : अधिकारों का प्रयोग, सम्पत्ति का तय करना, लाभ का वितरण और हानि में भागीदारी, बिना लिखे एग्रीमेंट आदि कारोबारी झगड़ों के कारण बनते हैं।

समाजी : अपनी नाक और सम्मान का ख़्याल, अपने बच्चों का रवैया और घरेलू ज़िन्दगी का दबाव झगड़ों का विषय होते हैं।

धार्मिक : अपने दृष्टिकोण को सही समझना दूसरों को नीचा समझना धार्मिक झगड़ों का कारण बनते हैं।

सियासी : अधिकारों में साझेदारी व्यवस्थित ढांचे निश्चित संसाधनों का प्रयोग आदि सियासी झगड़ों का कारण होते हैं।

झगड़ों का निपटारा : झगड़े चाहे किसी भी प्रकार के हों, जल्द से जल्द नपटाने चाहिएं। इसमें देर करके और वकीलों तथा अदालतों के चक्कर में पड़कर मामले और संबंधों को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए। हम नीचे कुछ सुझाव दे रहे हैं जिन पर अमल किया जा सकता है–

ग़लती स्वीकार करना : झगड़ों को समाप्त करने के लिए बुनियादी चीज़ ग़लती का मान लेना है अगर किसी व्यक्ति से झगड़े का कारण आपकी ग़लती है तो उसे स्वीकार कर लीजिए। दूसरे पक्ष को दुश्मन समझ कर बात न कीजिए बल्कि अपनी ग़लतियों का जायज़ा लीजिए। जो ज़्यादतियां आपने की हैं उनका स्वीकार करना ज़रूरी है।

माफ़ी मांगना और सुलह की कोशिश : ग़लती आपकी हो या दूसरे की, जब झगड़ा हो गया तो आप भी किसी न किसी हद तक क़ुसूरवार हैं आप अपना दिल बड़ा रखिए। अगर आप इतने हिम्मतवाले हैं कि ख़ुद आगे बढ़ें तो यह बहुत बड़ी बात है और अगर ऐसा नहीं तो फिर आप किसी तीसरे व्यक्ति के ज़रिये से राब्ता क़ायम कीजिए। आपका जो क़ुसूर है, उसपर माफ़ी मांगिए। सामने वाले व्यक्ति का रवैया भी बदल जाता है। क़ुरआन मजीद में है, जो ग़ुस्से को क़ाबू में करते हैं और ग़लतियों को माफ़ करते हैं, वही अल्लाह को प्यारे हैं।

अन्य बातें : इन बातों के अलावा जो ऊपर लिखी गई, आम हालात में नीचे लिखी बातों को सामने रखिए–

• हमेशा सकारात्मक अन्दाज़ अपनाइए। यह ख़याल मत कीजिए कि दूसरा व्यक्ति आपसे दुश्मनी कर रहा है। लोगों के बारे में अच्छी सोच रखिए। अकारण बुराई बयान करते मत फिरिए।

• ज़िन्दगी के तमाम मामलों में लोगों की बात सुनने और ख़ुद ज़्यादा ख़ामोश रहने की कोशिश कीजिए। जहां ग़लतफ़हमी हो, फ़ौरन ही बातचीत करके ग़लतफ़हमी को दूर कर लीजिए।

• सामूहिक मामलों में त्याग और क़ुरबानी का रवैया अपनाइए। अपनी राय की क़ुरबानी बहुत बड़ी क़ुरबानी है। सहनशक्ति और सब्र इख़्तियार कीजिए, ज़िद और हठधर्मी से बचिए, ग़ुस्से को क़ाबू कीजिए।

• अपने दोस्तों और साथियों और मामले से संबंधी पक्षों के हक़ में दुआ कीजिए। ■■

(कामयाब ज़िन्दगी का रास्ता)

“सामंजस्य, सद् भाव और सहयोग”

पड़ोस, पड़ोसी और हमारी ज़िम्मेदारी

सुफ़ियान अहमद

मनोविज्ञान में माना जाता है कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व (personality) केवल उसके जैविक गुणों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि परिवार, पड़ोस, स्कूल, समाज और संस्कृति जैसे परिवेशीय कारक (factor) भी उसे आकार देते हैं। इसमें पड़ोस एक प्रमुख और लगातार उपस्थित रहने वाला सामाजिक कारक है। हमारे समाज का असली चेहरा हमारे मोहल्लों और पड़ोस में दिखता है। पड़ोस वह दायरा है, जहां इंसान की असली परख होती है। एक अच्छा पड़ोस इंसान के चरित्र को निखारता है, उसे संवेदनशील और ज़िम्मेदार बनाता है। पड़ोसियों के साथ संबंधों की बुनियाद पर ही समाज की असली इमारत खड़ी होती है। शायद यही कारण है कि इस्लाम में पड़ोस और पड़ोसी की अवधारणा बहुत व्यापक है। इस्लाम की नज़र से देखें तो पड़ोसी रिश्तेदार हो या अजनबी, साथ काम करने वाला हो या सफ़र में साथ चलने वाला, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना ज़रूरी है।



पड़ोसियों के अधिकार मुहिम

आदर्श पड़ोस • आदर्श समाज

‘पड़ोस’ या ‘पड़ोसी’ शब्द केवल निकटता का परिचायक नहीं, बल्कि इंसानी रिश्तों और सामाजिक ज़िम्मेदारी का प्रतीक भी है। इंसान अपने घर का चुनाव भले ही अपनी सुविधा और हैसियत देखकर करे, लेकिन पड़ोसी उसके जीवन का तयशुदा हिस्सा होते हैं। पड़ोसी हमारी खुशियों का साक्षी होता है, हमारे ग़मों का सहभागी होता है और कभी-कभी हमारे जीवन का सबसे बड़ा मददगार भी वही बनता है। रिश्तेदार दूर हो सकते हैं, लेकिन पड़ोसी हर वक़्त पास होता है। इसीलिए पड़ोस को शायद दूसरा परिवार कहा गया है।

हालांकि हमारे समाज में पड़ोसियों के साथ बेहतर संबधों की अहमियत पर अक्सर भावनात्मक चर्चा होती है, लेकिन कुछ गंभीर अध्ययन हमें इसकी ज़मीनी सच्चाई भी दिखाते हैं। केरल में किए गए “SWADES Population-Based Survey” (जो PubMed में प्रकाशित है) ने “neighbourhood cohesion” यानी “पड़ोसियों में सामंजस्य और आपसी जुड़ाव” पर एक सर्वे किया। सर्वे का निष्कर्ष है कि जहाँ पड़ोसी एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं और विश्वास का रिश्ता क़ायम रखते हैं, वहाँ सामाजिक क्षमता और जीवन-परिस्थितियाँ बेहतर होती हैं। यह शोध इस बात का सबूत है कि पड़ोसी केवल आस-पास रहने वाले लोग नहीं, बल्कि एक-दूसरे की ज़िंदगी की गुणवत्ता गढ़ने वाले अहम कारक हैं। इसके विपरीत, जहाँ पड़ोसियों से कोई जुड़ाव नहीं होता, वहाँ सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं देखी गई हैं।

आज के समय की कड़वी यह सच्चाई है कि डिजिटलीकरण और उपभोक्तावाद (Consumer-ism) ने इंसान को अकेला बना दिया है। हम सोशल मीडिया पर सैकड़ों ‘दोस्त’ रखते हैं, लेकिन पड़ोस में रहने वाले का हाल-चाल नहीं पूछते। यह विडंबना है कि वर्चुअल दुनिया ने पड़ोस की ज़मीनी हक़ीक़त को हाशिए पर ला खड़ा किया है।

समय बदलने के साथ आज पड़ोस और उसका स्वरूप बदल गया है। आज जब शहरीकरण की रफ़्तार तेज़ी से बढ़ रही है, बहुमंज़िला इमारतों ने पुराने मोहल्लों की जगह ले ली है। अब एक-दूसरे के घरों में सहज आना-जाना कम हो गया है। तीज-त्योहार और सुख-दुख में साझेदारी सीमित हो गई है। आज पड़ोस कहीं झगड़ों का सबब है तो कहीं उदासीनता और दूरी का प्रतीक बन गया है।

आज हम यह भूलते जा रहे है कि पड़ोसियों से निकटता एक सशक्त समाज के अस्तित्व की बुनियाद है। अगर पड़ोसियों में दूरी है, तो समाज भी बिखरता है। ऐसे में ज़रूरी है कि हम पड़ोस और पड़ोसी के अधिकारों की अहमियत को दोबारा समझें और समाज में एक नए संवाद की शुरुआत करें।

आमतौर पर लोगों में आज भी यह भावना पाई जाती है कि

पड़ोसियों के साथ उनके संबंध बेहतर होने चाहिए। इसी भावना के मद्देनज़र देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन "जमाअत इस्लामी हिन्द" ने 18 नवम्बर से 28 नवम्बर तक "पड़ोसियों के अधिकार" विषय पर दस दिवसीय देशव्यापी जागरूकता अभियान चलाने का फ़ैसला किया है ताकि पड़ोसियों के प्रति कर्तव्यों को कुछ हद तक पूरा किया जा सके और देश के माहौल को सुखद बनाया जा सके।

इस संबंध में धार्मिक मूल्य और धार्मिक शिक्षाएं हमारे लिए सशक्त मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती हैं। धार्मिक शिक्षाएँ इस स्थिति में दिशा दिखाती हैं। ईमानदारी और धार्मिकता केवल इबादतगाहों में सीमित नहीं है, बल्कि इसका सबसे बड़ा पैमाना पड़ोसियों के साथ व्यवहार है। पड़ोसी केवल वह नहीं है जो घर के पास रहता है, बल्कि वह भी है जो आपके साथ काम करता है, सफ़र करता है या रास्ते में आपके साथ चलता है। समाज का हर सदस्य एक-दूसरे का पड़ोसी है।

इन्सानों के बीच अच्छे आपसी संबंध, लोगों की सेवा, आपसी हमदर्दी, सद्भावना और शांति हमेशा एक सफल समाज की बुनियादी ज़रूरतें रही हैं। दुनिया के सभी धर्मों ने इन्हें महत्वपूर्ण माना है और इन्हें अपनाने पर ज़ोर दिया है। विशेषकर इस्लाम की दृष्टि से पड़ोसियों का हक़ बेहद अहम है।

आज जब देश और दुनिया में अविश्वास और टकराव की ख़बरें बढ़ रही हैं, ऐसे में सुधार की सबसे बड़ी पहल यही हो सकती है कि हम अपने पड़ोस को सहयोग, सौहार्द और भरोसे का केंद्र बना दें। हम पड़ोस और पड़ोसियों के हक़ को केवल पढ़ने-सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। पड़ोसियों के हक़ को केवल एक चर्चा या अभियान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारें। यही सबसे बड़ा योगदान है जो हम अपने समाज, अपने देश और अपनी मानवता के लिए दे सकते हैं।

भारत की प्राचीन सभ्यता और सनातन संस्कृति की भी यही पहचान रही है। यहां की अधिकांश आबादी मानवता, नैतिकता, दया, धार्मिक और सांस्कृतिक सहिष्णुता में विश्वास रखती है । मन,वचन एवं कर्म से अपने पड़ोसी तो क्या, प्राणीमात्र को भी नुक़सान पहुंचना पाप माना गया है।

ऐसे में यह सवाल अहम है कि जब पड़ोसी को नुक़सान पहुंचाना इतना बड़ा गुनाह है, तो हम अपने आचरण में इसे क्यों नज़रअंदाज़ करते हैं? यह वही स्थिति है, जिसमें धार्मिक शिक्षाओं और सामाजिक वास्तविकताओं के बीच फ़ासला साफ़ नज़र आता है। प्रेम और सहयोग की जगह प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या ने ले ली है।

इसलिए ज़रूरी है कि हम पड़ोस और पड़ोसियों के प्रति अपने धार्मिक सामाजिक कर्तव्यों को समझें। छोटे स्तर पर पड़ोसियों के साथ सहयोग पूरे समाज को बेहतर बना सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने पड़ोसियों के साथ भलाई की गवाही अपने आचरण से पेश करें।

भारत जैसे विविधतापूर्ण समाज में यह ज़रूरी नहीं कि हमारा पड़ोसी हमारे अपने धर्म का ही हो। यहां धर्म, जाति और भाषा की विविधता हर मोहल्ले की हक़ीक़त है। ऐसे में पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाना और भी अहम हो जाता है। इससे न केवल सामाजिक भाईचारा मज़बूत होता है, बल्कि एक-दुसरे के बारे में फैली ग़लतफ़हमियाँ भी दूर होती हैं। इस्लाम में तो अपने ग़ैर-मुस्लिम पड़ोसियों के साथ भलाई और सहयोग की ख़ास हिदायत दी गई है।

इस्लाम हमें सिखाता है कि पड़ोसी चाहे रिश्तेदार हो, अजनबी हो या किसी और धर्म का मानने वाला, उसके साथ भलाई करना ईमान का हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इन शिक्षाओं को अपने आचरण से दूर कर दिया है। यही वह दूरी है, जो समाज में अविश्वास, शिकायत और ग़लतफ़हमियों को जन्म देती है।

आज जब देश और दुनिया में अविश्वास और टकराव की ख़बरें बढ़ रही हैं, ऐसे में सुधार की सबसे बड़ी पहल यही हो सकती है कि हम अपने पड़ोस को सहयोग, सौहार्द और भरोसे का केंद्र बना दें। आज सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम पड़ोस और पड़ोसियों के हक़ को केवल पढ़ने-सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ज़रूरी है कि हम इस खाई को पाटें। पड़ोसियों के हक़ की जागरूकता बढ़े, मोहल्लों और बस्तियों में शिकायतों की जगह सहयोग की परंपरा शुरू हो, राहगीरों और सफ़र के साथियों के अधिकार समझे जाएँ, और देशवासियों के बीच हमदर्दी, अनुशासन और सौहार्द का वातावरण बने। यही वह सकारात्मक बदलाव है जिसकी हमारे समाज को आज सबसे अधिक आवश्यकता है।

इस विशेषांक का उद्देश्य भी पड़ोसियों के अधिकारों की महत्ता को रेखांकित करना है। आशा है इस विशेषांक से यह समझने में मदद मिलेगी कि एक आदर्श पड़ोसी किस तरह होना चाहिए और हम स्वयं अपने पड़ोस को सुन्दर एवं सौहार्दपूर्ण बनाने के लिए क्या कर सकते हैं?

इस अंक के माध्यम से हम अपने पाठकों से यही अपील करते हैं कि पड़ोसियों के हक़ को केवल एक चर्चा या अभियान तक सीमित न रखें, बल्कि अपने रोज़मर्रा के जीवन में उतारें। यही सबसे बड़ा योगदान है जो हम अपने समाज, अपने देश और अपनी मानवता के लिए दे सकते हैं। ■■

(उप-संपादक, मासिक **'कान्ति'**)

HUMAN WELFARE FOUNDATION

VISION 2026®
Creating Partnership with the Needy

www.hwfindia.org
hwfindia2026

JOIN US IN EMPOWERING COMMUNITIES & INSPIRING GRASSROOTS CHANGE



18+ YEARS OF INTERVENTIONS

ACTIVITIES IN 24 STATES

School Capacity Building

₹ 9 L	Construction of One Classroom
₹ 60,000	Furniture for One Classroom
₹ 25,000	Classroom Space for 1 Student

Scholarships

₹ 10,000	UG Scholarship for 1 Student
₹ 15,000	PG Scholarship for 1 Student
₹ 30,000	Prof. Siddique Hassan PG Scholarship

Career Guidance

₹ 1.2 L	Sponsorship for a State Civil Service Aspirant

School Enrolment Program

To enhance School enrolment in backward villages

₹ 3,500	School Fee of One Student/Year
₹ 5,000	School Kit for One Student

Vocational Training

₹ 4.5 L	Establishment of One Computer Centre

Medical Support

₹ 10 L	One Ambulance
₹ 1,500	One Dialysis

Orphan Care Program

₹ 20,000	Scholarship for One Orphan/Year
₹ 4,500	Sponsorship of Residential Education of One Orphan/Month

Community Learning Centre

Informal Education in Slums & Slum Like Areas

₹ 10,000	Sponsorship of One Student/Year

CREATE A LASTING IMPACT WITH YOUR GENEROUS **DONATION**

Human Welfare Foundation
Current A/c 13020200052051
FEDERAL BANK, Nehru Place, New Delhi
IFSC FDRL0001302

Email us the fund transfer details by Email/WhatsApp
account@hwfindia.org / +91 70428 92026

HUMAN WELFARE FOUNDATION

KANTI Monthly, New Delhi
November 2025
Posted on 20-21 October 2025
Published on 18 October 2025
Posted Delhi RMS Delhi-110006

RNI 53372/91
DL(S)-05/3147/2024-2026
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. U(SE)-73/2024-26
Total Pages with Cover: 56

अम्बरी तेल

मालिश के लिए हर्बल तेल

जड़ी बूटियों से बना अम्बरी तेल, पोलियो लक़वा, सूजन, दर्द, चोट, मोच, जलने कटने में बेहद लाभदायक है रोगियों, बच्चों खिलाड़ियों और पहलवानों के लिये मालिश का बेहतरीन तेल जो नस पट्ठों को ताक़त देता है, कमर व घुटनों के दर्द को दूर करता है और बच्चों के सूखा रोग में बहुत फ़ायदेमन्द है। इसके अलावा गठिया व पुरानी चोटों का दर्द, औरतों के कमर, पीठ, पिंडलियों, पेडू व नलों के दर्द में मालिश करके सेंकने से आराम होता है। बिच्छू व भिड़ के काटे पर लगाने से राहत देता है। अंडकोषों की सूजन व दर्द में मालिश कर सेंकने से फ़ायदा होगा। नामर्दी व लिंग की कमज़ोरी में बतौर तिला मालिश करने से नसों में जान व कुदरती तनाव आता है।



AMBERY TEL

THE HERBAL MASSAGE OIL

AMBERY TEL - For Polio, Paralysis, Facial Paralysis & Rickets.
AMBERY TEL - For Rheumatic pain, Knees pain, Neck pain & Backache.
AMBERY TEL - For Muscle injuries, Swelling of all etiology, Fatigue, Pulled and stiff muscles.
AMBERY TEL - For weekness in penis, use as Tila for strength & Vigour.
AMBERY TEL - For Cuts, Burns, open Injuries Insect bite & Contusion.
AMBERY TEL - For Massage of Infants, Child ren, Week, Old & sick persons.
AMBERY TEL - For Players, Wrestlers and Athelets.
AMBERY TEL - For Pain in lower abdomin, waist & calf muscles in women.



عنبری تیل

پولیو، لقوہ، سوجن، درد، چوٹ، موچ اور جلنے کٹنے میں نہایت مفید ہے۔ مریضوں، بچوں اور کھلاڑیوں کے نس پٹھوں کو طاقت دینے والا مالش کا بہترین تیل ہے۔ عنبری تیل کمر و گھٹنے کے درد میں راحت دیتا ہے اور بچوں کے سوکھا روگ میں مفید ہے۔ عورتوں کے کمر، پیٹھ، پنڈلیوں، اورنلوں کے درد میں آرام دیتا ہے۔ نامردی وعضو کی کمزوری میں مالش کرنے سے نسوں میں جان وقدرتی تناؤ آتا ہے۔

Amaria® Pharmacy
Spreading Wellness

AMARIA PHARMACY
419, Faiq Enclave, Phase II
Pilibhit Byepass Road, Bareilly
Ph.: 0581-2527788
www.amariapharmacy.in
Mobile : 9997546875

GMP CERTIFIED COMPANY ISO 9001-2008